टिप्पणी

24

पर्यावरणिक कानून

पर्यावरण को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे वातावरण का निर्माण करता है और यह पृथ्वी पर हमारे जीने की कुशलता को प्रभावित करता है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जो पृथ्वी के अधिकांश भाग में विद्यमान है, हमारे आसपास पौधों और पशुओं तथा और ऐसे ही अनेकों को प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में, वैज्ञानिक उन तरीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं जिनका प्रयोग करके लोग पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि हम वायु प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, अम्लय वर्षा तथा अन्य अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं जो पृथ्वी और स्वयं हमारे लिए हानिकारक हैं। आपने ऊपर उल्लिखित स्थितियों से निपटने के लिए कानूनों, नियमों तथा विनियमों के विषय में अवश्य सुना होगा। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए व्यापक रूचि दर्शायी है और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने अने पर्यावरणिक कानूनों को पारित किया है। इस पाठ में मुख्य रूप से पर्यावरणिक प्रदूषण का मुख्य संदर्भ लेते हुए पर्यावरण और उसके विनाश पर विस्तार से चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसी पाठ में आगे पर्यावरण को प्रदूषण से संरक्षित रखने संबंधी कानूनों और अन्य पर्यावरणिक मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- पर्यावरण तथा हमारे जीवन में इसके महत्व का वर्णन कर पाएंगे;
- जान पाएंगे कि पर्यावरणिक प्रदूषण क्या है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण क्या हैं;
- पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता को समझ पाएगें;
- पर्यावरणिक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों को जान पाएंगे;
- पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विभिन्न कानूनों को जान पाएंगे; एवं
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कार्यों को जान पाएगें।

24.1 पर्यावरण का अर्थ

Environment (पर्यावरण) शब्द की उत्पत्ति प्रेंफच शब्द environner (इंवायरोन्नर) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घेरे में लेना या आसपास को एकत्र करना। पर्यावरण की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा निम्न है :

यह जल, वायु और भूमि तथा इनमें विद्यमान मनुष्य, अन्य जीव-जंतु तथा पदार्थों के बीच विद्यमान अंतर-संबंध का कुल योग है।

पर्यावरण का भौगोलिक अर्थ है :

यह सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं और उनके बीच आपसी संव्यवहार का संयोजन है जिसके परिणामस्वरूप पारितंत्र (ecosystem) की उत्पत्ति होती है।

पर्यावरण में वे सभी सजीव व निर्जीव वस्तुऐं समाहित हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। उच्चतम न्यायालय ने के.एम.चिन्नप्पा बनाम भारत सरकार (एआईआर 2003 एससी 724) में पर्यावरण को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

"पर्यावरण" शब्द को परिभाषित करना कठिन है। इसका सामान्य अर्थ अपने परिवेश से संबंधित है, किन्तु निसंदेह, यह वह अवधारण है जो उसके परिवेश में आने वाले किसी भी वस्तु के सापेक्ष है। पर्यावरण एक बहुकेन्द्रित तथा बहुआयामी समस्या है जो मानव अस्तित्व को प्रभावित कर रही है।

आज पर्यावरण की संरक्षण एक वैश्विक समस्या बन गई है क्योंकि यह सभी देशों को प्रभावित कर रही है चाहे वे किसी भी आकार, स्तर या विकास या विचारधारा वाले देश क्यों न हों। आज, समाज और प्रकृति के बीच का संव्यवहार इतना व्यापक हो गया है कि पर्यावरण के प्रश्न का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है जो बड़े स्तर पर मानवता का प्रभावित कर रहा है।

पाठगत प्रश्न 24.1

1. पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए।
2. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार 'पर्यावरण' की परिभाषा दीजिए।

24.2 पर्यावरणिक प्रदूषण

"प्रदूषण" शब्द से तात्पर्य हमारे आसपास के परिवेश में अवांछित रूप से परिवर्तन है, पूर्णत : या व्यापक स्तर पर उर्जा प्रारूप में परिवर्तन, रासायनिक तथा भौतिक निर्माण तथा जीवाणुओं की बहुतायता के प्रत्यक्षतथा अप्रत्यक्ष प्रभावों के माधयम से मानव क्रिया के उत्पादों के रूप में। इस प्रकार, यह जल, वायु तथा मृदा में किसी बाहरी सामग्री को मिश्रित करना है, जो तत्काल या कुछ समय पश्चात इन मौलिक घटकों के प्राकृतिक गुणों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और आगे उन्हें अनुपयुक्त तथा हानिकारक बनाकर उनमें प्रतिकूल परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। औद्योगिकरण, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, संसाधनों को क्षमता से अधिक दोहन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने पर्यावरण के ह्रास में योगदान दिया है।

24.2.1 जल प्रदूषण

जल प्रदूषण से तात्पर्य जल निकायों (जैसे नदियां, सागर, जलदायी स्तर तथा भूजल) का संदूषण है। जल प्रदूषण उस समय होता है जब हानिकारण घटकों को निकालने के लिए पर्याप्त उपचार किए बिना प्रदूषकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन जल निकायों प्रवाहित किया जाता है।

चित्र 1 : जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत

24.2.2 वायु प्रदूषण

वायु में ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बनडाइऑक्साइड, एरगॉन आदि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में रसायनों, कणों, या जैविक पदार्थ शामिल हो जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को बेचैनी, रोग, या मृत्यु होती है, अन्य सजीव जीवाणुओं जैसे खाद्य फसलों, प्राकृतिक पर्यावरण या निर्मित पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है।

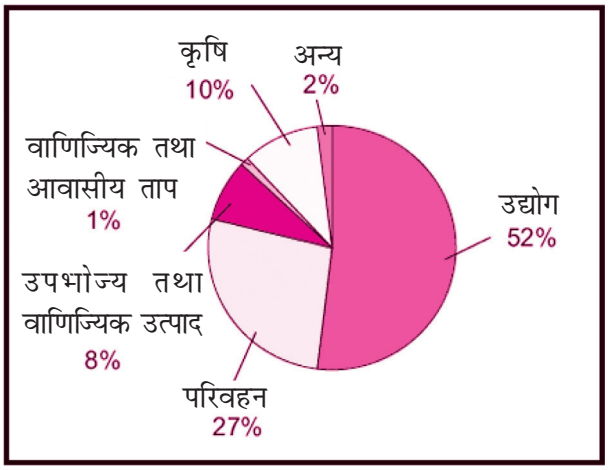

चित्र 2 : प्रदूषण का प्रतिशत अंशदान

वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं :

- औद्योगिक उत्सर्जन
- वाहनों का उत्सर्जन
- घरेलू उत्सर्जन

शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वालपे सर्वाधिक सामान्य प्रदूषक हैं - सल्फर डाईऑक्साईड(SO_2), नाईट्रोजन ऑक्साइड ($NO \& NO_2$), कार्बनमोनोक्साइड (CO) आदि। इसके अतिरिक्त, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों आदि से उत्सर्जित होने वाले गैसें (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) (CFC's) ओजोन परत की क्षणता के लिए उत्तरदायी हैं।

चित्र 3: चिमनियों से निकलने वाला धुआं

24.2.3 ध्वनि-प्रदूषण

ध्वनि (Noise) शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द 'Nausea' (नौसिया) से हुई है जिसका अर्थ है समुद्री मतली (Sea-Sickness)। ध्वनि कोई अवांछित आवाज है जो पर्यावरणिक संतुलन को प्रभावित करता है। ध्वनि को डैसिबल (decibles) में मापा जाता है। मोटर वाहन, विमान, पटाखे, सायरन, लाउडस्पीकर तथा मशीनें ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली, मुम्बई और कोलकता विश्व में सर्वाधिक ध्वनि करने वाले शहर हैं। पर्यावरण, मनुष्य तथा पशुओं पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव होते हैं। मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुछ प्रतिकूल प्रभाव हैं :

- सुनाई न देना या कम सुनाई देना
- रक्तचाप में वृद्धि
- हृदयवाहिनी स्वास्थ्य प्रभाव
- तनाव स्तर में वृद्धि
- कुशलता तथा एकाग्रता में कमी

ध्वनि-प्रदूषण मनुष्य तथा पशुओं के लिए अत्यधिक परेशान करने वाली है या हम कह सकते हैं कि मशीनों द्वारा उत्पन्न पर्यावरणिक ध्वनि मानव तथा पशु जीवन की गतिविधियों या संतुलन को अवरूद्ध करता है। विश्व भर में अधिकरत बाहरी ध्वनि के मुख्य स्रोत निर्माण तथा परिवहन प्रणालियां होती हैं जिनमें मोटर वाहनों से ध्वनियां, विमानों से ध्वनियां, रेलगाड़ियों और इंजनों से ध्वनियां शामिल हैं। खराब शहरी नियोजन से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्योंकि औद्योगिक तथा आवासीय भवनों के साथ-साथ निर्मित होने के कारण आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण हो सकता है।

24.2.4 भूमि प्रदूषण

निर्वनीकरण या वनों को काटने, भूमि में विषैले तत्वों को छोड़ने, भूमि में अस्वच्छ अपशिष्ट, कूड़ेकचरे, जैव-चिकित्सा अपशिष्टों आदि को फैंकने के कारण भूमि प्रदूषण होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग भी भूमि प्रदूषण का स्रोत है क्योंकि यह जल की पेयता का प्रभावित करता है।

24.2.5 स्थूल जल प्रदूषण

अपशिष्ट (Wastes) वे पदार्थ हैं जो उपयोगी नहीं होती है या जिनकी आवश्यकता नहीं होती है और भावी प्रसंस्करण के बिना वे आर्थिक रूप से प्रयोग योग्य नहीं होते हैं। स्थूल अपशिष्ट में कृषि अपशिष्ट, राख, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, मृत पशुओं के शारीर के भाग, घरेलू गतिविधि यों से निकला शुष्ट या द्रव्य अपशिष्ट जिसमें प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, ग्लास, कागज, डिटर्जेंट, औद्योगिक अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट आदि शामिल हैं।

24.2.6 खाद्य-प्रदूषण (भोजन में मिलावट)

सभी जीवों को उर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होता है जिससे वे अपनी दैनिक गतिविधियों को करते हैं। यदि खाया जाने वाला भोजन प्रदूषित या मिलावटी होगा तो इससे भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। खाद्य प्रदूषण पौधों के विकास के विभिन्न स्तरों पर रासायनिक उर्वरक तथा विभिन्न कीटनाशकों के प्रयोग से ही उत्पन्न हो जाता है। ये रसायन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग तथा परिवहन के दौरान भी प्रदूषित होते हैं।

24.2.7 ताप प्रदूषण

तापमान उन परिस्थितियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिनमें सजीव जीवाणु जीवित रह सकते हैं। प्राकृतिक तापमान में किसी प्रकार के अवांछित , हानिकारक परिवर्तन, जिसके कारण वातावरण के प्राकृतिक ताप संतुलनमें व्यवधान उत्पन्न होता है, उसे ताप प्रदूषण कहते हैं।

24.2.8 परमाणु (रेडियोधर्मी)-प्रदूषण

सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा हानिकारक प्रकार के प्रदूषणों में से एक परमाणु प्रदूषण है। परमाणु प्रदूषण परमाण विस्फोट से उत्पन्न होता है जिसे परमाणु परीक्षण के लिए किया जाता है और

जिसका प्रयोग आगे परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रकार के विस्फोट के कारण 15 से 20 प्रतिशत रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार जब ये कण वातावरण में प्रवेश करते हैं तो अनेक वर्षों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। इसका एक उदाहरण हीरोशीमा परमाणु बम्ब विस्फोट है।

क्रियाकलाप 24.1

वायु-प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची तैयार करें।

क्र.सं	वायु प्रदूषण	जल प्रदूषण	ध्वनि प्रदूषण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

पाठगत प्रश्न 24.2

1. निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए
   (क) जल प्रदूषण
   (ख) वायु प्रदूषण
   (ग) ध्वनि प्रदूषण
2. ध्वनि-प्रदूषण के मुख्य स्त्रोतों को चिन्हित कीजिए।
3. मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कुछ प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख कीजिए।

24.3 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा सरकारी स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के दबावों के कारण जैव-भौतिक पर्यावरण का अवक्रमण (degradation) होता है और कई बार तो यह स्थायी रूप से हो जाता है। इस स्थिति को पहचाना गया है और सरकार ने उन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर दिया है जिनके कारण पर्यावरण का अवक्रमण हो रहा है। साठ के दशक से पर्यावरण संरक्षण के अभियानों ने पर्यावरण संबधी विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूकता का सृजन किया है। मानव गतिविधियों पर पर्यावरण के प्रभाव के स्तर के संबंध में कोई सहमति नहीं है और संरक्षण उपायों की भी कई बार आलोचना की जाती है।

शैक्षिक संस्थान पर्यावरणिक कानून, पर्यावरणिक ज्ञान, पर्यावरणिक प्रबंधन तथा पर्यावरणिक इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं, जो पर्यावरणिक संरक्षण के इतिहास तथा

विधियों का अध्ययन कराते हैं। विभिन्न मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अपशिष्ट उत्पादन, वायु प्रदूषण, तथा जैव-विविधता की हानि (तेजी से विकसित होने वाली प्रजातियों और प्रजाति उन्मूलन) पर्यावरणिक संरक्षण के संबंधित कुछ मुद्दे हैं।

पर्यावरणिक संरक्षण तीन अंतर-संबंधित कारकों से प्रभावित होते हैं : पर्यावरणिक विधान, नैतिकता और शिक्षा। इनमें से प्रत्येक कारक राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणिक निर्णयों और व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरणिक मूल्यों और व्यवहार को प्रभावित करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। पर्यावरणिक संरक्षण को वास्तविकता बनाने के लिए, समाज के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे इनमें से प्रत्येक कारक को विकसित करे।

पाठगत प्रश्न 24.3

1. 'पर्यावरण संरक्षण' की परिभाषा दीजिए।
2. पर्यावरणिक संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का सूचिवद्ध कीजिए।

24.4 पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता

- विश्व में एक बिलियन लोगों के पास साफ पानी नहीं है।
- विश्व में दो बिलियन लोगों को सेनिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- डेढ बिलियन लोग (नए औद्योगिक देशों के बड़े शहरों में रहने वाले) खतरनाक तथा दूषित वायु में सांस ले रहे हैं।

मनुष्य और पशु दोनों को स्वच्छ भोजन तथा साफ पानी की आवश्यकता होती है और स्वच्छ भोजन तथा साफ पानी को प्राप्त करने के लिए पारितंत्र (ecosystem) को संरक्षित रखना आवश्यकत है ताकि जीवन को संभव बनाया जा सके। यदि हम प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो यह निश्चित है कि शीघ्र ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा।

क्रियाकलाप 24.2

सही विकल्प के साथ निम्नलिखित का मिलान करें :

(i)	ताप प्रदूषण	(क)	हीरोशिमा एटॉमिक बोमबिंग
(ii)	खाद्य प्रदूषण	(ख)	विमान
(iii)	रेडियोधर्मी प्रदूषण	(ग)	तापमान
(iv)	ध्वनि प्रदूषण	(घ)	सिगरेट का धुआं
(v)	वायु प्रदूषण	(ड़)	उर्वरक तथा कीटनाशी

पाठगत प्रश्न 24.4

रिक्त स्थानों को भरिए

1. मनुष्य को _____ रहने के लिए स्वच्छ भोजन एवं साफ पानी की आवश्यकता होती है।
2. यदि हमने प्रदूषण की नियंत्रित नहीं किया तो संसार का _____ हो सकता है।

24.5 पर्यावरणिक संरक्षण से संबंधित विधिक तंत्र

पर्यावरणिक कानून पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा उसमें सुधार करने और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले या संभावित किसी कृत्य या चूक को रोकने का माधयम है। पर्यावरणिक विधिक प्रणाली अनिवार्य रूप से कानूनों और प्रशासनिक नियमों का समूह है जो पर्यावरण से संबंधित सभी लोगों के बीच के संबंधों और विरोधों को विनियमित करता है, और साथ ही साथ लोगों और स्वयं पर्यावरण के बीच के संबंधों को भी परिभाषित करता है।

उच्चतम न्यायालय ने 'के.एम.चिन्नप्पा बनाम भारत संघ' (एआईआर 2003 एससी 724) में ''पर्यावरणिक कानून'' को ''पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण का प्रदूषित करने वाले या संभावित किसी कृत्य या चूक को रोकने के माधयम के रूप में'' परिभाषित किया है।

भारत के संविधान में, यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह ''पर्यावरण को संरक्षित रखे व उसमें सुधार करे और देश में वनों और वन्यजीवन को सुरक्षित रखे।'' यह राष्ट्र के सभी नागरिकों को यह दायित्व सौपता है कि वे ''वनों, तालों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसमें सुधार करें।'' राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) तथा मौलिक अधिकारों (III) में भी पर्यावरण का संदर्भ दिया गया है। देश में स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। बाद में वर्ष 1985 में इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना दिया गया।

24.5.1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत की पर्यावरणिक तथा वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के नियोजन, संवर्धन, समन्वयन तथा निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक संरचना में एक नोडल एजेंसी है। मंत्रालय का प्रमुख कार्य तालों, नादियों, जैव-विविध ता, वनों तथा वन्यजीवन सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करना तथा प्रदूषण का निवारण तथा अपशमन करना है।

मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य हैं :

- प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण
- पर्यावरण का संरक्षणय और
- पौधों और पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करना।

24.5.2 भारत का संविधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में समाविष्ट 'जीवन के अधिकार' में साफ तथा मानाव पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इसका अर्थ यह है कि आपको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 राज्य से यह अपेक्षित है कि वह लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थि सुनिश्चित करे और इसे केवल अप्रदूषित और स्वच्छ पर्यावरण द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 48क में राज्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह संरक्षात्मक नीति तथा सुधारात्मक नीति का अनुसरण करे। संरक्षात्मक नीति उन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाती है जिनके कारण पर्यावरणिक अवक्रमण होता है उदाहरण के लिए लैडयुक्त पेट्रोल के प्रयोग पर प्रतिबंध, प्लास्टिक बैगों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदि। सुधारात्मक नीति से तात्पर्य वैकल्पिक व्यवस्था से है जिसका प्रयोग पर्यावरण में सुधार करने के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए सी.एन.जी. या निम्न सल्फर ईंधन का प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षरोपण आदि।

संविधान का अनुच्छेद 48क घोषित करता है कि ''राज्य पर्यावरण की संरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।''

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क(छ) में कहा गया है कि ''वनों, तालों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखना व उसमें सुधार करना तथा सजीव प्राणियों के प्रति संवेदना रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।''

24.5.3 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु तथा देश में जल की प्रचुरता को बनाए रखने तथा बहाली हेतु प्रावधान के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया गया है।

भारत में पारित यह पहला कानून था जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि घरेलू तथा औद्योगिक प्रदूषकों को पर्याप्त उपचार के बिना नदियों और तालाबों में प्रवाहित न किया जाए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार दूषित मिश्रण जल को पेय जल के स्रोत के रूप में तथा सिंचाई और अन्य जलीय-जीवन के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त बना देता है।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, जल निकायों में प्रदूषकों को प्रवाहित करने वाली फैक्टरियों के लिए मानकों को स्थापित करने व लागू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई।

24.5.4 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

भारत में वायु-प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के प्रावधानों के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 बनाया गया है। यह विधान का एक विशिष्ट भाग है जिसे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए बनाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वायु की गुणवत्ता का निवारण तथा वायु प्रदूषण का नियंत्रण भी शामिल है।

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- वायु प्रदूषण को निवारण, नियंत्रण और उपशमनय;
- उपर्युक्त उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापनाय; एवं
- वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना।

24.5.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

भोपाल गैस त्रासदी ने भारत सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वह खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण, देख-भाल या रख-रखाव तथा प्रयोग संबंधी नियमों सहित एक वृहत पर्यावरणिक विधान बनाए। इन नियमों के आधार पर भारतीय संसद ने पर्यावरणिक संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया। यह एक अम्ब्रेला विधान है जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को समेकित करता है। विधानों के इस ढांचे के भीतर, सरकार ने पर्यावरणिक प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की है।

पर्यावरणिक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य देश में पर्यावरण की संरक्षा तथा सुधार है।

भोपाल-त्रासदी

भोपाल आपदा, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, भारत में गैस रिसाव की एक दुर्घटना थी, जिसे विश्व की सबसे घातक औद्योगिक आपदा माना जाता है। यह घटना भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थिति कीटनाशी संयंत्र यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) में 2तथा 3 दिसंबर, 1984 के मध्य रात्री में हुई थी। लगभग 500,000 लोग मिथइल आइसोसिनेट गैस तथा अन्य रसायनों के प्रभाव में आए थे। इसके विशैले तत्व संयंत्र के आसपास स्थित गरीब बस्तियों में फैल गए। इस दुर्घटना में मृतकों के आंकड़ों में भिन्नता है। आधिकारिक रूप से इस दुर्घटना में तत्काल मृतकों की संख्या 2,250 थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव के कारण कुल 3,787 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की थी। अन्य अनुमानों के

अनुसार, इस घटना के दो सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई और तत्पश्चात, गैस रिसाव रोगों के कारण अब तक 8,000 और लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2006 में सरकारी दस्तवेज बताते हैं कि गैस रिसाव के कारण 558,125 लोग पीडित हुए जिनमें से 38,478 लोग आंशिक रूप से अपंग हो गए और लगभग 3,900 लोग गंभीर तथा स्थायी रूप से अपंग हुए।

24.5.6 ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2000

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 या किसी अन्य विधान में ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। औद्योगिक गतिविधि, जनरेटर सेट, लाउड स्पीकरों, वाहनों के हार्नों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से सर्वाजनिक स्थलों में बढते हुए परिवेशीय ध्वनि स्तर ने मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य से आज यह आवश्यकता बन गई है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली आवाजों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाए। इसलिए, केन्द्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000 बनाएं।

सरकार ने पर्यावरणिक ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए यह नियम तैयार किए हैं। सरकार द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जैसे परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के अनुमेय स्तर भिन्न-भिन्न हैं जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्र तथा ध्वनि मुक्त क्षेत्र (Silence zone) (अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों तथा न्यायालय के परिसरों के क्षेत्र आदि)।

24.5.7 जन-दायित्व बीमा अधिनियम, 1981

इस अधिनियम का उद्देश्य उन व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है जो किसी खतरनाक पदार्थ की देखभाल या रख-रखाव के दौरान हुई दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। इसमें प्रावधान है कि किसी जोखिपूर्ण पदार्थ से संबंधित कार्य आरंभ करने से पूर्व उसका स्वामी बीमा की संविदाओं का प्रावधान करने के लिए एक या अधिक बीमा पॉलिसियां लेगा। बीमा लेने का उद्देश्य संभावित भावी दुर्घटना के परिणामों से क्षतिपूर्ति की गारंटी को निर्धारित करना है।

एक क्षेत्र के कलैक्टर को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान में किसी दुर्घटना की आवृत्ति के सत्यापन का अधिकार प्राप्त होता है और वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए पीडितों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रचार भी कर सकता है।

बीमा संविदा के अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा ''पर्यावरण राहत निधि'' द्वारा भी की जाती है। कलॉक्टर द्वारा इस निधि का प्रयोग क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

24.5.8 राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995

इस अधिनियम का उद्देश्य किसी जोखिमपूर्ण वस्तु की देखभाल या रख-रखाव के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना के हुई क्षतियों के लिए कड़े दायित्वों हेतु तथा व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुई क्षतियों के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के दृष्टिगत ऐसी दुर्घटनाओं

से उत्पन्न मामलों के प्रभावपूर्ण और तीव्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना हेतु और इससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान बनाना है।

इस अधिनियम की विशेषता इस तथ्य में है कि दुर्घटना के मामले में तथा उसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को लगी चोटों के लिए जोखिमपुर्ण पदार्थ के स्वामी के दायित्वों को कड़ाई से निधारित किया गया है। यहां क्षतिपूर्ति के किसी मामले में दावाकर्ता को यह अपील दायर करने या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि मृत्यु, चोट या क्षति जिसके लिए दावा किया जा रहा है, वह किसी व्यक्ति द्वारा गलत कृत्य, लापरवाही या चूक के कारण हुई थी। इस प्रकार, साक्ष्य का बोझ क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो कि पीडितों के लिए बड़ी राहत है।

24.5.9 राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एनईएए) अधिनियम, 1997

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एनईएए) अधिनियम, 1997 की स्थापना पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा उन मामलों के समाधान के लिए की गई थी जिनमें कतिपय प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरणि क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एनईएए) अधिनियम, 1997 द्वारा यह निर्धारित किया गया था उन प्रतिबंधित क्षेत्रों के संबंध में अपीलों को सुना जाए जहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कतिपय सावधानियों के मद्देनजर किसी औद्योगिक, प्रचालनिक, प्रसंस्करण या उद्योगों, प्रचालनों या प्रसंस्करणा की श्रेणी को किया जा सकता है या नहीं।

24.5.10 ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000

ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का निर्धारण ओजोन अवक्षय पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग को विनियमित करने के लिए किया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को संरक्षित रखना है। यह नियम ओजोन अवक्षय पदार्थों की अप्राधिकृत बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात तथा प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।

> ओजोन अवक्षय पदार्थ वे उत्पाद है जिसके कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) ओजोनअवक्षय पदार्थों का एक उदाहरण है।

पाठगत प्रश्न 24.5

सही/गलत बताइए

1. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत पर्यावरिणिक तथा वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के नियोजन संवर्धन, समन्वय तथा निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार की संरचना में एक नोडल एजेंसी है। (सही/गलत)
2. जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु तथा देश में जल की प्रचुरता बनाए रखने तथा बहाली हेतु प्रावधान के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया गया है। (सही/गलत)

3. भारत में वायु-प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के प्रावधानों के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 बनाया गया है। (सही/गलत)
4. पर्यावरणिक संरक्षण अधिनियम, 1986 का उद्देश्य देश में पर्यावरण की संरक्षा तथा सुधार है। (सही/गलत)
5. ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण), अधिनियम, 2000 ने पर्यावरणिक ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियम बनाए है। (सही/गलत)
6. जन-दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है जो किसी खतरनाक पदार्थ की देखभाल या रख-रखाव के दौरान हुई घटना से प्रभावित हुए हैं। (सही/गलत)
7. ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को संरक्षित रखना है। (सही/गलत)

24.6 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संविधिक निकाय हैं जिन की स्थापना प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने उद्देश्य से की गई है।

24.6.1 केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर, 1974 में की गई थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषणनिवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981के अंतर्गत शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य :

(i) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदीओं और कुओं की साफ-सफाई को संवर्धित करना।

(ii) वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन करना।

केन्द्रीय बोर्ड के अन्य कार्य

- जल और वायु प्रदूषणके निवारण, और नियंत्रण तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सलाह प्रदान करना।
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा अपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें निष्पादित करना।
- राज्य बोर्डो को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा जल तथा वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं और इनके निवारण, नियंत्रण तथा अपशमन से संबंधि त जांचों तथा अनुसंधानों को निष्पादित तथा प्रायोजित करना।

- सेवेज तथा व्यापार अपशिष्टों तथा चिमनी गैस सफाई उपकरणों, चिमनियों और डक्टों के उपचार और निपटान से संबंधित नियमावली, कोड तथा दिशा निर्देश तैयार करना।
- नालों और कूओं के लिए मानक निर्धारित करना तथा आशोधित करना (राज्य सरकारों के परामर्श से) तथा वायु की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना।

24.6.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राज्य सरकारों के अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीपीसीबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी), राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), आदि।

राज्य बोर्डों के कार्य

- प्रदूषण तथा उद्योगों को स्थापित करने संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार करना।
- सूचनाएं एकत्र तथा संवितरित करना।
- प्रदूषणकर्ता उद्योगों तथा क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- उत्प्रवाही और उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करना।
- निर्धारित उत्सर्जन तथा उत्प्रवाही मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों और अन्य गतिविधियों को सहमति जारी करना।

पाठगत प्रश्न 24.6

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई दो कार्य बताइए।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई दो कार्य बताइए।

आपने क्या सीखा

पर्यावरण वह स्थान या परिवेश है जहां हम रहते हैं और मनुष्य के अस्तित्व के लिए इसे साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण अपने परिवेश में प्रतिकूल परिवर्तन है। यह वायु, जल तथा मृदा में किसी बाहरी पदार्थ का मिश्रण है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अधिक जनसंख्या, संसाधनों का क्षमता से अधिक दोहन कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने पर्यावरण के ह्रास में योगदान किया है।

प्रत्येक मनुष्य तथा पशुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है।

प्रदूषण को निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेणिबद्ध किया गया है : (क) जल-प्रदूषणए (ख) वायु-प्रदूषण, (ग) ध्वनि प्रदूषण, (घ) भूमि प्रदूषण, (ड.) स्थल जल प्रदूषण, (च) खाद्य प्रदूषण, (छ) ताप प्रदूषण एवं (ज) परमाणु प्रदूषण।

पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के संबंध में विभिन्न विधान, अधिनियम हैं:

क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

ग. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

घ. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995

ड़. ध्वनि प्रदूषण (विनियम तथा नियंत्रण) नियम, 2000

च. जन-दायित्व बीमा अधिनियम, 1981

छ. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील अधिकरण (एनईएए), 1997

ज. ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000

प्रदूषण में वृद्धि से निपटने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है।

पाठांत प्रश्न

1. 'पर्यावरणिक प्रदूषण' शब्द को परिभाषित कीजिए।
2. निम्न की व्याख्या कीजिए

   (क) वायु प्रदूषण

   (ख) जल प्रदूषण

   (ग) ध्वनि प्रदूषण
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक अम्ब्रेला विधान है जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को समेकित करता है। वर्णन करें।
4. केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पांच पांच कार्यों का वर्णन करें।
5. यमुना नदी का दौरा करें और वहां हो रही गतिविधियों का अवलोकन करें। वहां प्रदूषण करने वाली गतिविधियों की जांच करें । यमुना नदी में होने वाले प्रदूषण के कारणों और उन्हें रोकने के लिए निकारक उपायों पर 500 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करें।
6. इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। इस पाठ से सहायता प्राप्त करें, वायु प्रदूषण के कारणों की जांच करें और भावी प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय सुझाएं। इस संबंध में 500 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करें।

7. दिल्ली के पांच प्रमुख सरकारी अस्पतालों का दौरा करें और वहां वायु प्रदूषण के कारण ओपीडी आने वाले श्वसन समस्याओं की शिकायत वाले मरीजों की संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करें। विधि के विद्यमान प्रावधानों का संदर्भ देते हुए 500 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करें।

8. मान लीजिए कि आप ऐसे आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं जहां दो अस्पताल भी हैं।शहर का हवाई अड्डाा आपके आवासीय क्षेत्र के समीप स्थिति है जहां चौबीसों घंटे विमान आते व जाते रहते हैं। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने हाल में निर्मित नए रनवे का प्रयोगआरंभ कर दिया है। दिन का समय तो किसी तरह निकल जाता है किन्तु रात के समय विमानों की लैंडिग तथा टेकऑफ के समय होने वाले ध्वनि के कारण रोगियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण उनके तनाव का स्तर भी बढ़ता जा रहा है जो कई बार बहुत घातक हो सकता है।

   ध्वनि-प्रदूषण संबंधी कानूनों का संदर्भ देते हुए इन रोगियों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए संबंधित प्राधिकरण के लिए एक पत्र का मसौदा तैयार करें। उन्हें अनुरोध करें कि हवाईअड्डों को कम से कम रात्रि के समय के लिए बंद रखा जाए ताकि अस्पतालों में रोगियों को कुछ राहत तो प्राप्त हो सके।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

1. यह जल, वायु और भूमि तथा इनमें विद्यमान मनुष्य, अन्य जीव-जंतु तथा पदार्थों के बीच विद्यमान अंतर-संबंध का कुल योग है।

2. उच्चतम न्यायालय के अनुसार ''पर्यावरण'' शब्द को परिभाषित करना कठिन है। इसका सामान्य अर्थ अपने परिवेश से संबंधित है, किन्तु निसंदेह, यह वह अवधारण है जो उसके परिवेश में आने वाले किसी भी वस्तु के सापेक्ष है। पर्यावरण एक बहुकेन्द्रित तथा बहुआयामी समस्या है जो मानव अस्तित्व को प्रभावित कर रही है।

24.2

1. (क) **जल प्रदूषण:** जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकाओं (जैसे नदियां, सागर जलदायी स्तर तथा भूजल) का संदूषण है।

   (ख) **वायु प्रदूषण:** वायु में ऑक्सिजन, नाईट्रोजन, कार्बनडाइआक्साइड, एरगॉन आदि विभिन्न गैसों को मिश्रण होता है। वायु प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में रसायणों, कणों या जैविक पदार्थ शामिल हो जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को बैचनी रोग या मृत्यु हो जाती है। अन्य सजीव जीवाणुओं जैसे खाद्य फसलों, प्राकृतिक पर्यावरण या निर्मित पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है।

   (ग) **ध्वनि-प्रदूषण :** ध्वनि प्रदूषण कोई अवांछित आवाज है जो पर्यावरणिक संतुलन को प्रभावित करती है। मोटर वाहन, विमान, पटाखे, सायरन, लाऊडस्पीकर तथा मशीनें ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत है।

2. वायु-प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत है:

   औद्योगिक उत्सर्जन;

   वाहनों का उत्सर्जन; एवं

   घरेलू उत्सर्जन

3. (क) सुनाई न देना या कम सुनाई देना;

   (ख) रक्त चाप में वृद्धि;

   (ग) तनाव में वृद्धि;

   (घ) हृदय-वाहिनी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव; एंव

   (ड़) कार्यकुशलता तथा एकाग्रता में कमी होना

24.3

1. पर्यावरण संरक्षण वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा सरकारी स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
2. पर्यावरणिक संरक्षण तीन अंतर-संवधित कारकों से प्रभावित होते है; पर्यावरण्कि विधान, नैतिकता और शिक्षा।

24.4

1. जीवित
2. अन्त

24.5

1. सही
2. सही
3. सही
4. सही
5. सही
6. सही
7. सही

24.6

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो मुख्य कार्य हैं-

   (i) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदीयों और कुओं आदि की साफ-सफाई को संवर्धित करना।

टिप्पणी

(ii) वायु की गुणवता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन करना।

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो मुख्य कार्य है:

(i) प्रदूषण तथा उद्योगों को स्थापित करने संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना।

(ii) प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार करना।

टिप्पणी

25

चिर-स्थायी या धारणीय विकास

आज पृथ्वी की बढ़ती हुई भंगुरता से संबंधित अनेक चिंताएं हो रही हैं। पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या एक खतरे के रूप में विकसित हो रही है। मनुष्य के विवेकहीन कृत्यों के कारण पृथ्वी की पर्यावरणीय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक नागरिक होने के नाते हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्रियाओं का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का पथ जिसका अनुसरण हम कर रहे हैं वह पृथ्वी के पर्यावरण तथा इसमें रहने वाले सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। यह तभी संभव है जब राष्ट्रों के बीच में समन्वय स्थापित होगा।

''धारणीय विकास'' प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा उपयोग की दर से संबंधित है। आज यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग उस दर से न करें जिससे कि उन्हें दीर्घकाल के लिए बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना संभव न हो। यदि हम कार का प्रयोग करते हैं तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम पर्यावरण-सहिष्णु ईंधन तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें जो कि प्रदूषण को न्यूनतम बनते हैं। यदि हम भू-जल (Ground water) का प्रयोग करते हैं तो यह हमारा दायित्व है कि वर्षा जल हार्वेस्टिंग आदि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इसे पुनरू संचयित किया जाए।

इस प्रकार, 'धारणीय विकास' उत्तरदायी विकास है। यह आर्थिक विकास है जिसके दौरान समाज तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यह एक समेकित विकास है जो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। यह विकास समाज के सभी वर्गों के लिए है और यह पृथ्वी के पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना होता है।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप:

- 'धारणीय विकास' के अर्थ को जान पाएंगे;
- 'धारणीय विकास' के महत्व और आवश्यकता को समझ पाएंगे;
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'धारणीय विकास' की उत्पत्ति की समझ पाएंगे;
- भारत में 'धारणीय विकास' संबंधी कानूनों को पहचान पाएंगे;
- 'धारणीय विकास' को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका को समझ पाएंगे।

25.1 धारणीय विकास की अवधारणा और अर्थ

25.1.1 धारणीय विकास क्या है?

सन् 1987 में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'ब्रंटलैंड रिपोर्ट' जारी की थी, जिसमें 'धारणीय विकास' की वह परिभाषा शामिल है जो आज सर्वाधिक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है : ''धारणीय विकास वह विकास है जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है'' (पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (ब्रंटलैंड आयोग) रिपोर्ट ''हमारा साझा भविष्य''।

इसी रिपोर्ट के अनुसार, उपर्युक्त परिभाषा में इसकी दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं :

- 'आवश्यकताओं' की अवधारणा, विशेष रूप से विश्व के गरीबी लोगों की अनिवार्य आवश्यकताएं; एवं
- वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संगठन द्वारा लगाई गई सीमाओं की अवधारणा।

इसका अर्थ है कि हमें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी विशेष रूप से शोषित वर्ग की आवश्यकताएं। आवश्यकताओं को पूरा करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो कुछ भी प्रकृति से लेते हैं वह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण (degradation) में वृद्धि तथा जैवविविधता के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता है। प्रकृति सीमित है और हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपने उपभोग की सीमित करना होगा। समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

धारणीयता विश्व के उस एकीकृत विचार को महत्व प्रदान करती है जो समुदाय की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज को जोड़ता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्था समाज के भीतर ही विद्यमान होती है और समाज पृथ्वी की पर्यावरणीय प्रणाली के भीतर विद्यमान है। यह विचारधारा इस तथ्य को उजागर करती है कि मनुष्य प्रकृति का ही भाग हैं।

चित्र 1 धारणीय विकास और समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है:

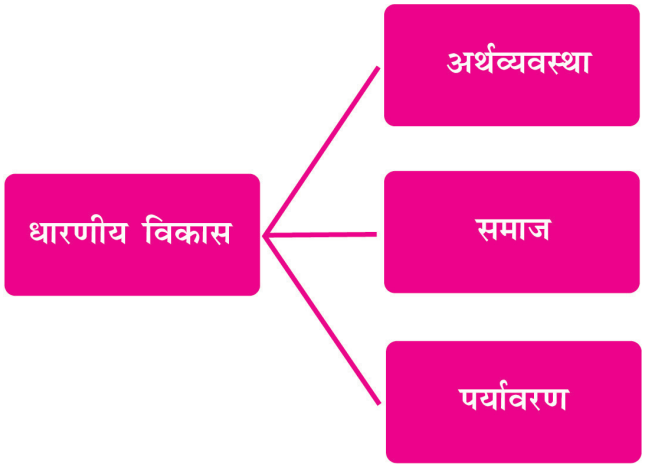

चित्र 1: धारणीय विकास, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संबंध

अधारणीयता के क्या कारण है?

आइए हम धारणीय विकास के खतरों को समझने का प्रयास करें।

आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण धारणीयता के लिए घातक हैं।

अधारणीयता के कुछ कारण निम्न हैं :

- मानव जनसंख्या में वृद्धि;
- मनुष्य की आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारा और घर को पूरा करने के लिए संसाधनों का अधिक दोहन;
- गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, कृषि, स्वच्छ जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, निर्वनीकरण तथा औद्योगिकीकरणी;
- भूमि का साफ करना जिसके कारण मृदा निम्नीकरण, प्रदूषण, जैव-विविधता की हानि, निर्वनीकरण, मरूस्थलीकरण, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है; एवं
- बढ़ती हुई बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी संकट, सशस्त्र लड़ाइयां, शहरीकरण, गरीबी तथा आय की असामानता जैसे कारकों के कारण सामाजिक अपकर्षण।

पाठगत प्रश्न 25.1.1

1. "धारणीय विकास" को परिभाषित करें।
2. धारणीय विकास के समक्ष कौन से संकट हैं?

25.1.2 धारणीय विकास के घटक क्या हैं?

धारणीयता के विभिन्न घटकों को तीन शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तीनों क्षेत्रों में धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र विद्यमान हो। ये संस्थागत तंत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणिक धारणियता प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर निरंतर, संगठित तथा समन्वयित प्रयास किए जाएं। इसमें केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग शामिल हैं।

आगामी खंडों में दर्शाए गए चित्र अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के विभिन्न भागों को दर्शाते हैं, धारणीय विकास के लिए जिन्हें लक्ष्य बनाया गया है।

चित्र 2 अर्थव्यवस्था के व्यापक घटाकों को दर्शाता है। चित्र 3 समाज के व्यापक घटकों को तथा चित्र 4 पर्यावरण के व्यापक घटाकों को दर्शाता है।

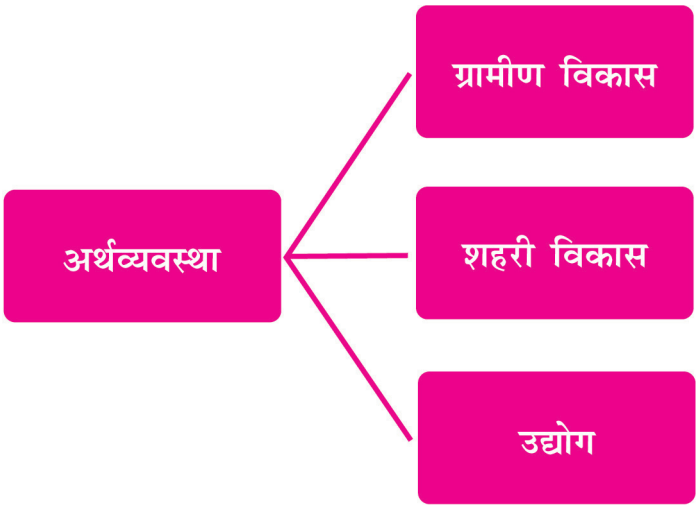

चित्र 2: अर्थव्यवस्था के धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्र

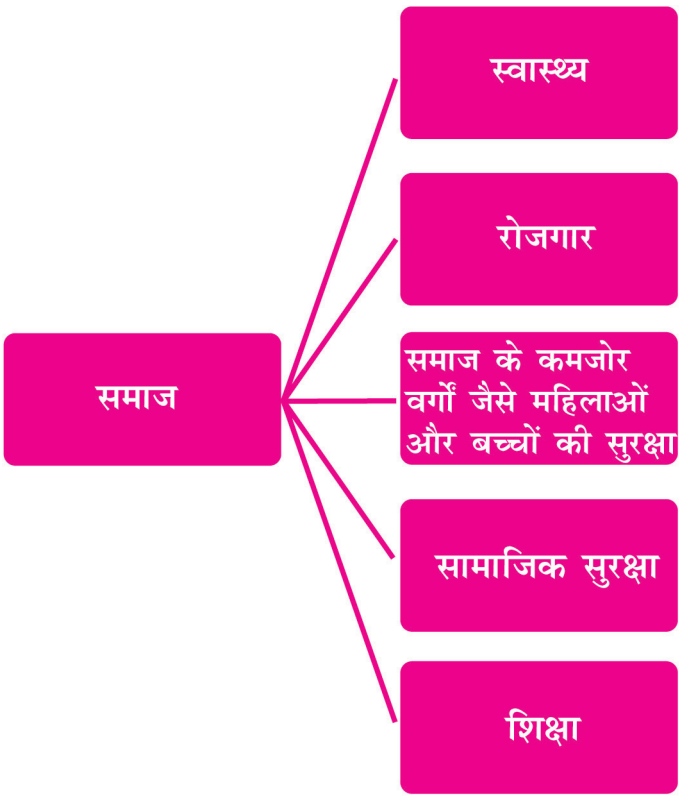

चित्र 3: समाज में धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्र

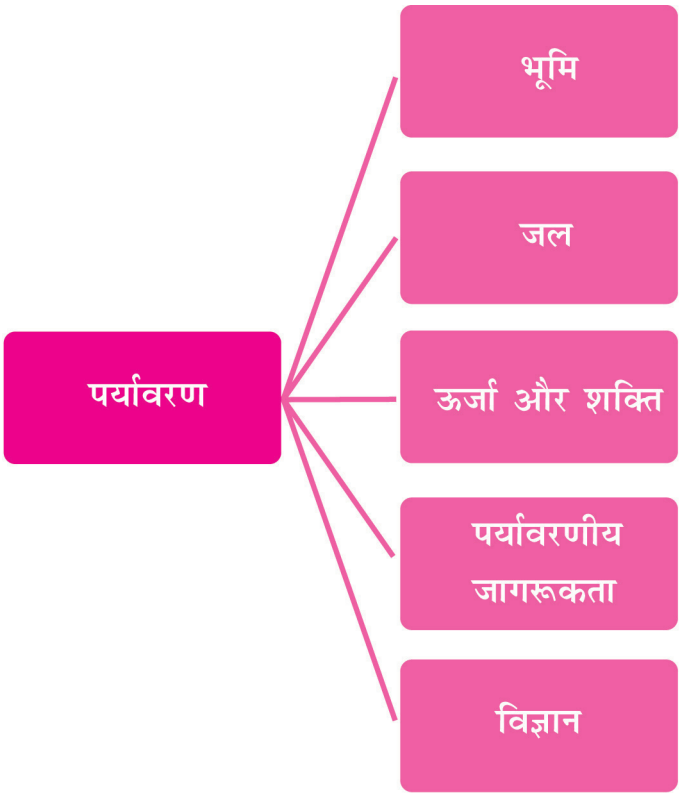

चित्र 4: समाज में धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्र

सन् 1980 के आसपास भारतीय कानून प्रणाली ने विशेष रूप से पर्यावरणीय कानून के क्षेत्र में अपने परम्परागत परिदृश्य की दृष्टि से व्यापक परिवर्तन किए थे और इसे न केवल प्रशासन तथा 'विधायी सक्रीयतावाद' ने बल्कि 'न्यायिक सक्रियतावाद' ने भी द्वारा चिहिन्त किया गया था। ''न्यायिक सक्रियतावाद'' से तात्पर्य संवैधिनिक अधिकारों के नए और सृजनात्मक व्याख्यान को अपना कर इसनी परिधि में विस्तार करके भरतीय न्यायालयों द्वारा सक्रीय भूमिका से है। प्रशासिनिक एजेंसियों की शक्तियों और कार्यों के क्षेत्र का निर्धारण करने और पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, न्यायालयों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और भविष्य में भी करते रहेंगे। न्यायालायों की इस सक्रियतावाद को जन हित याचिका (पीआईएल)

पाठगत प्रश्न 25.1.2

1. धारणीय विकास के घटक कौन से हैं?
2. क्या आप अर्थव्यवस्था के धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं?
3. कौन सा मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को देखता है?
4. उदाहरण देकर बताएं कि पर्यावरण के निम्नीकरण को किस प्रकार कम किया जा सकता है।

25.2 उत्पति और विकास (रूस्टॉकहोम से रियो तक)

25.2.1 स्टॉकहोम घोषणा 1972

वैश्विक अंतर-सरकारी कार्य सन् 1972 में स्टॉकहोल्म में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से आरम्भ हुए। इस सम्मेलन का परिणाम 'स्टॉकहोल्म घोषणा' और पर्यावरणीय आकलन, प्रबंधनतथा सहायक उपायों पर 100 से अधिक सिफारिशों पर कार्य योजना है। स्टॉकहोम का नारा था ''केवल एक पृथ्वी''। पर्यावरणिक परिचर्चा ''विकास की सीमाएं'' पर रोम क्लब की रिपोर्ट और आर्थिक विकास पर वार्ता (धारणीय विकास के अगुवा) पर केन्द्रित थी। इस रिपोर्ट में अप्रतिबंधित विकास के परिणामों और अनेक वैश्विक समस्याओं के बीच के संबंधों को दर्शाती है।

ब्रंटलैंड आयोग, 1983

'स्टॉकहोम घोषणा' के बाद की पर्यावरणिक चिंताए बढ रही थी। व्यापक स्तर पर निर्वनीकरण, औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरणिक अवक्रमण हो रहा था। आजोन छेद, पृथ्वी का गर्म होना, पर्यावरण में कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा में वृद्धि ने भी पर्यावरणीय चितांओं को बढाया है।

पर्यावरणिक मुद्दों को औद्योगिक विकास और वृद्धि के साथ जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ''पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग'' की स्थापना की थी और इसे सामान्य रूप से ''ब्रंटलैंड आयोग'' भी कहा जाता है। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर इन 1983' में धारणीय विकास को उसी रूप में परिभाषित किया गया है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है - ''अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विकास''।

'रियो घोषणा 1992' - 'एजेंडा 21'

स्टॉकहोम के बीस वर्षों के पश्चात सन् 1922 में रियो दी जिनेरो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे 'अर्थ समिट' भी कहा जाता है और इसमें 'रियो घोषणा' को स्वीकार किया गया था और 'एजेंडा 21' नामक 40 अध्यायों की कार्य योजना को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया।

'एजेंडा 21' को इक्कीसवी सदी में धारणीय विकास को प्राप्त करने की और अग्रसर किया गया था। 'रियो अवधारणा' को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

- पर्यावरण, समाज तथा अर्थव्यवस्था को समान महत्व;
- भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर-पीढ़िय एकता एकता;
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर वैश्विक सर्वसम्मति और राजनैतिक प्रतिबद्धता;
- गैर-सरकारी संगठनों की साझेदारी;
- सरकारों के लिए पर्यावरण एवं जनसंख्या की आवश्यकताओं के बी सन्तुलन बनाए रखने के लिए एक रूप-रेखा बना देना;

- 'रियो करारों' पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए धारणीय विकास पर एक आयोग की स्थापना की गई थी और यह स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर 'अर्थ समिट' के करारों की मॉनीटरिंग करता है।

रियो शिखर सम्मेलन

रियो शिखर सम्मेलन के पश्चात धारणीय विकास के संबंध में अनेक अन्य सम्मेलन आयोजित हुए। इन सम्मेलनों में शामिल हैं - 'सन् 1994 में बार्बाडोस में ''छोटे महाद्वीप विकासशील राष्ट्रों के धारणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन : सन् 1995 में कॉपिंगम में ''सामाजिक विकास पर विश्व शिखरसम्मेलन'' : सन् 1995 में बीजिंग में ''चौथा महिला विश्व सम्मेलन'' तथा सन् 1996 में इस्तांबुल में ''मानव बस्तियों पर दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट-II''.

इसका मुख्य ध्येय पर्यावरणिक प्रणाली के सभी भागों, चाहे वह भूमि, जल या वायु हो, में धारणीय विकास के पथ का अनुसरण करनाथा। प्रयास यह भी थे कि समाज में समग्र विकास हो, जो कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों या गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचे।

'अर्थ समिट' की प्रगति की पांच वर्षीय समीक्षा करने के लिए सन् 1997 में संयुक्त राष्ट्र जनरल एसेंबली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात दस वर्षीय समीक्षा के लिए सन् 2002 में धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसएसडी) आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रों से अनुरोध किया गया था कि वे धारणीय विकास के लिए नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए के लिए कार्य करें और इन्हें सन् 2005 से क्रियान्वित करें।

पाठगत प्रश्न 25.2.1

1. स्टॉकहोम घोषणा की मुख्य विषयवस्तु क्या है?
2. धारणीय विकास आयोग स्थापना क्यों की गई थी?
3. डब्ल्यूएसएसडी (WSSD) से क्या तात्पर्य है और इसकी कार्य सूची क्या है?

25.2.2 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

सन् 2003 में विश्व के नेतृत्व की सबसे बड़ी बैठक में सन 2015 तक गरीबी, भूख, रोग, निरक्षरता, पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव से लड़ने के लिए समयबद्ध तथा निर्णायक लक्ष्यों के समूह पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसे ''सहस्राब्दी विकास लक्ष्य'' कहा गया है।

कुछ देशों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और करारों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार प्रस्तुत है :

सन् 2004 में दिल्ली ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सिविल सोसाइटी के दबाव के कारण शहरी बसों तथा ऑटो रिक्शाओं में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है।

सन् 2005 में, **'क्योटा प्रोटोकॉल'** के अंतर्गत करार किया गया जो विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लक्ष्य निर्धारित करने और विकासशील देशों के लिए स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

सन् 2007 में **'मांट्रियल प्रोटोकॉल'** के तहत उन तथ्यों के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो ओजोन परत को समाप्त कर रहे हैं। देशों में हाईड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन (HCFC) के प्रयोग को चरणबद्ध आधार पर समाप्त करने पर सहमति हुई थी। नासा (NASA) बताया है कि आजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है क्योंकि **'मांट्रियल प्रोटोकॉल'** के समाप्त किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप सीएफसी की सांद्रता में कमी हुई है।

सन् 2008 में, **'हरित अर्थव्यवस्था'** के दृष्टिकोण ने मुख्य धारा में प्रवेश किया। राष्ट्रीय सरकारों ने पर्यावरणीय कार्यों को आगे और विकसित करने के लिए अधिक निधियों का आवंटन किया और हरित विकास भावी अर्थव्यवस्था के लिए नए उद्देश्य बन गए। सन् 2008 में विज्ञानिकों ने यह भी पाया पर्यावरणीय कार्बन-डाईआक्साइड के स्तरों में वृद्धि होने के कारण महासागरों में अधिक अम्ल विकसित हो रहा है। विज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि इसके पृथ्वी की पारितंत्र (ecosystem) पर घातक परिणाम होंगे।

सन् 2009 में **'कॉपिंगम जलवायु वार्ताएं'** आयोजित की गईं। बहरहाल, इसमें भाग लेने वाले देश सन् 2012 (क्योटा प्रोटोकाल की समय सीमा) के उपरांत नए उत्सर्जन निवारण प्रतिबंधों संबंधी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि उत्सर्जनों को कम करने का केन्द्र अब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की ओर मुड़ गया था।

सन् 2009 में जी **20 पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन** आयोजित किया गया। जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल और डीजन को और अधिक बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि इन ईंधनों के प्रयोग को धीर-धीरे समाप्त किया जा सके। इस सम्मेलन में सेबसे गरीब लोगोंके लिए लक्षित सहायता उपलब्ध कराने पर भी सहमति हुई।

सन् 2011 में **'डर्बन'** में वातावरण परिवर्तन वार्ताएं आयोजित की गईं थीं। इन वार्ताओं में **'क्योटा सम्मेलन'** से एक कदम आगे बढते हुए अंतरराष्ट्रीय करार स्थापित करने की और कदम बढ़ाया गया था। विकसित तथा अनेक विकासशील देशों सहित सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर सहमति व्यक्त की थी।

सन् 2012 में **'सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों'** के सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त किया गया था जो कि 2015 की अपने लक्षित समयसीमा से पहले पूरा कर लिया गया था : विश्वभर में बिना सुरक्षित जल की सुविधा के अभाव वाले लोगों संख्या को आधा कर दिया गया था।

सन् 2012 में **दोहा में संयुक्त राष्ट्र वातावरण परिवर्तन सम्मेलन** आयोजित किया गया था। इस सम्मेलने में 2012 में समाप्त होने वाले क्योटो प्रोटोकाल को 2020 तक बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। यह भी सहमति हुई थी कि डर्बन में हुए करार को परिवर्तित करके 2015 तक किया जाएगा और इसे 2020 तक क्रियान्वित किया जाएगा।

सन् 1972 के **स्टॉकहोम घोषणा** से लेकर सन् 2012 में दोहा में आयोजित नवीनतम सम्मेलन तक लगभग चालीस वर्ष बीत चुके हैं। हम अपने गृह को हरा बनाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को विकसित करने में सक्रीय रूप से शामिल हैं। विश्व, एक इकाई के रूप में भूख, बीमारी, निरक्षरता, असमानता को कम करने और ऐसी ही अनेक समस्याओं से लड़ने के प्रति प्रतिबद्ध है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें और वो भी बिना भावी पीढ़ी की कीमत पर।

पाठगत प्रश्न 25.2.2

1. **''सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों''** से आपका क्या तात्पर्य है?
2. **''क्योटा-प्रोटोकॉल''** क्या है?
3. किसी प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्र हाईड्रो-क्लोरोफ्लोरो कार्बन को समाप्त करने पर सहमत हुए थे?
4. कहां और कब विभिन्न राष्ट्र 2012 में समाप्त होने वाले **'क्योटो प्रोटोकॉल'** को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे।

25.3 धारणीय विकास की आवश्यकता

विश्व समग्र रूप से पर्यावरणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति अटल है। धारणीय विकास की कार्यसूची भी समग्र विकास पर आधारति है। इसका अर्थ है कि विकास के प्रारूप में समाज के सभी वर्ग -प्रबुद्ध, गरीब, पुरूष तथा महिलाएं सभी शामिल हैं। विकास का इस प्रकार का प्रारूप पारितंत्र की विविधता के संरक्षिण की आवश्यकता पर आधारित है। धारणीय विकास में शामिल हैं :

- भूमि, स्वच्छ-जल और समुद्रीय प्रणालियों में जैविक विवधता का संरक्षण;
- संसाधनों का धारणीय उपयोग और संसाधनों के विनाश को न्यूनतम बनाना;
- पर्यावरण का ध्यान रखना;
- सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र सहित जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना;
- प्राकृतिक पूंजी अर्थात नवीकरणीय तथा नश्वर संसाधनों का संरक्षण;
- प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण;
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और अपशिष्ट के समावेशन पर सीमाएं;
- सभी समाजों द्वारा संसाधनों के उपयोग में कुशलता;
- गरीबी उन्मूलन तथा लिंग समानता के द्वारा सामाजिक समानता;
- पर्यावरणीय - ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना;
- ओजोन हानिकारक तत्वों के प्रयोग में कमी;

- रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करना;
- मरूस्थलीकरण को रोकना; एवं
- निर्वनीकरण को रोकना।

पाठगत प्रश्न 25.3

1. ''धारणीय विकास'' की आवश्यकता क्यों है? धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन्ही दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख करें।
2. धारणीय विकास की कार्यसूची (Agenda) क्या है?

25.4 भारतीय कानून में धारणीय विकास

स्टॉकहोम और रियो सम्मेलनों के पश्चात विश्वभर के देशों ने धारणीय विकास के तीन स्तंभों से संबंधित अनेक कानूनों को अपनाया है। भारत ने भी इस संबंध में अनेक कानूनों को लागू किया है। बहरहाल, जहां तक कानून का लागू करने का प्रश्न है संबंधित राष्ट्र इन कानूनों के क्रियान्वयन या गैर-क्रियान्वयन के लिए हिचकिचाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह कहा है कि भारतीय कानून उन अंतरराष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों से बाध्य है जिनमें वह एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष है।

प्रायरू भारत में न्यायपालिका कानून के क्रियान्वयन में आगे रहती है। धारणीय विकास पर भारतीय कानून को चार विशिष्ट किन्तु अतिव्यापी चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये चरण निम्नानुसार हैं :

25.4.1 प्रथम चरण (1972-1983)

इस चरण में पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यह चरण व्यापक स्तर पर सन् 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रभावित था जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना अपेक्षित था। वन्य जीवन को सुरक्षित रखने तथा जल व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन और विधानों का निर्माण इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।

हमारी न्यायपालिका में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायलय में अपील करने का अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के **अनुच्छेद-226** में नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय को इस संबंध में विभिन्न आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों का लागू करनाने के लिए भारत के नागरिक भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 32** का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान का **अनुच्छेद 21** नागरिकों के एक

महत्वपूर्ण मालिक अधिकारकीगारंटी प्रदान करता है और उसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 21 में निहित इस ''जीवन के अधिकार'' को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अत्यंत व्यापक व्याख्या प्रदान की गई है। राज्य नीति के एक निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 48-क में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की संरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति प्रयासरत रहेगा।

भारत ने सन् 1976 में संविधान में **42वें संशोधन** को क्रियान्वित किया था। इस संशोधन के माध्यम से **अनुच्छेद 48**-क लागू किया गया, जिसके तहत पर्यावरण, वनों और वन्यजीवन का संरक्षण व संवर्धन राज्य नीति का निर्देशाक सिद्धांतों का भाग बन गया। **अनुच्छेद 51क (छ)** के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को सभी नागररिकों का मौलिक दायित्व बना दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण से संबंधित अनेक अधिनियमों का सृजन किया गया था अर्थात वन्यजीवन (संरक्षण अधिनियिम), 1972, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.

25.4.2 दूसरा चरण (1984-1997)

इस चरण में सामाजिक समानता और न्याया पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। सन् 1984 में **'भोपाल गैस त्रासदी'** की प्रतिक्रिया के रूप में न्यायिक सक्रीयतावाद में व्यापक वृद्धि हुई जिंसके परिणामस्वरूप मौजूदा कानूनों और विधानों की पुन:व्याख्या हुई।

सन् 1987 में **'वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981'** में प्रमुख आशोधन किए। 1991 में अधिसूचित जोखिमपूर्ण पदार्थों की हैंडलिंग से हुई दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को **''अदोष आधार पर''** तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जन दायित्व बीमा अधिनियम तैयार किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक पदार्थों का कार्यकरने वाले सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे पीड़ितों को या सम्पत्ति को क्षति से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए लोक दायित्व बीमा ले।

'रियो घोषणा', जिसमें सभी राष्ट्रों को प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय खतरों से पीड़ितों के प्रतिदायित्वों और क्षतिपूर्ति संबंधी काननों को विकसित करने का कहा गया था, की प्रतिक्रिया में दो अधिनियमों को बनाया गया था अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (निरस्त) तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम। इन्हें बाद में निरस्त करके नए **'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण' अधिनियम, 2010** द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

सन् 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) बनाया गया था। इस अधिनियम का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और यह प्रदूषण को स्रोत पर ही रोकने तथा प्रदूषक द्वारा प्रदूषण के लिए भुगतान किए जाने के सिद्धांत पर कार्य करता है और नीति निर्धारण में जनसाधारण की भागीदारी पर भी बल देता है। सन् 1994 में पर्यावरणप्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना जारी की गई थी, इसे 2006 में संशोधित किया गया था और अद्यतन संशोधन 2009 में जारी किया गया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन के अंतर्गत अनेक गतिविधियों और उद्योगों के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस लेना अनिवार्य है जिसमें प्रक्रिया के अनुसार जनसाधारण की भागीदारी भी

शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से **'रियो'** के पश्चात इनमें से अनेक पर्यावरणीय सिद्धांतों को अनुच्छेद 21 (दायें से बाएं) के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है।

पर्यावरण के संरक्षाण और प्रदूषण के निवारण के लिए अन्य विधान तैयार किया गया है अर्थात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ताकि वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

पाठगत प्रश्न 25.4.1 और 25.4.2

1. भारत में पर्यावरण कानून के प्रथम चरण में किस ओर ध्यान केन्द्रित किया गया था?
2. संविधान के अनुच्छेद 51क (छ) के महत्व का उल्लेख करें।
3. 'भोपाल गैस त्रासदी' कब हुई थी?
4. 'रियों घोषणा' पर भारतीय विधि निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया थी?

25.4.3 तीसरा चरण (1998-2004)

तीसरा चरण सन् 1998 में भारत की विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की सदस्यता से संबंधित है। इस चरण में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के साथ आर्थिक विकास को संयोजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। जैविक विवधता सम्मेलन (सीबीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (टीआरआईपीएस) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर करार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाए गए और मौजूदा विधानों में संशोधन किए गए।

'जैविक विवधता सम्मेलन (CBD)' के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए **जैविक विवधता अधिनियम, 2002** पारित किया गया। विधानों का उद्देश्य देशों का अपने आनुवांशिक तथा जैविक संसाधनों पर स्वायत्त अधिकारों को सुनिश्चित करना और स्वदेशी ज्ञान के धारकों द्वारा जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करना है।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 में वस्तुओं के स्वदीशी ज्ञान के दुर्विनियोजना को रोकने के लिए उसे गैर-पेटेंटीय बनाकर उसके संरक्ष्ण का प्रावधान है। वस्तुओं के भौगोलिक लक्षण (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में ग्रामीण तथा स्वदेशी समुदायों में उनके विशिष्ट उत्पादों के संयुक्त अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत इस चरण में अपशिष्ट प्रबंधन और पदार्थों जैसे प्लास्टिक आदि की रीसाइकलिंग से संबंधित अनेक गौण विधानों को भी पारित किया गया था। इनमें शामिल हैं :

- नगरपालिका स्थूल अपशिष्ट (प्रबंधन और सम्भलाई) नियम, 2000;
- पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और प्रयोग नियम, 1999;

टिप्पणी

- खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण ओर आयात (संशोधन) नियम, 2000;
- बैटरी (प्रबंधन और सम्भलाई) नियम, 2001;
- ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000;
- जल प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान करने के लिए अनेक अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं; एवं
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000.

इस चरण में ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के अक्षय (renewable energy) स्रोतों के प्रयोग पर बल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** बनाया गया जिसने ऊर्जा कुशलता ब्यूरों की भी स्थापना की। विद्युत अधिनियम, 2003 में ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर विकास को सुनिश्चित करने और अक्षय ऊर्जा के प्रयोग पर बल दिया गया।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत, **'प्रतिपूरक वनारोपण प्रबंधन तथा नियोजन एजेंसी' की स्थापना सन् 2004** में की गई थी ताकि वनारोपणस के माध्यम से निर्वनीकरण के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

25.4.4 चौथा चरण (2005 तथा आगे)

यह चरण अग्रसक्रीय अधिकार आधारित दृष्टिकोण से चिन्हित है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से असहाय वर्ग, के अधिकारोंको सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जाता है। इनमें ये विधान शामिल हैं : मानवाधिकार अधिनियम, 2003; निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम, 1995।

उदाहरण के लिए पारम्परिक वन निवासियों के अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 में संहिताबद्ध किया गया है। अधिनियम में वन निवासियों की आवश्यकताओं को वन्यजीवन और वनों के संरक्षण की आवश्यकता के साथ समायोजित करने पर बल दिया गया है। वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को सन् 2002 में संशोधित किया गया था और इसमें राष्ट्रीय उद्यानों और सेंचुरीयों के आसपास प्रतिरोधकों के प्रबंधन और श्सामुदायिक आरक्षित निधियोंश की अवधारणा आरंभ करने को कहा गया है।

इस चरण में पर्यावरण प्रभाव आकलन के माध्यम से पर्यावरण पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रहा है।

2006 की अधिसूचना और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, सम्भलाई और ट्रांसबाउंडरी संचलन) नियम, 2008। 2011 में इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट के प्रबंधन की पर्यावरणीय सुदृढ विधियों के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और सम्भलाई) नियमों को अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 2010 में कोशिश की गई है कि रियो में किए गए वादों को पूरा गया जाएक और पर्यावरणीय संरक्षण,वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का

प्रभावपूर्ण तथा तीव्र निपटान किया जाए और क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। भारत में न्यायपालिका को कानून के व्याख्याता तथा जन हित याचिकाओंके माध्यम से कानून के क्रियान्वयन की भूमिका अदा करनी होगी।

भारतीय न्यायपालिका, सामान्य रूप से, राष्ट्र के मौजूदा कानून के अतिरिक्त लोक-न्यास के सिद्धांत, पूर्वोपाय के सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, कड़े वघनिरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत कठोर क्षति सिद्धांत, प्रदूषण दंड सिद्धांत और अन्तररूपीढ़ीय भागीदारी सिद्धांत पर निर्भरहै।

पाठगत प्रश्न 25.4.3 और 25.4.4

1. तीसरे चरण में भारतीय कानून का ध्यान किस ओर केन्द्रित है?
2. जैविक विविधता अधिनियम के मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन का वर्णन करें।
3. किस अधिनियम के अंतर्गत हम समुदायों के स्वदेशी ज्ञान के दुर्विनियोजन का निवारण कर सकते हैं?
4. 'अधिकार आधारित परिदृश्य' से आप क्या समझते हैं।

आपने क्या सीखा

''धारणीय विकास'' प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा उपयोग की दर से संबंधित है। आज यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग उस दर से न करें जिससे कि उन्हें दीर्घकाल के लिए बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना संभव न हो।

धारणीयता विश्व के उस एकीकृत विचार को महत्व प्रदान करती है जो समुदाय की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज को जोड़ता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्था समाज के भीतर ही विद्यमान होती है और समाज पृथ्वी की पर्यावरणीय प्रणाली के भीतर विद्यमान है।

धारणीय विकास की उत्पत्ति सन् 1972 में स्टॉकहोल्म में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुए और 2012 में दोहा तक जारी रही।

धारणीय विकास पर कानूनों का निर्माण 1972 से आगे चार चरणों में हुआ। प्रथम चरण : 1972-1983, दूसरा चरण : 1984-1997, तीसरा चरण : 1998-2007 और चौथा चरण : 2005 और आगे।

धारणीयता को प्राप्त करनेमें संरचित संस्थानों जैये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय संरक्षण में भारत में न्यायपालिका की भूमिका सराहनीय है।

पाठांत प्रश्न

1. ''धारणीय विकास'' की अवधारणा का वर्णन करें।
2. 'बंटलैंड रिपोर्ट' क्या है? इसमें धारणीयता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
3. धारणीयता के तीन घटकों को उजागर करने वाले उदाहरणों के माध्यम से 'धारणीय विकास' का वर्णन करें।
4. अधारणीयता के कारणों की पहचान करें।
5. हमें 'धारणीय विकास' की आवश्यकता क्यों है?
6. धारणीयता को प्राप्त करने में संस्थागत तंत्रों का क्या महत्व है?
7. 'स्टॉकहोम घोषणा' की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व का वर्णन करें।
8. 'रियो घोषणा- एजेंडा 21' की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें।
9. धारणीय विकास पर विश्व शिखर-सम्मेलन (डब्ल्यू.एस.एस.डी) के महत्व पर चर्चा करें।
10. भारतीय पर्यावरणीय कानून के प्रथम चरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें।
11. 1984-1997 के दौरान दूसरे चरण में पर्यावरण पर कानूनों के निर्माण में 'भूपाल गैस त्रासदी' के प्रभाव को दर्शाएं।
12. भारतीय पर्यावरणीय कानून के तीसरे और चौथे चरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

25.1.1

1. ''धारणीय विकास वह विकास है जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है''

   ''धारणीय विकास'' प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा उपयोग की दर से संबंधित है। आज यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग उस दर से न करें जिससे कि उन्हें दीर्घकाल के लिए बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना संभव न हो।

2. अधारणीयता के कुछ कारण निम्नानुसार हैं :

   i. मानव जनसंख्या में वृद्धि;

   ii. मनुष्य की आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारा और घर को पूरा करने के लिए संसाधनों का अधिक दोहन;

   iii. गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, कृषि, स्वच्छ जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, निर्वनीकरण तथा औद्योगिकीकरणी।

   iv. भूमि का साफ करना जिसके कारण मृदा निम्नीकरण, प्रदूषण, जैव-विविधता की हानि, निर्वनीकरण, मरूस्थलीकरण, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है।

   v. बढ़ती हुई बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी संकट, सशस्त्र लड़ाइयां, शहरीकरण, गरीबी तथा आय की असामानता जैसे कारकों के कारण सामाजिक अपकर्षण।

25.1.2

1. धारणीयता के घटक हैं - अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज।

2. आर्थिक विकास के कुछ लक्षित क्षेत्र हैं- ग्रामीण विकास, शहरी विकास और उद्योग।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है।

4. **'पर्यावरणीय निम्नीकरण'** (Environmental degrations) के निवारण के लिए हम किसानों को पर्यावरण-सहिष्णु कृषि पद्धतियां सिखा सकते हैं जैसे फसल चक्र, प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशक।

25.2.1

1. **'स्टॉकहोम घोषणा',** 1972 में अप्रतिबंधित विकास के परिणामों तथा अनेक वैश्विक समस्याओं के बीच संबंधों को उजागर किया गया था।

2. **'रिया करारों'** पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए धारणीय विकास पर एक आयोग की स्थापना की गई थी और यह स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अर्थ समिट के करारों की मॉनीटरिंग करता है।

25.2.2

1. सन् 2005 में, **'क्योटा प्रोटोकॉल'** के अंतर्गत करार किया गया जो विकसित देशों को 'ग्रीनहाउस गैस' के उत्सर्जन में कमी लक्ष्य निर्धारित करने और विकासशील देशों के लिए स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

2. सन् 2007 में **'मांट्रियल प्रोटोकॉल'** के तहत उन तथ्यों के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो ओजोन परत को समाप्त कर रहे हैं। देशों में हाईड्रो क्लोरोफ्लोरो

कार्बन (HCFC) के प्रयोग को चरणबद्ध आधार पर समाप्त करने पर सहमति हुई थी।

3. दस वर्षीय समीक्षा के लिए सन् 2002 में **धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन (WSSD)** आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रों से अनुरोध किया गया था कि वे धारणीय विकास के लिए नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए के लिए कार्य करें और इन्हें सन् 2005 से क्रियान्वित करें।

4. सन् 2012 में **दोहा में संयुक्त राष्ट्र वातावरण परिवर्तन सम्मेलन** आयोजित किया गया था। इस सम्मेलने में 2012 में समाप्त होने वाले क्योटो प्रोटोकाल को 2020 तक बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

25.3

1. धारणीय विकास द्वारा पर्यावरणीय प्रणाली की विविधता को संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। धारणीय विकास प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं :

   i. भूमि, स्वच्छ-जल और समुद्रीय प्रणालियों में जैविक विवधता का संरक्षण।

   ii. संसाधनों का धारणीय उपयोग और संसाधनों के विनाश को न्यूनतम बनाना।

2. धारणीय विकास की कार्यसूची भी समग्र विकास पर आधारति है। इसका अर्थ है कि विकास के प्रारूप में समाज के सभी वर्ग -प्रबुद्ध, गरीब, पुरूष तथा महिलाएं सभी शामिल हैं। विकास का इस प्रकार का प्रारूप पारितंत्र की विविधता के संरक्षिण की आवश्यकता पर आधारित है।

25.4.1 तथा 25.4.2

1. इस चरण में पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यह चरण व्यापक स्तर पर सन् 1972 के **'स्टॉकहोम सम्मेलन'** से प्रभावितथा जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के लिए पर्यावरण संरक्षणके उपायों को अपनाना अपेक्षित था। वन्य जीवन को सुरक्षित रखने तथा जल व वायु प्रदूषणको रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन और विधानों का निर्माण इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।

2. **अनुच्छेद 51क (छ)** के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को सभी नागररिकों का मौलिक दायित्व बना दिया गया है।

3. **'भोपाल गैस त्रासदी'** सन् 1984 में हुई थी।

4. **'रियो घोषणा'**, जिसमें सभी राष्ट्रोंको प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय खतरों से पीड़ितों के प्रतिदायित्वों और क्षतिपूर्ति संबंधी काननों को विकसित करने का कहा गया था, की प्रतिक्रिया में दो अधिनियमों को बनाया गया था अर्थात **राष्ट्रीय पर्यावरण**

न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (निरस्त) तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम। इन्हें बाद में निरस्त करके नए **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010** से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

25.4.3 तथा 25.4.4

1. इस चरण में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के साथ आर्थिक विकास को संयोजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। जैविक विवधता सम्मेलन (सीबीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (टीआरआईपीएस) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर करार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाए गए और मौजूदा विधानों में संशोधन किए गए।
2. जैविक विवधता सम्मेलन (सीबीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए **जैविक विवधता अधिनियम, 2002** पारित किया गया। विधानों का उद्देश्य देशों का अपने आनुवांशिक तथा जैविक संसाधनों पर स्वायत्त अधिकारों को सुनिश्चित करना और स्वदेशी ज्ञान के धारकों द्वारा जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करना है।
3. **पेटेंट (संशोधन) अधिनियम,** 2005 में वस्तुओं के स्वदीशी ज्ञान के दुर्विनियोजना को रोकने के लिए उसे गैर-पेटेंटीय बनाकर उसके संरक्ष्ण का प्रावधान है।
4. **'अधिकार आधारित दृष्टिकोण'** वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से असहाय वर्ग, के अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जाता है। इनमें ये विधान शामिल हैं : मानवाधिकार अधिनियम, 2003; निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम, 1995 ।

टिप्पणी

26

पर्यावरणीय काननू के सामान्य सिद्धांत

पर्यावरण का संरक्षण एक वैश्विक मुद्दा है क्योंकि यह सभी देशों से संबंधित हा जहां देश किसी भी आकार, स्तर, विकासव या विचारधारा से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है और अंतत: यह विश्व के पर्यावरणीय तंत्र (ecosystem) में परिवर्तन कर रहा है।

पर्यावरणीय तंत्र और अर्थव्यवस्था तथा उसकी धारणीयता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से पर्यावरणीय काननू के विकास पर दो मुख्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। पहला, स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 जिसे ''अर्थ समिट'' के नाम से जाना जाता है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन धारणीय विकास पर 'आर-10 सम्मेलन' था जो आर-10 घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। ''आर-10 सम्मेलन'' का मुख्य उद्देश्य पारितंत्र और अर्थव्यवस्था और उसकी धारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करना था।

भारत में, जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वनों व वन्यजीवन की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। ये कानून हैं : जल प्रदूषण अधिनियम, 1971; वायु प्रदूषण अधिनियम, 1971 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ।

वैश्विक पर्यावरणीय संकट ने आधुनिकता और उसके मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मनुष्य और अन्य प्रकार के जीवन के अस्तित्व का मुद्दा अत्यंत चिंता का विषय बन गया है। मौलिक पर्यावरणीय सिद्धांत जो श्पर्यावरण के आशीर्वादों का लाभ वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो और यह भावी पीढियों तक भी पहुंचे'' के सिद्धांत का अनुसरण करता है, एक धारणीय समाज का सृजन किया जाना चाहिए जहां मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरणीय दबाव को न्यूनतम किया जाए।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप :

- 'पर्यावरण' के अर्थ को जान पाएंगे;
- 'प्रदूषण के अर्थ' को समझ पाएंगे;

- 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' का वर्णन कर पाएंगे;
- जल प्रदूषण अधिनियम, 1971 के मुख्य प्रावधानों की सूची बना पाएंगे;
- वायु प्रदूषण अधिनियम, 1971 के मुख्य प्रावधानों की सूची बना पाएंगे;
- पर्यावरण संरक्षा अधिनियम, 1986 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कर पाएंगे;
- 'दोहरे दायित्व' के अर्थ को समझ पाएंगे;
- पूर्वोपाय सिद्धांत को परिभाषित कर पाएंगे।
- धर्मार्थ न्यास सिद्धांत की अवधारण का वर्णन कर पाएंगे; और
- 'धर्मार्थ न्यास सिद्धांत' का वर्णन कर पाएंगे।

26.1 पर्यावरण

शब्द 'पर्यावरण' से तात्पर्य जल, वायु तथा भूमि और इनके व मनुष्य, अन्य जीवों तथा पदार्थों के बीच के अंतर संबंध के कुल योग से है। शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण, "हमारे आसपास की कोई भी और हर कोई वस्तु पर्यावरण है"।

प्रदूषण

प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण में संदूषणों का समावेशन है जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन प्रस्तुत करता है। प्रदूषण रसायनिक तत्वों और ऊर्जा का रूप ले सकता है जैसे ध्वनि, ताप य प्रकाश। प्रदूषक जो कि प्रदूषण के घटक हैं, वे बाहरी तत्व ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से संदूषक हो सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, **एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ** (एआईआर 2000 एससी 1997) के मामले में प्रदूषण एक गलत नागरिक प्रक्रिया है, जो अपनी स्वयं की प्रकृति में समग्र रूप से समुदाय के विरूद्ध अपराध स्वरूप है। इसलिए, वह व्यक्ति जो प्रदूषण उत्पन्न करने का दोषी है, उसे पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को हुई क्षति को बहाल करने के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

पाठगत प्रश्न 26.1

1. 'पर्यावरण' को परिभाषित करें।
2. क्या आप 'प्रदूषण' शब्द के अर्थ को जानते हैं?

26.3 प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत

पर्यावरणीय कानून में, ''प्रदूशक द्वारा भुगतान का सिद्धांत'' का निर्माण प्रदूषणकर्ता पक्ष को प्राकृतिक पर्यावरण को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भूगतान करने के लिए किया गया था।

साधारण शब्दों में श्श्प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत सामान्यत् स्वीकार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए किए गए प्रबंधन की लागत को वहन करेगा।''

उदाहरण के लिए, अपनी गतिविधियों के उपोत्पादन के रूप में संभावित विशैले पदार्थों का उत्पादन करनेवाले एक फैक्टरी, इस विषैले पदार्थ के सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगी।

''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' को श्श्विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व'' भी कहा जाता है। यही वह अवधारणा है जिसे 1990 में स्विडिश सरकार के लिए थॉमस लिंडक्विस्ट द्वारा संभवत् पहली बार वर्णन किया गया था।

''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' का पहली बार प्रचार किए जाने का श्रेय **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)** को जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को इस प्रकार परिभाषित करता है : ''एक अवधारणाजहां उत्पादों के विनिर्माता और आयातकर्ता'' उत्पाद के सम्पूर्ण जीवन-चक्र के दौरान अपने उत्पादों के पर्यावरणीयप्रभावों के लिए व्यापक स्तर तक उत्तरदायित्व को वहन करेंगे और उत्पादों के जीवन-चक्र में उत्पादों के लिए सामग्रियों के चयन में पड़ने वाले अपस्ट्रीम प्रभाव, विनिर्माता की विनिर्माण प्रक्रिया से प्रभाव, और उत्पादों के प्रयोग और निपटान से अनुप्रवाह प्रभाव।

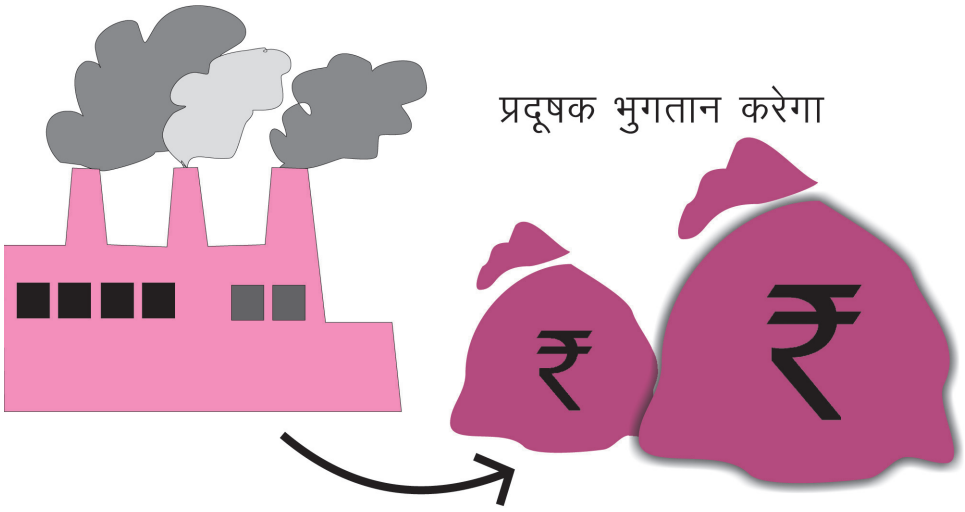

चित्र 1: प्रदूषक भुगतान करेगा

भारत के उच्चतम न्यायालय ने **'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'** की व्याख्या इस प्रकार की है- पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए निरपेक्ष दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है जो न केवल प्रदूषण के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के स्तर तक सीमित है बल्कि पर्यावरण की निम्नीकरण की बहाली की लागत भी शामिल है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 सुस्पष्ट रूप से सरकार को "सभी ऐसे उपायों को करने, की शक्ति प्रदान करता है जो पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण या सुधार के प्रयोज ने आवश्यक या उचित समझा जाए।"

इस प्रकार, इसमें पर्यावरणीय लागत के साथ साथ लोगों या सम्पति को होने वाली प्रत्यक्ष हानि की लागत भी शामिल है। इस प्रकार, इसका अर्थ है कि प्रदूषक द्वारा प्रदूषण की लागत को वहन करना होगा क्योंकि प्रदूषक उसके लिए उत्तरदायी है।

'प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत' को **यूरोपीय समुदाय संधि** में शामिल किया गया है। संधि के नियम 2 के अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि पर्यावरणीय विवेचन को समुदाय की सभी नीतियों का के भाग के रूप में कार्य करेंगे और इस कार्य को तीन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए:

i. निवारक कार्रवाई की आवश्यकता;

ii. स्रोत पर ही पर्यावरणीय क्षति को ठीक किए जाने की आवश्यकता;

iii. प्रदूषक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को **रियो घोषणा** 1992 में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया था। घोषणा का सिद्धांत 16 घोषणा करता है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बाधित किए बिना इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कि प्रदूषक प्रदूषण की लागत को वहन करेगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण पर्यावरणीय लागतों के अंतरराष्ट्रीयकरण के संवर्धन और आर्थिक साधनों के प्रयोग के संबंध में प्रयास करेंगे।

पाठगत प्रश्न 26.2

1. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' का वर्णन करें?
2. रियो घोषणा 1992 के सिद्धांत 16 की चर्चा करें।

26.3 दोहरा दायित्व

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषक पर दोहरा दायित्व डालता है अर्थात :

(i) प्रदूषण के पीड़ित को क्षतिपूर्ति; और

(ii) पर्यावरणीय परावर्तन

किन्तु प्रदूषण पर इसके विभिन्न प्रभावों के बावजूद 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' की विचारधारा इस रूप में सीमित है कि इसका प्रयोग केवल निवारक स्तर पर किया जा सकता है अर्थात प्रदूषण हो जाने के पश्चात ही। इसका अर्थ है कि 'एक व्यक्ति प्रदूषण कर सकता है और उसके बाद उसके लिए भुगतान कर दे।'

पाठगत प्रश्न 26.3

1. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषक पर दोहरे दायित्व स्थापित करता है।

(सही/गलत)

2. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' केवल प्रदूषण हो जाने के पश्चात ही लागू होता है। (सही/गलत)

26.4 पूर्वोपाय सिद्धांत

'पूर्वोपाय सिद्धांत' यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि कोई विकास प्रक्रिया धारणीय है या नहीं। पूर्वोपाय सिद्धांत धारणीय विकास का अधार प्रस्तुत करता है जिसके लिए यह आवश्यक है कि विकासात्मक गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए यदि ये पर्यावरण के लिए गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षतियां उत्पन्न करती हैं।

पर्यावरण सुरक्षा

चित्र 2: पर्यावरण को संरक्षित रखें

पूर्वोपाय सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य या गतिविधि जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने से पूर्व रोक देना चाहिए, चहे उनके संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्षय जुड़े ना भी होंग कि वह विशिष्ट पदार्थ या गतिविधि पर्यावरण के लिए घातक है।

विज्ञान की अपर्याप्ता ही पूर्वोपाय सिद्धांत की उत्पत्ति का वास्तविक आधार है।यह सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि सावधानी और पर्यावरणीय निवारण क्षति की ओर रहना बेहतर होता जो अंतत् अपरिवर्तित हो जाता है।

पूर्वोपाय सिद्धांत को 1992 में रियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। **'रियो घोषणा' के सिद्धांत 15 में कहा गया है कि :**

''पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, राष्ट्रों को अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यापक स्तर पर पूर्वोपाय के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जहां खतरे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय निम्नीकरण के समान गंभीर हों।''

भारत के उच्चतम न्यायालय ने वेल्लूर नागरिक फोरम बनाम भारत सां के मामले में निर्णय दिया है कि पूर्वोपाय सिद्धांत देश में पर्यावरणीय कानून का एक भाग हैं।

पूर्वोपाय सिद्धांत (Precautionary Principle)

पूर्वोपाय सिद्धांत के अनिवार्य तत्व हैं :

- राज्य सरकार तथा सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरणीय उपाय जैसे राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण (Environment degradation) के कारणों का पता लगाना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए तथा उन्हें समाप्त करना चाहिए।
- जहां पर्यावरण को गंभीर तथा अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो वहां विज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीलय निम्नीकरण के निवारण के उपायों को लंबित किए जाने का कारण नहीं बनाना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 26.4

1. 'पूर्वोपाय सिद्धांत' को परिभाषित करें।
2. पूर्वोपाय सिद्धांत के दो अनिवार्य तत्वों की पहचान करें।

26.5 लोक न्यास (Public Trust) का सिद्धांत

'लोक न्यास का सिद्धांत' इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ संसाधनों को जन उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, और सरकार द्वारा उन्हें युक्तिसंगत सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

प्राचीन रोम साम्राज्य ने एक कानूनी सिद्धांत को विकसित किया था : **''लोक न्यास का सिद्धांत''**, जिसका प्रतिपादन इस विचारधारा के साथ किया गया था कि कुछ सामान्य परिसंपत्तियां जैसे नदियों, समुद्रतटों, वनों और वायुक्षेत्र सरकार के अधिकारक्षेत्र में रहेंगी जो कि जन-साधारण मे निशुल्क और अप्रतिबंधित प्रयोग के लिए होंगी।

लोक न्यास सिद्धांत मूल रूप से इस अवधारण पर आधारित है कि कतिपय संसाधन जैसे वायु, समुद्र जल तथा वनों को समग्र रूप से लोगों के लिए इतना अधिक महत्व है कि उसे निजी स्वामित्व में दिया जाना पूर्णत अन्यायसंगत होगा। ये संसाधन प्रकृति द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं और इन्हें सभी लोगों के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए चहे वे लोग जीवन के इसी भी स्तर के क्यों न हों। यह सिद्धांत सरकार के लिए यह अपेक्षित बनाता है कि वह इन संसाधनों को जन-साधारण के मनोरंजन व उपयोग के लिए संरक्षित रखे न कि निजी स्वामित्व या वाणिज्यिक उद्देश्यों के प्रयोग की अनुमति प्रदान करे।

राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का ''ट्रस्टी(न्यासी)'' है जो प्रकृति द्वारा जन उपयोग और मनोरंजन के लिए प्रदान किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर समुद्र-तटों, बहते हुए पानी, वायु, वन तथा पर्यावरणीय रूप से भंगुर भूमियां जनसाधारण के लाभ के लिए हैं। जन उपयोग के लिए निर्धारित इन संसाधनों को निजी स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चूंकि नदियां, वन, खनिज और ऐसे अन्य संसाधन राष्ट्र की प्राकृति संपदा का भाग है, इसलिए इन संसाधनों को एक ही पीढ़ी द्वारा गवांया या दोहन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक पीढ़ी सभी आगामी

पीढ़ियों को यह दायित्व सौंपती है कि वह यथासंभव सर्वोत्तम रूप से राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों को विकसित और संरक्षित करे। यह राष्ट्र के साथ साथ मानव जाति के हित में भी है। इसप्रकार, लोक-न्यास का सिद्धांत देश के कानून का एक भाग है। न्यायालय भी यह कहता है कि भारत में सभी पर्यावरणीय प्रणालियों में लोक-न्यास के सिद्धांत के अनुप्रयोग को खारिज करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

इस सिद्धांत का उल्लेख पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में ''लोक-न्यास सिद्धांत'' को लागू करते समय किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि लोक-न्यास का सिद्धांत मौलिक रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि कतिपय संसाधन जैसे वायु, समुद्र जल तथा वनों को समग्र रूप से लोगों के लिए इतना अधिक महत्व है कि उसे निजी स्वामित्व में दिया जाना पूर्णत अन्यायपूर्ण होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पार्कों के उचित अनुरक्षण के लिए ''ट्रस्टी'' के रूप में महापालिका को इन संपत्तियों की व्यवस्था में अधिक सावधान रहना चाहिए। अपने ऐतिहासिक महत्व और पर्यावरणीय आवश्यकता के कारण उद्यानों (पार्कों) का उनुरक्षण स्वयं लोक-हित के लिए आवयश्क है। यदि उद्यानों के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट किया जाता है तो यह लोक-न्यास सिद्धांत का उल्लांन होगा।

लोक न्यास सिद्धांत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

यह सिद्धांत राज्य पर तीन प्रकार के प्रतिबंध लगाता है :

- सम्पत्ति न केवल जन प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए बल्कियह जन-साधारण के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए।
- सम्पति को बेचा नहीं जाना चाहिए चाहे उसका उचित मूल्य ही प्राप्त क्यों न हो रहा हो।
- सम्पति का अनुरक्षण विशिष्ट प्रकार के प्रयोजनों के लिए होना चाहिए जैसे जल पर्यटन, मनोरंजन या मछली पकड़ना आदि।

अन्तत् इस सिद्धांत के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48क के अंतर्गत एक 'ट्रस्टी' के रूप में राज्य का यह दायित्व है कि वह देश के पर्यावरण के संरक्षित रखे उसमें सुधार करे और वनों व वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48क (जीवन का अधिकार) को लागू करते समय, राष्ट्र राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48क का संदर्भ लेने के लिए बाध्य है। ''एक स्वस्थ पर्यावरण'' के अधिकार को शामिल करने के लिए राज्य की न्यासधारिता (trusteeship) दायित्वों का विस्तार किया गया है।

पाठगत प्रश्न 26.5

1. "लोक-न्यास सिद्धांत अवधारणा" को परिभाषित करें।
2. लोक-न्यास सिद्धांत द्वारा राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों की सूची।

आपने क्या सीखा

पर्यावरण का संरक्षण एक वैश्विक मुद्दा है क्यों कि यह सभी देशों से संबंधित हा जहां देश किसी भी आकार, स्तर, विकास या विचारधारा से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। मनुष्य और अन्य प्रकार के जीवन के अस्तित्व का मुद्दा अत्यंत चिंता का विषय बन गया है।

'पर्यावरण' से तात्पर्य जल, वायु तथा भूमि और इनके व मनुष्य, अन्य जीवों तथा पदार्थों के बीच के अंतरसंबंध के कुल योग से है।

प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण में संदूषणों का समावेशन है जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन प्रस्तुत करता है। प्रदूषण रसायनिक तत्वों और ऊर्जा का रूप ले सकता है जैसे ध्वनि, ताप य प्रकाश। प्रदूषक जो कि प्रदूषण के घटक हैं, वे बाहरी तत्व ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से संदूषक हो सकते हैं।

''प्रदूशक द्वारा भुगतान का सिद्धांत'' का निर्माण प्रदूषणकर्ता पक्ष को प्राकृतिक पर्यावरण को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भूगतान करने के लिए किया गया था। प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत सामान्यत् स्वीकार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए किए गए प्रबंधन की लागत को वहन करेगा।

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषक पर दोहरा दायित्व डालता है अर्थात : (i) प्रदूषण के पीड़ित को क्षतिपूर्ति और (ii) पर्यावरणीय परावर्तन। इसे ''दोहरा दायित्व'' कहते हैं।

पूर्वोपाय सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य या गतिविधि जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने से पूर्व रोक देना चाहिए, चहे उनके संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्षय जुड़े ना भी होंगे कि वह विशिष्ट पदार्थ या गतिविधि पर्यावरण के लिए घातक है।

'लोक न्यास का सिद्धांत' इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ संसाधनों को जन उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, और सरकार द्वारा उन्हें युक्तिसंगत सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का ''ट्रस्टी(न्यासी)'' है जो प्रकृति द्वारा जन उपयोग और मनोरंजन के लिए प्रदान किए गए हैं।

पाठांत प्रश्न

1 निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें।

(क) पर्यावरण

(ख) प्रदूषण

2. ''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' का वर्णन करें।

3. आर-10 घोषणा, 1992 के सिद्धांत 16 का उल्लेख करें।
4. पूर्वोपाय सिद्धांत को परिभाषित करें।
5. ''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' में 'दोहरा दायित्व' क्या है?
6. पूर्वोपाय सिद्धांत के मुख्य तत्वों का वर्णन करें।
7. लोक-न्यास सिद्धांत का वर्णन करें।
8. 'लोक-न्यास सिद्धांत' द्वारा राज्य पर लगाए गए तीन प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

26.1

1. शब्द 'पर्यावरण' से तात्पर्य जल, वायु तथा भूमि और इनके व मनुष्य, अन्य जीवों तथा पदार्थों के बीच के अंतरसंबंध के कुल योग से है।
2. प्रदूषण एक गलत नागरिक प्रक्रिया है, जो अपनी स्वयं की प्रकृति में समग्र रूप से समुदाय के विरूद्ध अपराध स्वरूप है। प्रदूषण रसायनिक तत्वों और ऊर्जा का रूप ले सकता है जैसे ध्वनि, ताप य प्रकाश। प्रदूषक जो कि प्रदूषण के घटक हैं, वे बाहरी तत्व/ ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से संदूषक हो सकते हैं।

26.2

1. ''प्रदूशक द्वारा भुगतान का सिद्धांत'' का निर्माण प्रदूषणकर्ता पक्ष को प्राकृतिक पर्यावरण को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भूगतान करने के लिए किया गया था। साधारण शब्दों में ''प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत सामान्यत् स्वीकार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए किए गए प्रबंधन की लागत को वहन करेगा।''
2. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को **रियो घोषणा** 1992 में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया था। घोषणा का सिद्धांत 16 घोषणा करता है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बाधित किए बिना इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कि प्रदूषक प्रदूषण की लागत को वहन करेगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण पर्यावरणीय लागतों के अंतरराष्ट्रीयकरण के संवर्धन और आर्थिक साधनों के प्रयोग के संबंध में प्रयास करेंगे।

26.3

1. सही
2. सही

26.4

1. पूर्वोपाय सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य या गतिविधि जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने से पूर्व रोक देना चाहिए, चहे उनके संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्षय जुड़े ना भी होंग कि वह विशिष्ट पदार्थ या गतिविधि पर्यावरण के लिए घातक है।
2. पूर्वोपाय सिद्धांत के दो अनिवार्य तत्व हैं :
   (i) राज्य सरकार तथा सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरणीय उपाय जैसे राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण (Environment degradation) के कारणों का पता लगाना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए तथा उन्हें समाप्त करना चाहिए।
   (ii) जहां पर्यावरण को गंभीर तथा अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो वहां विज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीलय निम्नीकरण के निवारण के उपायों को लंबित किए जाने का कारण नहीं बनाना चाहिए।

26.5

1. 'लोक न्यास का सिद्धांत' इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ संसाधनों को जन उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, और सरकार द्वारा उन्हें युक्तिसंगत सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का ''ट्रस्टी(न्यासी)'' है जो प्रकृति द्वारा जन उपयोग और मनोरंजन के लिए प्रदान किए गए हैं।
2. लोक-न्यास का सिद्धांत राज्य पर तीन प्रकार के प्रतिबंध लगाता है :
   (a) सम्पत्ति न केवल जन प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए बल्कि यह जन-साधारण के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए।
   (b) सम्पति को बेचा नहीं जाना चाहिए चाहे उसका उचित मूल्य ही प्राप्त क्यों न हो रहा हो।
   (c) सम्पति का अनुरक्षण विशिष्ट प्रकार के प्रयोजनों के लिए होना चाहिए जैसे जल पर्यटन, मनोरंजन या मछली पकड़ना आदि।

टिप्पणी

27

समसामयिक गतिविधियां

जैसा कि पर्यावरण क्षेत्र राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उभर रहा है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे नए विकासों के साथ अद्यतन रखा जाए। 'राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल' (एनजीटी) की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का विनियमन तथा 'क्योटो प्रोटोकाल' और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत विकास के कुछ महत्वतपूर्ण घटक हैं। 'क्योटो प्रोटोकाल' के अलावा, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अन्य गतिविधियां भी की गई हैं और जिनका योगदान वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में अति महत्वपूर्ण रहा है।

1980 के लगभग, भरतीय विधि प्रणाली, विशेषकर पर्यावरणीय कानून के क्षेत्र में इसके परंपरागत एप्रोच के दष्टिगत व्यातपक परिवर्तन किया गया और इसे न केवल प्रशासनिक तथा विधायी सक्रियता द्वारा पहचाना गया था, बल्कि न्यायिक सक्रियता के रूप में भी पहचाना गया। "न्यायिक सक्रियता" के लिए भारतीय न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकारों के नए और सृजनात्मयक व्याख्याओं को अंगीकार करके इसके दायरे को व्याापक करने में सक्रिय भूमिका निभाई गई। प्रशासनिक एजेंसियों की शक्तियों तथा कार्यों के दायरे को निर्धारित करने तथा पर्यावरण और विकास के बीच सन्तुलन बनाए रखने में न्यायालयो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस भूमिका को जारी रखे हुए है। जनहित याचिका (पीआईएल) रूपी उपकरण द्वारा न्यायालयों की यह सक्रियता मजबूत हुई जिसके कारण न्यायालय लोक हितकारी व्यक्तियों तथा पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त मामलों पर हस्तक्षेप करने में समर्थ हुआ है। इस संबंध में भारतीय न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जिसके कारण भारत में पर्यावरणीय विधिशास्त्र की इतिहासवादी शाखा की जड़े मजबूत हुई। इस पाठ का उद्देश्य भारत में न्याायालयों द्वारा निभाई गई भूमिका और इसके योगदान की चर्चा करना है जिसके कारण इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गई। यह पाठयक्रम पर्यावारण संरक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करता है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप

- राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कार्यों एवं भूमिका की व्याख्या कर पाएगें;
- खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन से संबंधित कानून को समझ पाएंगे;

- 'क्योटो प्रोटोकाल' के मुख्य उद्देश्यों की पहचान कर पाएगें;
- पर्यावरणीय अपकर्ष को दूर करने के लिए कुछ अन्य अन्तंरराष्ट्रीय उपकरणों की सूची बनाए पाएंगे; तथा
- पर्यावरणीय संरक्षण में न्यायालयों की भूमिका के महत्व को समझ पाएंगे, और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयों की भूमिका की महत्ता को समझ पाएंगे।

27.1 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

एक 'ट्रिब्यूनल' न्यायालय की साज-सज्जा वाला होती है। प्रत्येक न्यायालय 'ट्रिब्यूनल' होता है परन्तु 'ट्रिब्यूनल' न्यायालय नहीं होता है। कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित विवादों को अधिनिर्णय के लिए 'ट्रिब्यूनल' की स्थापना की जाती है जबकि, किसी विशेष क्षेत्र के बावजूद सभी प्रकार के विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायालय मौजूद होता है। 'ट्रिब्यूनल' के अन्तिम निर्णय को सामान्यतया 'अवार्ड' कहा जाता है।

पर्यावारण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजे तथा सहायता देने समेत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और अन्य प्राकतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा त्वरित निपटान के प्रयोजन से राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। यह एक विशेष निकाय है जिसमें बहु अनुशासनिक मामलों समेत पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करने के लिए आवश्यक विशेषता मौजूद है।

यह ट्रिब्यूमनल आवेदनों तथा अपीलों को अन्तिम रूप से, उसको दायर करने के छ महीने के भीतर, निपटान करने का प्रयास करता है। आरंभ में, एनजीटी की स्थापना पांच स्थानों पर किए जाने और ट्रिब्यूनल की अधिक पहुंच बनाने के लिए सर्किट प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने का प्रस्ताव था। ट्रिब्यूनल का मुख्य स्थान नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई चार अन्य स्थान पर ट्रिब्यूनल स्थापित है।

27.1.1 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की संरचना

एनजीटी में न्यायिक तथा न्याय निर्णायक के तौर पर विशेषज्ञ सदस्य दोनों शामिल होते हैं। एनजीटी का अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य होता है और वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य नयायाधीश हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल के अध्ययक्ष की नियुक्ति की जाती है। एनजीटी के अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। विशेषज्ञ सदस्य

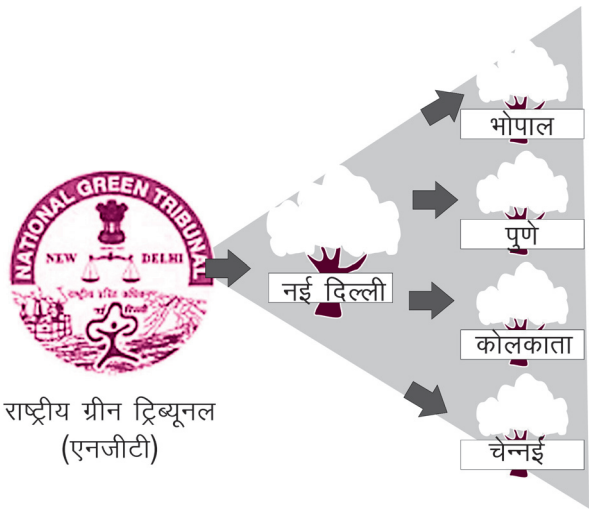

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

के लिए व्यक्ति को जीव विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान में डाक्टयरेट की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही प्रतिष्ठत राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पर्यावरण और वन के क्षेत्र में 5 वर्षों के प्रायोगिक अनुभव सहित संगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों अथवा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय संस्थानों में पांच वर्ष के अनुभव के साथ पन्द्ररह वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति जाती है।

27.1.2 एनजीटी के न्यायाधिकार एवं शक्तियां

न्यायाधिकार का अभिप्राय किसी न्याायालय अथवा ट्रिब्यूनल को प्राधिकार देना है कि वह मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करे और उस पर निर्णय दे। सभी सिविल मामलों पर एनजीटी का न्यायाधिकार है जहां पर्यावरण से संबंधित व्यापकप्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन समेत) में शामिल होता है और ऐसे प्रश्न राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूननल अधिनियम, 2010 की अनुसूची-1 में निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन से उत्पनन्न होते हैं अधिनियम सूचियों की अनुसूची-1 में निम्निलिखित विधान हैं -

(i) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

(ii) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) उप कर अधिनियम, 1977;

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;

(iv) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

(v) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

(vi) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1989;

(vii) जैव विविधता अधिनियम, 2002।

यह एनजीटी की व्याख्या करता है, उपरोल्लिखित विधानों के अनुसार यह विधान पर्यावरणी विधि के लिए भी कार्य करता है। इसलिए पर्यावरण कानून के प्रवर्तन पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अथवा जैव विविधता मामले एनजीटी के तहत आते हैं।

एनजीटी को अदेश द्वारा निम्नलिखित उपलब्ध कराने की शक्यिां प्रदत्त है

- अधिनियम की अनुसूची I (किसी खतरनाक वस्तुओं की हैंडलिंग के समय होने वाली दुर्घटनासमेत) में निर्धारित नियमों के तहत प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए पीडितों की सहायता तथा क्षतिपूर्ति करना।
- संपत्ति क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए।
- ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए।

उपरोल्लिखित निदानों के लिए पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दावा इस घटना के होने के पांच वर्षों के भीतर करना चाहिए। क्रिया के कारण का अर्थ प्रत्येक होने वाली घटना से है जो कि व्यक्मि को एनजीटी में एप्रोच करने के लिए संभव बनाता है। हलांकि, आपवादिक मामलों में ट्रिब्यूनल

आवेदन फाइल करने के लिए और अधिक साठ दिन दे सकता है, यदि ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट होता है कि आवेदक के पास पांच वर्ष के भीतर आवेन फाइल करने से रोके जाने का पर्याप्त कारण है।

अधिनियम में यह प्रावधन है कि दुर्घटना के मामले में ट्रिब्यूनल कोई चूक न होने के सिद्धान्त को लागू करेगा। कोई चूक न होने का सिद्धान्त निर्धारित करता है कि दुर्घटना के मामले में मालिक अथवा नियोक्ता कोई चूक न हो, से बचाव के लिए प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। यदि दुर्घटना होती है और इसके परिणामस्रूम किसी व्यैक्ति अथवा पर्यावरण को क्षति होती है तो मालिक अथवा नियोक्ता केवल इस तथ्य के कारण जिम्मेदार होगा कि दुर्घटना उसके उपक्रम में हुई है। इस सिद्धान्त के अतिरिक्म एनजीटी, आदेश अथवा निर्णय या अवार्ड देते समय सुस्थिर विकास, सतर्कता सिद्धान्त और प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त को लागू करता है।

27.1.3 प्रक्रिया

एनजीटी नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1902 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि यह प्राकतिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होता है। इसका उद्देश्य नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत दिए अनुसार सिविल कोर्ट की अपनी सभी शक्यिों तथा कार्यों का निष्पादन करना है। ट्रिब्यूनल का कोई भी निर्णय आदेश या अवार्ड सिविल कोर्ट की डिग्री के तौर पर ट्रिब्यूनल द्वारा निष्पादनीय है। इसलिए इस प्रयोजनार्थ ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। ट्रिब्यूनल यदि उचित समझे तो अपने आदेश या अवार्ड को सिविल कोर्ट के निष्पाादन के लिए भी भेज सकती है जिसके पास स्थानीय न्यायाधिकार होता है। मामले के निर्णय के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या दे होती है जिनमे से एक अवश्यांभावी रूप से न्यायिक सदस्य तथा दूसरा विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए। बहुमत से ट्रिब्यूनल का निर्णय बाध्यकारी है। यदि खण्डपीठ का मत बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में एनजीटी के अध्यक्ष द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है और उस पर निर्णय दिया जाता है। यदि वह बराबर विभाजित खण्डपीठ का हिस्सा नहीं था। अध्यक्ष के बराबर विभाजित खण्डपीठ का हिस्सा होने के मामले को ट्रिब्यूनल की सुनवाई और निर्णय के लिए भेजेगा जो कि बराबर विभाजित खण्डपीठ का हिस्सा नहीं होते।

27.1.4 शास्ति

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत एनजीटी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में यह एक संज्ञेय अपराध होता है और उसे कैद की सजा होगी जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जिसे दस करोड़ रूपए तक, कंपनी के मामले में 25 करोड़ रूपए तक, बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों हो सकता है और निरन्तर विफलता अथवा प्रतिकूलता के मामले में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे 25 करोड़ रूपए तक, कंपनी के मामले में एक लाख करोड़ रूपए। ऐसी प्रथम विफलता या प्रतिकूलता के लिए दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसी नियमित विफलता या उल्लंघन के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, बढ़ाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया कोई भी आदेश, निर्णय या अवार्ड का जब सरकार का कोई भी विभाग अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसके विभागाध्यक्ष ऐसी विफलता के लिए दोषी होता है और वह इस अपराध के लिए कार्रवाई हेतु उत्तयरदायी हो जाता है और तदानुसार उसे दण्डित किया जाता है।

बशर्ते कि विभागाध्यक्ष यह सिद्ध न कर दे कि वह अध्यवसाय में था और उसे इस अपराध की जानकारी नहीं थी, तो उसे दण्डित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे अपराध के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी को भी दण्डित किया जा सकता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध ऐसे अधिकारी की सहमति अथवा जानकारी अथवा उसकी लापरवाही से हुआ था।

27.1.5 अपील

अपील में यदि कोई व्यक्ति मामला हार जाता है तो वह एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय को उच्च तम न्यायालय में दोबारा चुनौती दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्णय से पीड़ित है तो वह ट्रिब्यूनल के निर्णय, आदेश या अवार्ड के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में ऐसे निर्णय, आदेश या अवार्ड की प्राप्ति की तारीख से, 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय व्यक्ति को ऐसी अपील 90 दिनों के बाद भी दायर करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि व्यक्ति को अपील करने से रोके जाने के पर्याप्त कारण थे।

पाठगत प्रश्न 27.1

1. ट्रिब्यूनलों की स्थापना के मुख्य कारण क्या हैं?
2. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
3. त्रुटिविहीन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
4. जब व्यक्ति एनजीटी के किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड से पीड़ित है तो क्या वह अपील कर सकता है?
5. एनजीटी की खण्डपीठ के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है, जो कि मामले की सुनवाई कर सके और निर्णय दे सके?

27.2 खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का विनियमन

प्राकतिक तथा मानव निर्मित गतिविधियों दोनों के कारण आपदा हो सकती है। पर्यावरण आपदाओं की श्रेणी के तहत आने वाले खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की विषमता से निपटान किए जाने के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1984 में भोपाल में यनियन कार्बाइड फैक्टरी से मिथाइल आसोसाइनेट के रिसाव के कारण गंभीर आपदा हुई जिसमें हजारो लोगों की मत्यु हो गई और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहां तक कि लोगों की भावी पीढियां इससे प्रभावित हैं।

खतरनाक पदार्थों के नियंत्रण और विनियमन करना सदैव पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में मुख्य चिन्ता का विषय रहा है। इस मुददे को विशिष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रत्यायोजित विधानों के तरीके से समाधान किया गया। एक प्रत्यायोजित विधान सरकार के कार्यकारी निकाय के विधायी कार्यों को करता है। यह विधायिका द्वारा विधायन के तहत निष्पादित होता है। जो कार्यकारी प्राधिकारी को विधान को लागू करने के लिए वास्तविक कार्यान्वयन हेतु नियम बनाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रत्यायोजित

विधान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध एवं हैंडलिंग नियम, ई डब्यूय, एम एण्ड एच नियम, 1989 शामिल है। इन नियमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष, 1991 में एच डब्ल्यू, एम एण्ड एच नियम के लिए दोबारा दिशा-निर्देश तैयार किया गया। ये नियम खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिग के लिए विनियामक ढांचा उपलब्ध करातेहैं।

27.2.1 खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ की परिभाषा

एक खतरनाक पदार्थ को न केवल एक पदार्थ के रूप में पारिभाषित किया जाता है बल्कि एक तैयारी के रूप में जिसके द्वारा उसके रसायन या भौतिक रसायन संपत्ति या हैंडलिंग मानव जाति, अन्य जीवजन्तुय, पौध, सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति अथवा पर्यावरण को नुकसान होता है। यह परिभाषा प्रकृति को परिभाषित करता है कि किन खतरनाक पदार्थों को जिखिमपूर्ण माना जाए। ये हमारे चारो ओर मौजूद होते हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और इसलिए ऐसे पदार्थो से निपटने के लिए कुछ दिशा-निर्देश की जरूरत है ताकि संभावित हानि से पर्यावरण का संरक्षणा किया जा सके। खतरनाक पदार्थोका एक उदाहरण औद्योगिक अपशिष्टण है जो कि कारखानों से एकत्रित होता है।

27.2.2 एचडब्यू, (एम एण्ड एच) नियमों के तहत खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया

क) **खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पत्ति की पहचान** - पहले कदम के रूप में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करने वाले उद्योगों की पहचान करना।

ख) **आकड़े एकत्रित करना** - खतरनाक अपशिष्ट उत्पायदक उद्योगों की पहचान करने के पश्चात खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन से संबंधित आकड़ी की सूचनी बनाना, जो कि प्रत्येक पहचाने गए उद्योगों में सर्वेक्षण करके किया जा सकता है।

ग) **अपशिष्ट पदार्थों का विशिष्टीकरण** - खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ जो कि अध्यनयन के कारण से उत्पन्न होता है उसे विशिष्टीकृत किया जाना चाहिए। इसे प्रयोगशाला में किया जा सकता है। भौतिक, रासायनिक तथा सामान्य विशेषता से संबंधित विस्तृत खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ और ज्वलनशील, जंग, प्रतिक्रियात्मक एवं विषाक्तता से संबंधित संपत्तियों को लिया जाना चाहिए।

घ) **निपटान के लिए स्थल की पहचान** - खतरनाक पदार्थों की मात्रा तथा इसके ट्रीटमेंट, भण्ड्राण तथा निपटान के लिए अपेक्षित संभावित क्षेत्र का मूल्यांकन करने के पश्चात स्थल की पहचान की जाए।

ड़) **पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, ईआईए, करना** - परियोजना से पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जानी चाहिए और अपशिष्टू पदार्थों के ट्रीटमेंट, भण्डारण तथा निपटान सुविधा के लिए स्थल क्लियरेंस हेतु लोगों की स्वीकृति ली जानी चाहिए।

च) **ट्रीटमेंट, भण्डारण तथा निपटान सुविधा का कार्यान्वयन** - अन्तिम निर्धारित स्थल ट्रीटमेंट, भण्डारण तथा निपटान सुविधा कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाए। स्थिल श्पर भण्डारण, ट्रीटमेंट तथा अन्तिम निपटान के लिए पर्याप्ता स्थान होना चाहिए। इन कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए स्थल पर प्रयोगशाला सुविधाएं होनी चाहिए।

खतरनाक अपशिष्टक पदार्थों से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतर्कतापूर्वक उपरोल्लिखित कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए खतरनाक अपशिष्टि पदार्थों के उचित ट्रीटमेंट, भण्डारण और निपटान करना आज की जरूरत है।

पाठगत प्रश्न 27.2

1. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को पारिभाषित करें?
2. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ कैसे हम को प्रभावित करते हैं?
3. खतरनाक अपशिष्ट, प्रबन्धन एवं हैंडलिंग, नियम 1989 बनाने के पीछे क्या उद्देश्यं था?
4. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन एवं उनकी हैंडलिग के संबंध में **ईआईए** को आप कैसे पारिभाषित करेंगे?

27.3 क्योटो प्रोटोकाल (KYO TO PROTOCOL)

पर्यावरण संरक्षण एक क्षेत्रीय विषय नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक विषय है और इसलिए पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। चूंकि किसी भी देश की पर्यावरण नीति केवल उस देश के पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है बल्कि यह वैश्विक पर्यावरण को प्रभावित करता है।

आद्योगिक देशों द्वारा उत्सिर्जित की जा रही ग्रीन हाउस गैसों, कार्बनडाईआक्साइड, मीथेन, नाइट्रसऑक्साइड, सल्फार हेक्सौ फलोराइड तथा गैसों के दो समूहों हाइड्रो फलोरोकार्बन और पर फलोरोकार्बन, जिसका कि वैश्विक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के तहत अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया उपाय **'क्योटो प्रोटोकाल'** का उदाहरण है।

'क्योटो प्रोटोकाल' जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएनएफसी, का भाग है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की अन्तर सरकारी प्रयासों के लिए यूएन एफसी समग्र फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। जलवायु परिवर्तन से यह देखा गया है कि विकासशील मानव गतिविधियों के कारण विश्वत के मौलिक जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और प्रत्येक वर्ष विश्व का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसका वर्तमान तथा भावी पीढियों पर बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है। तापमान में बढ़ोत्तरी मुख्य ग्रीन हाउस गैसे के उत्सर्जन से होता है। इसकी वजह से ओजोन गैस की परत क्षीण हो रही है, जो कि सूरज की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। इसलिए, यह विश्व का संरक्षण करने के लिए एक आन्दोलन है।

'क्योटो प्रोटोकाल' द्वारा निर्धारित नियमों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य है। प्रोटोकाल को 11 दिसम्बकर, 1997 में क्योटो, जापान में अंगीकृत किया गया था। 190 से भी अधिक देश इस प्रोटोकाल के सदस्य हैं, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रोटोकाल का सदस्य नहीं है। भारत भी इस प्रोटोकाल का एक सदस्य है। क्योटो प्रोटोकाल की कतिपय सैद्धान्तिक अवधारणाएं हैं

- प्रोटोकाल के तहत 37 आद्योगिक देशों तथा 15 यूरोपियन देशों से बना यूरोपियन यूनियन, अनुबंध-1 देश के नाम से, द्वारा स्वदयं को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य किया।
- प्रोटोकाल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुबंध 1 पार्टियों को अपने संबंधित देशों में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए नीतियां तथा उपाय तैयार करने की जरूरत है।
- प्रोटोकाल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अनुक्रम में लोखांकन, रिपोर्टिंग और समीक्षा किया जाना।
- प्रोटोकाल के तहत प्रतिबद्धताओं के अनुपालन को लागू करने के लिए अनुपालन समिति की स्थापना।

'क्योटो प्रोटोकाल' एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह तथ्य की एक जानकारी है कि आद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण को उस सीमा तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है जो कि स्वस्थ मानव जीवन के असितत्व के लिए अनुपयुक्त हो। वैश्विक पर्यावरण को स्व्च्छ तथा स्वस्थप्रद बनाने के लिए औद्योगिक देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के अपने दायित्व् को एकजुट होकर स्वीाकार किया और उनके द्वारा धारणीय विकास के लक्ष्य को महसूस किया गया। अवश्यभावी रूप से यह कार्य प्रगति पर है लेकिन महत्वपूर्ण इस समस्या के समाधान के लिए वैश्विक रूप से इसका वास्तवीकरण और प्रदर्शन है।

पाठगत प्रश्न 27.3

1. उन गैसों की पहचान करें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है?
2. पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है?
3. 'क्योटो प्रोटोकाल' के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य को पारिभाषित करें?
4. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके कैसे हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा?

27.4 अन्य अन्तरराष्ट्रीय उपकरण

अन्तरराष्ट्रीय उपस्कर यथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर साथ-साथ आने वाले विभिन्न देशों द्वारा ड्राफट किया गया विधान और नियम उन पर लागू करना है। क्योटो प्रोटोकाल न केवल पर्यावरणीय डिग्रेडेशन निवारण का एक उपकरण है, वस्तुत अन्त राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसे उपाय किए गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय उपस्करों को मिलाकर अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का नाम दिया गया है। कई देशों में ये कानून व्यापक रूप से पर्यावरण कानून के विकास को प्रभावित करतेहैं। मानव पर्यावरण पर जून, 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के मुख्य पर्यावरणीय विधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को भी लागू किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय उपस्कर हैं -

1. स्टाककहोम उदघोषणा, 1972

- आधुनिक वैश्विक पर्यावरण कानून का आधार तैयार किया,

- विकसित तथा विकासशील देशें की समस्याओं के समाधान के लिए विभिनन्न दृष्टिकोणों की पहचान करने की अपेक्षा।
- जीवन के अधिकार के रूप में स्वस्थ पर्यावरण की मान्यता।
- अन्तर-आनुवंशात्मक समानता की अवधारणा को शामिल करना।
- उन विकासशील देशों के साथ पर्यावरण की जरूरतों के सन्तुलन के लिए आह्वान।
- राष्ट्रों को अपने संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते कि वे अन्य देशों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं।

2. ओजोन परत के संरक्षण के लिए 'वियना सम्मेलन', 1985

- यह एक ढांचागत संधि है जिसमें सदस्य, राष्ट्र ओजोन परत के संरक्षण के लिए अनुसंधान एवं सूचना, प्रौद्योगिकी के विकास का आदान-प्रदान करेंगे।

3. ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर 'मांट्रियल प्रोटोकाल', 1987

- प्रोटोकाल पार्टियों के लिए अपेक्षित है कि वे ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों की खपत को कम करें।
- विकासशील देशों को इसके अनुपालन के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी गई।

4. पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट, 'ब्रन्टी लैंड आयोग', 1987

- अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरणीय और नीति के विकास में मील का पत्थर।
- नियमित विकास के सिद्धान्त् की स्थापना।

5. पर्यावरण एवं विकास, 1972 पर 'रियो उदघोषणा'

- स्टॉकहोम उदघोषणा में घारणीय विकास अन्तर-अनुवंशिकी समानता तथा अधिकारों के सिद्धांतों का निर्माण
- धारणीय विकास की अवधारणा का विस्तार
- सावधानीपूर्ण सिद्धांत
  - प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धान्त, और
  - पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन

6. जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

1. जैव विविधता का संरक्षण,
2. अपने घटकों का सुव्यवस्थित प्रयोग, और
3. परंपरागत संसाधनों से होने वाले लाभों का स्वरूछ और समान रूप से आदान-प्रदान

वर्ष, 2000 में एक अनुपूरक करार - जैव संरक्षण पर कार्टाजेना प्रोटोकाल - जैव

प्रोद्योगिकी द्वारा सृजित जीव तथा परिवर्धित सूक्ष्म जीवों से जैव विविधता संरक्षण की मांग।

अप्रैल, 2002 में, सम्मेलन के पक्षकारों ने वर्ष, 2010 तक वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता की हानि की मौजूदा दर में महत्व पूर्ण कमी के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया।

7. कार्य सूची 21, 1992

रियो शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए व्यापक रोड-मैप पर वैश्विक, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाई।

8. जलवायु परिवर्तन पर संयुंक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूएनएफसीसी, 1992

जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए अन्तर शासकीय प्रयत्नों हेतु समग्र ढांचा निर्धारित करना-

- ग्रीन हाउस गैस के उत्सनर्जन, राष्ट्रीय नीतियों तथा बेहतरीन पद्धतियों पर सूचना एकत्रित करना और उसका आदान-प्रदान करना।
- विकासशील देशों को वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय सहायता समेत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के निपटान के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां लागू करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने के लिए तैयारी में सहयोग।

21 मार्च, 1994 को अभिसमय लागू हुआ।

ये अन्तरराष्ट्रीय उपकरण स्पष्ट रूप से यह प्रतिबिम्बित करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा बहुत ही गंभीर है जो कि अन्तरराष्ट्रीय जगत का ध्यान आकृष्टि करता है। इन सभी उपस्करों से इस तय की जानकारी होती है कि पर्यावरणीय संरक्षण का समाधान एक बार में नहीं किया जा सकता यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे निरन्तर जारी रखा जाना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 27.4

1. 'क्योटो प्रोटोकाल' के अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताएं?
2. 'यूएनएफसीसी' के मुख्यर उद्देश्य् क्या हैं?
3. जैव विविधता पर यूएन सम्मेललन, 1992, के तीन मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें?
4. पर्यावरण एवं विकास के लिए यूएन घोषणा, 1992 में क्या उल्लेख किया गया है, पर्यावरण एवं विकास परियोजना घोषणा?

पर्यावरण संरक्षण में न्यानयिक गतिविधि की भूमिका

27.5 पर्यावरणीय संरक्षण में न्यायालयों की भूमिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की अवधारणा को शुरूआत में व्यापक आयाम नहीं दिया गया था लेकिन धीरे-धीरे भारतीय न्यायालयों ने अपनी सक्रिय भूमिका के द्वारा इस शब्द के अर्थ को व्यापिक रूप देना शुरू किया। प्रश्न यह है कि कैसे पर्यावरण और विकास के बीच सन्तुलन लाया जाए। **'ग्रामीण याचिका और हकदारिता केन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश'** राज्य में पहला मामला है जब भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न को देखने का प्रयास किया। इस मामले में याचिकाकर्ता, एक स्वैच्छिक संगठन, को भय था कि पटटेदारों की खनन गतिविधियों के कारण पारिस्थित की अशांति फैलेगी। सरकार द्वारा पटटेधारियों को अधिकार दिए गए थे और विशिष्ट कानून के तहत शर्तें निर्धारित की गई थीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञों की समिति के अनुसार कतिपय क्षेत्रों में चूना-पत्थर का खनन खतरनाक पाई गई थी। इससे पारिस्थिति की सन्तुलन की क्षति हो रही थी। उच्चतम न्याायालय ने इन क्षेत्रों में खनन प्रचालनों को बन्द करने का आदेश दिया, हलांकि जिन क्षेत्रों में खतरनाक स्थिति की रिपोर्ट नहीं थी वहां खनन प्रचालन की अनुमति थी। न्यायालय ने पटटेदारों की कठिनाईयों पर विचार किया लेकिन सोचा कि यह वह कीमत है जिससे न्यूनतम पारिस्थपति की असन्तुलन के साथ स्वास्थ पर्यावरण में लोगों के जीने के अधिकार का संरक्षण होगा। क्या यह महत्वचपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छोद 32 के तहत मामला दायार किया गया था और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए आदेश दिए गए थे। अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एप्रोच किया जा सकता था और हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में पर्यावरण के लिए किसी विशेष मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण की स्वच्छता को मौलिक अधिकार के रूप में माना। यह केवल जीने के अधिकार के अर्थ की व्याकपकता द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि इसका उल्लेलख भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में एक मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है।

मानव तथा स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को **एम सी मेहता ग्रुप** के मामले में अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। एम सी मेहता, एम सी मेहता बनाम भारत संघ, मामले में, फैक्टरी में खतरनाक उत्पाादों के निर्माण की गतिविधियों के प्रभाव को न्यायालय ने विशेष रूप से डील किया। इन गतिविधियों से फैक्टोरी में कार्यरत कर्मचारियों और इसके आसपास बाहर रहनेवाले जन सामान्य सदस्यों को खतरा था। यह आरोप था कि फैक्टरी से ओलियम गैस के रिसाव से कई व्यक्यिों की मौत हो गई और अन्य अनेक व्यक्यिों के स्वास्थ पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न यह था कि क्यों न संयन्त्र को बन्द कर दिया जाए। कई शर्तें निर्धारित की गई थी जिसके तहत खतरनाक उत्पादों में लगे उद्योगों को पुन उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई। ऐसा करने से न्यायालय ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 32 के स्कोप और क्षेत्र से संबंधित इस तरह के कुछ मामले उठे।

यद्यपि द्वितीय एम सी मेहता मामले में, **'एम सी मेहता बनाम भारत संघ'**, न्यायालय ने कुछ शर्तों में परिवर्तन किया और **तृतीय एम सी मेहता** मामले में, **एम सी मेहता बनाम भारत संघ**, फैक्टयरी से ओलिय गैस के रिसाव से पीडित लोगों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। न्यायालय ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

इस याचिका को देखा जा सकता है और ऐसे सिद्धान्त को निर्धारित किया जस पर मुआवजे की मात्रा को परिकलित करके भुगतान किया जाए।

यद्यपि, अनुच्छेद 21 में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के असितत्व को विशेष रूप से घोषित नहीं किया गया था, न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अनुच्छेद 32 के तहत जीने के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधन की व्याख्या के माध्यम से मुआवजे की पूर्ण जवाबदेही के सिद्धान्त पर कार्य किया। इस निर्णय का आधार स्पष्ट और एकार्थक है कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मौलिक अधिकार है।

'क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्त संघर्ष समिति बनाम उ.प्र.' राज्य और **'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य'**, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कदम बढ़ाया। मुख्य नयायाधीश सब्यसांची मुकर्जी ने क्षेत्रीय प्रदूषण मामले को देखा और टिप्पणी की:

> भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अपेक्षितानुसार प्रत्येक नागरिक को बहतरीन जीवन जीने का मौलिक अधिकार है।

न्यायाधीश के एन सिंह ने सुभाष कुमार के मामले में पाया कि – "जीने के अधिकार में बहतरीन जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार शामिल है।"

स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को पढ़कर के जीवन के अधिकार के दायरे को न्यायालय के निर्णय ने व्यापक बना दिया। इस प्रकार, भारतीय न्यायालय समय की जरूरतों के लिए रहती है और नए सिद्धान्तों और सुधारात्मक उपायों को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पाठगत प्रश्न 27.5

1. क्या संविधान के अनुच्छेद 21 का व्यापक दायरा 'न्यायिक सक्रियता' का एक उदाहरण हो सकता है ?
2. क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय के एप्रोच से पर्यावरण के अधिकार के उल्लंघन के मामले में किया जा सकता है?
3. परंपरागत रूप से खतरनाक तथा घातक पदार्थों के उत्पादन में लगे उद्योग के दायित्व के प्रकृति की पहचान करें ?
4. भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से दिए गए अनुसार क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार है ?

27.6 जनहित याचिका (पीआईएल), की भूमिका

पूर्व परंपराओं, अधिकारिता सिद्धान्त के अनुसार, के विपरीत, जिसमें केवल पीडित व्यक्ति ही न्यायालय में अपील कर सकता था, आज व्यक्ति वास्तविकता और पर्याप्त हित में आम लोगों की शिकायतों, लोगों के कर्तव्यों या सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक अधिकारों और हितो के समाधान के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। इसे अधिकारिता के सिद्धान्त के फीकेपन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्चतम

न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के प्रार्थना अधिकार क्षेत्र की योग्याता पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ और स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए अधिकारों को न्यायालय ने व्यापकता प्रदान की। अधिकांश मामलों में, यह प्रगति पीआईएल की व्यवस्था से हुई है। न्यायालय द्वारा पीआईएल के रूप में मामला दायर करने की अनुमति दर्शाता है कि सुनिश्चित करने के तरीके से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती जो कि न्यायाधीश करते हैं। **'तरूण भगत सिंह अलवर बनाम भारत संघ'** के मामले में, एक सामाजिक कार्य समूह ने संरक्षित वन क्षेत्र में खनन लाइसेंस दिए जाने की वैधता को चुनौती दी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय मे टिप्पणी की–

"इस याचिका को सामान्तया प्रतिकूलात्मक याचिका के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय एजेंडे पर याची का उद्देश्य ऊंचा है। पर्यावरण, पारिस्थिति की तथा वन्य जीव के लिए याची के मतों को सरकार द्वारा शेयर किया जाना चाहिए।"

न्याायालय का विचार महत्वपूर्ण है चूंकि इसमें पर्यावरणीय मुददे में पीआईएल की तार्किकता पर बल दिया गया है।

पर्यावरण के मामले को उठाने वाला कोई व्यक्ति चाहे वह एक व्यक्ति, समूह अथवा संस्थान क्यों न हो सबका समस्या से बराबरी का संबंध है। ऐसी याचिका को एक राज्य के साथ प्रतिकूलात्मक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधीश पीएन भगवती ने उललेख किया कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा आर्थिक अक्षमता के कारण न्यायालय में एप्रोच करने में असमर्थ है तो वह केवल एक पत्र लिखकर न्यायालय में जा सकता है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कुछ नागरिकों की पहुंच से दूर है।

पीआईएल मामलों का दायरा बहु आयामी है। यह जानवरों की संवेदना, आदिवासी तथा मछुआरों का विशेषाधिकार, हिमालय और वनों की पारिस्थितकी, इको पर्यटन, भूमि के उपयोग के तरीके और पारिस्थितकीय क्षति के कारण गांवों द्वारा जूझ की जा रही समस्यों तक फैला है। पर्यावरणीय मुददों को न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका द्वारा समाज के बहुआयामी लोगों ने प्रस्तुत किया। वकीलों, वकील संघों, पर्यावरणविदों, विभिन्न समूह और केन्द्र, जो कि पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति समर्पित है, कल्याणकारी मंचों, उपभोक्ता अनुसंधान केन्द्रों ने सफलतापूर्वक पर्यावरणीय मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया।

पाठगत प्रश्न 27.6

1. क्या 'पी. आई. एल.' लोक स्ट्ैण्डी के कठोर सिद्धान्त के फीकेपन का एक उदाहरण है?
2. 'पी. आई. एल.' कौन दायर का सकता है?
3. 'पी. आई. एल.' में किस तरह के मुददे को उठाया जा सकता है?
4. न्याय देने की विरोधात्मक या प्रतिकूलात्मक प्रणाली से आप क्या समझाते हैं?

27.7 निर्देश जारी करने की तकनीक

पर्यावरणीय मुकदमों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत जारी निर्देश और उच्चे न्यायालय द्वारा अनुच्छोद 226, पर्यावरणीय मुकदमों के लिए अत्यंनत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संरक्षण में बहुत से दिशा-निर्देश मील का पत्थर साबित हुए।

1. पर्यावरणीय विधि शास्त्र के उदगम के सिद्धान्त

जनहित याचिकाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से सिद्धान्तों के विकास में महत्वपूर्ण रही हैं। 'एम सी मेहता बनाम भारत संघ' खतरनाक और अप्रत्यक्ष खतरनाक उद्योगों द्वारा पहुचाये जाने वाले नुकसान के लिए पूर्ण जवाबदेही उच्चतम न्यायालय ने तय किया है। औद्योगिक कचरा केस, 'पर्यावरण कानूनी कार्रवाई-भारतीय परिषद बनाम भारत संघ', रासायनिक उद्योगों द्वारा निकले हुए जहरीले कचरे से पीडित ग्रामवासियों के मुआवजे के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त' को लागू किया।

वायु प्रदूषण से आगरा के ताजमहल के संरक्षण के लिए 'एम सी मेहता बनाम भारत संघ' के मामले में 'पूर्व सतर्कता सिद्धान्त' सीधे तौर पर लागू किया। विशेषज्ञ अध्ययन से यह साबित हो गया कि ताल महल के आसपास कोक और कोयला आधारित उद्योगों के उत्सर्जन से ताजमहल की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले संभावित उद्योगों को औद्योगिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ताजमहल के आसपास के जो उद्योग किसी कारणवश गैस कनेक्श न प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे उनके कार्य संचालन को रोक दिया जाना चाहिए और उन्हें निर्धारित समय के भीतर चिहिन्त किए गए बाहर के वैकल्पिक स्थान पर पुन स्थापित किया जाए।

पारिस्थित की संतुलन के साथ विकास गतिविधियों में सन्तुलन बनाने के अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 'धारणीय विकास' के सिद्धान्त को लागू किया गया है। ग्रामीण याचिका तथा हकदारिता केन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

2. सामाजिक पर्यावरण का संरक्षण

रोजी-रोटी का अधिकार और स्वच्छत पर्यावरण का न्यायालयों से व्यापक संबंध रहा है, जब उन्होने पर्यावरण के मामले में निदेश जारी किए हैं। एस्बेयस्ट्स उद्योग में लगे मजदूरों को उनके स्वास्थय संबंधी खतरों के लिए चिकित्सा सुविधा तथा क्षतिपूर्ति की पात्रता घोषित की गई थी, जिसका पता सेवा निवृत्तं पश्चात **'सीईआरसी बनाम भारत संघ'** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाया गया था।

3. कानूनकी दरारों को भरना तथा प्रशासन में कमियों को दूर करना

अधिकांश मामलों में सरकारी प्राधिकरणों को पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का स्मरण दिलाने के लिए न्यायालयों द्वारा निदेश जारी किए गए। इस प्रकार, स्थानीय निकायों, विशेषकर नगरपालिका प्रधिकरणों, को कूड़े कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों को हटाने तथा कस्बों और शहरों को स्वच्छ बनाए जाने के निर्देश दिए गए।

4. पर्यावरणीय जागरूकता और शिक्षा

उच्चतम न्याायालय के निदेशानुसार पर्यावरणीय जागरूकता और साक्षरता का व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार किया जाए और साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा की शुरूआत न केवल स्कूल स्तर पर की जाए बल्कि इसे कालेज स्तर पर भी किया जाए। एम सी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा की है कि प्रत्येक राज्य सरकार और शिक्षा मंडल पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कदम उठाए।

इस प्रकार उपयुक्ति चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में न्यायालयों द्वारा अधिकार प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पीआईएल द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

पाठगत प्रश्न 27.7

1. ई. पी. सी. ए. का क्या अर्थ है?
2. सी. एन. जी. से आप क्या समझते हैं?
3. वाहनों से किस तरह का प्रदूषण होता है?
4. उद्योगों द्वारा अपने औद्योगिक अपशिष्टों को नदी में डालने से किस तरह का प्रदूषण होगा?

27.8 पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

हमने देखा कि पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में न्यायिक गतिविधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे सौ निर्णय हैं, जिनका कि इस कार्य में सामूहिक योगदान रहा है। इन निर्णयों में से कुछ विशेष निर्णयों को प्रतिबिम्बित किया गया है, जिनका पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अधिकांश ऐसे निर्णय जनहित याचिका, पी आई एल, के माध्येम से भी आए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक या खतरनाक या घातक गतिविधियों में शामिल उद्योगों को जवाबदेही के सिद्धान्त के आधार पर उनकी वजह से हो रहे प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए उन क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी डाली गई। वन संरक्षण से लेकर नागरिक सुविधाओं के अभाव तक गंगा नदी के प्रदूषण, दिल्ली के निवासियों द्वारा सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायु तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले उद्योगों को बन्दक करने के निर्देश से ताजमहल की चमक को काफी हद तक बनाए रखा गया है। ये सभी मामले भारतीय न्यायालयों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के हैं। कुछ ऐतिहासिक मामलों में शामिल हैं -

1. दिल्लीं वाहन प्रदूषण मामला

स्थापित पर्यावरणीय कार्यकर्ता और वकील एम सी मेहता द्वारा 1985 में एक पी आई एल दायर की गई थी। यह नागरिकों का सीधा मामला है। मेहता ने नई दिल्ली- और उसके आसपास के क्षेत्रों के वायुमण्डील में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स से प्रदूषण के स्तकर में खतरनाक वृद्धि के बारे में चिन्ता प्रकट की है। प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली संबंधित बीमारियों जिसमें क्षय

रोग, अस्थ्मा, ब्रांकाइटिस और फेफडों का कैंसर शामिल है। मेहता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी, भारत संघ तथा दिल्ली प्रशासन और डीटीसी ने भारत के सामान्य कानून और पर्यावरण के खिलाफ कार्य किया है। उन्हों ने बल दिया कि स्वच्छ वातावरण में रहना दिल्ली के निवासियों का मौलिक अधिकार हैं और ये अधिकार प्रतिवादी द्वारा भंग किया गया है। उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रतिवादी, जिसके वाहनों द्वारा खतरनाक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, के खिलाफ उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।

ये मामला 1985 में दायर किया गया था लेकिन 1990 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तत्पाश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश जारी किए गए। इस मामले में प्रगति हुई थी भले ही धीमी गति से। वर्ष 1990 से 1992 के बीच न्यायालय ने वाहन उत्सर्जन की जांच के आदेश दिए खास तौर से सार्वजनिक बसों पर ध्यान दिया जिसमें दोषी वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्तस करने के अधिकार तक शामिल हैं। जैसे-जैसे विवाद आगे बढ़ा तो न्याायालय ने प्राधिकरणों को तीन चरणों में शीशा रहित ईंधन के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिसकी शुरूआत दिल्ली से हुई और पूरे भारत में 2001 तक सभी राजकीय वाहनों को संघनित प्राकृतिक गैस दुपहिया, तिपहिया वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक और संघनित गैस अथवा शीशा रहित ईंधन प्रयोग करने के निदेश दिए और यह भी निर्देश दिए कि एक निकाय बनाया जाए जो कि न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी करे।

जनवरी, 1998 में, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के विशेषज्ञ प्राधिकरण, जो कि पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ईपीसीए के गठन को अनुमोदित किया।

तथापि, जुलाई, 1998 में एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया जिसमें यह दावा किया गया कि पर्यावरण प्रदूषण अतिवादियों की बन्दूक से निकली गोलियों से ज्यादा पीडित करता है जो कि सार्वजनिक जीवन में विभिन्न अंशधारकों के लिए युद्ध का क्षेत्र बन गया। इसमें शामिल था अक्टूबर, 1998 से 15 वर्ष पुराने सभी वाहनों, टैक्सियों को हटाना, दिसम्बर, 1998 तक पेट्रोल स्टेशनों पर 2 टी आयल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना, और अप्रैल, 2001 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 10000 बसों तक बढ़ाना, सितम्बर, 1998 तक एनसीटी दिल्ली के अंतर्गत शीशा युक्ब पेट्रोल को बन्दर करना, 31 मार्च, 2000 तक 1990 या उससे पहले के सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी को नए वाहन क्लीन फयूल आधारित वाहनों से प्रतिस्थापित करना।

01 अप्रैल, 2000 तक केवल सीएनजी, संघनित प्राकृतिक गैस, के अलावा, 8 वर्ष से अधिक पुरानी कोई बसें नहीं चलनी चाहिए। न्यायालय ने दोबारा जोर देते हुए निर्देश दिया कि समय-समय पर न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम दोनों द्वारा आम लोगों की जानकारी में लाने तथा प्रभावी और पर्याप्त कदम उठाएं। शहर में बदलाव लाने के लिए जुलाई, 1998 के आदेश में समय-सीमा दी गई थी। आदेश देते समय न्यायाधीशों ने कहा कि आज इस न्यायालय तथा ईपीसीए द्वारा पक्षकारों, विद्वानों के परामर्श से दी गई समय सीमा का सभी प्राधिकरणों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाए। न्यायाधीशों ने सभी संबंधितों को सख्त चेतावनी देते हुए आगाह किया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में सभी संबंधितों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय का अगला लक्ष्य डीजल आधारित वाहन थे जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और रेस्पांइरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए 90 प्रतिशत जिम्मेदार हैं। डीजल के पार्टिकुलेट का

जहर और जहरीली हवा के लगातार संपर्क से प्रति मिलियन फेफड़े के कैंसर के 300 मामले आए हैं। 1999 में डीजल चालित वाहनों के मासिक पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में डीजल टैक्सियों को प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक कि वे संरक्षा मानदण्डों के अनुरूप नहीं होती।

वर्ष 2000-2003 तक उच्चतम न्यायालय का पूरा ध्यान इसके द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर था। न्यायालय ने ऑटो ईंधन नीति में पूर्व सावधानी सिद्धान्त को लागू किया। ऑटो ईंधन नीति का पूरा ध्यान पर्यावरणीय क्षति कारणों का पूर्वानुमान, बचाव और पर्यावरणीय क्षति के कारणों पर केंद्रित था। कदाचित इन्हीं प्रयासों से आज सभी बसें सीएनजी पर चल रही हैं। निजी क्षेत्र के वाहनों समेत परिवाहन क्षेत्र को सीएनजी के आवंटन में आद्योगिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता दी गई। इस तरह से, उच्चतम न्यायालय द्वारा अवतरित आदेशों द्वारा ध्येय को सफलता पूर्वक संपूर्ण किया गया।

'दिल्ली वाहन प्रदूषण' मामला नागरिकों के जीवन के बचाव के लिए उच्चतम न्यायालय की प्रतिबद्धता और समर्पण को प्रतिबिम्बित करता है। न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन न्यायिक प्रगति की तरह सुस्त थी। फिर भी, आज दिल्ली का अपेक्षाकृत स्वच्छय वायुमंडल पीआईएल का ही प्रतिफल है।

2. 'एमसी मेहता बनाम भारत संघ, गंगा प्रदूषण मामला', (एआईआर 1998 उच्चतम न्यायालय 1037)

गंगा के किनारे स्थित चर्म उद्योग नदी को प्रदूषित कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने आदेश की तारीख से छः महीने के भीतर एफयूलेन्ट संयन्त्र बनाने का निर्देश जारी किया। इसमें विशिष्ट निर्देश था कि जो भी उद्योग इसको लगाने में विफल रहते हैं वे बन्द कर दिए जाएंगे। न्यायालय ने केन्द्रो सरकार, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि उद्योगो के बन्द होने से बेरोजगारी, राजस्व का नुकसान होगा फिर भी जीवन, स्वास्थय और पारिस्थित की भी अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय अभी भी गंगा नदी की सफाई अभियान को मॉनीटर कर रहा है।

3. बिछड़ी गांव का मामला, - 'पर्यावरण, विधि कार्य के लिए भारतीय परिषद बनाम भारत संघ'

बिछड़ी, राजस्थान के उदयपुर जिले का बहुत ही कम जाना-सुना गांव है। फिर भी, 1988 में रासायनिक उद्योग के एक समूह ने वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उससे संबंधित रसायन का निर्यात करने के लिए संयन्त्र स्थापित किया। यद्यपि, यूरोपियन देशों में एसिड का उत्पादन प्रतिबंधित है फिर भी वहां इसकी आवश्यकता बनी रहती है। इस तरह, भारत का एक दूरस्थ गांव जहरीले रसायन के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्थान बना। इस तरह खतरनाक उद्योग ने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण से बिना उचित अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए इस रसायन का उत्पादन शुरू किया। फैक्टरी का अपशिष्टि उत्पाद की मात्रा 2400 और 2500 मीट्रिक टन के बीच थी, जो कि बहुत ही जहरीली थी। कम से कम ग्यारह गांवों के 400 किसान और उनके परिवार सीधे तौर पर भू-जल प्रदूषण से प्रभावित थे।

तथापि, अक्टूबर,1989 में एमसी मेहता की अगुवाई में दिल्ली आधारित एनजीओ, पर्यावरण विधि कार्रवाई के लिए भारतीय परिषद द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। एनजीओ ने ग्रामवासियों द्वारा झेली जा रही अमानवीय अमानवीय जीवन को प्रस्तुत किया और न्यायालय से प्रार्थना की कि कोई नैदानिक कार्रवाई की जाए। उच्चतम न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और इस तरह से कानूनी लड़ाई इस दिन से निरन्तर चलती रही। 1989 और 1994 के बीच में, न्यायालय ने आदेश पारित किया। प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की प्रार्थना को उन्होंने शामिल करने का अनुरोध किया और इसके पश्चात अल्पत और दीर्घकालीन निदान के लिए कार्रवाई की सिफारिश की।

फरवरी, 1996 में न्यायालय ने अपना अन्तिम आदेश घोषित किया, जिसमें यह कहा गया कि ग्रामीणों, भूमि तथा जल प्रदूषण के लिए ये खतरनाक उद्योग ही जिम्मेदार हैं। इसलिए ये आद्योगिक अपशिष्टों तथा अन्य प्रदूषक को हटाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य थे तथा भूमि और भू-जल को री-स्टोर करने के लिए अपेक्षित सुधारात्मनक उपायों की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेददार हैं। न्यायालय ने प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त को लागू करते हुए और केन्द्रीय सरकार को सुधारात्मनक उपाय की लागत को उद्योगों से वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। न्यायालय ने बिछड़ी क्षेत्र में स्थित सभी रासायनिक संयन्त्रों को बन्द करने का आदेश दिया। यह संदर्भ महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने वातावरण से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए समर्पित पर्यावरण न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया और इस तरह से न्यायालय की दीर्घावधि से लंबित मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया।

नवम्बर, 1997 में, पर्यावरणीय सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उद्योगों 3738 करोड़ रूपए और 34.28 लाख रूपए गामवासियों को तात्कालिक रूप से देने का आदेश दिया जिसका तत्काल अनुपालन नहीं हुआ। अन्ततः, 2011 में आदेश के अनुपालन में 15 वर्ष के विलंब के लिए न्यायालय ने नैदानिक राशि 37.38 करोड़ रूपए पर 12 प्रतिशत की दर से चक्रबृद्धि ब्याज लगाया और इसके भुगतान के लिए प्रदूषक को दो महीने अवधि दी गई, जिसका भुगतान न करने पर वसूली कार्रवाई का प्रावधान किया गया। इस तरह इस बाद प्रदूषक उद्योगों के पास न्यायालय के आदेश के अनुपालन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

बिछड़ी गांव मामले की महत्ता यह है कि यह ग्रामवासियों की शिकायतों को पीआईएल के माध्यम से सुने जाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 का आवेदन पूर्ण जवाबदेही तथा 'प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त' भारत के उभरते हुए पर्यावरणीय विधि शास्त्र की इतिहासवादी शाख के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय है।

4. 'टी एन गोदावरमन तिरूमुलुकपाद बनाम भारत संघ', (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 1228)

सन्तुलित विकास के लिए विचार का प्रभाव न्यायालय की वन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की व्याख्या से प्रभावित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावित विभिन्न आयामों का परीक्षण किया गया। न्यायालय के इस समस्या के निर्णय का सारांश निम्नानुसार है -

- सरकार के उचित अनुमोदन के बिना वन क्षेत्र में खनन लाइसेंस दिया जाना वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। अवैध लाइसेंस के तहत इस प्रकार की सभी गतिविधियां बन्द की जानी चाहिए। राज्य सरकारें आवश्य क नैदानिक उपाय के लिए कदम उठाए।

- किसी भी तरह की चालू आरा मिलों की गतिविधि अवनिक कार्य है। आरा मिलें जो जो अरूणचल प्रदेश की सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे के अन्दर हैं को बन्द किया जाना।
- आरा मिलों की संख्या, मिलों की वास्तविक क्षमता, निकटतम जंगल से दूरी और उनके लकड़ी के स्रोत की रिपोर्ट देना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
- अरूणाचल प्रदेश के वनों में, पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। अन्य राज्यों में भी बिना कार्य योजना के अनुसार वनों की कटाई भी स्थगित।
- कटे हुए पेड़ों और लकड़ी के आवागमन को बन्द करना।
- वन क्षेत्रों की पहचान करने तथा पौध रोपण से वनों को आच्छारदित करना तथा आरा मिलों के संबंध में वन की सन्तुलित क्षमता के आकलन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों का गठन करना।
- जम्मू तथा कश्मीर राज्य में किसी भी निजी ऐजेंसी द्वारा गिरे हुए पेड़ों या लकडियों की कटाई में न लगाया जाए।
- तमिलनाडु के आदिवासी जो कि वन क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें सरकार की स्कीम तथा लागू कानून के अनुसार पेड़ लगाने और काटने चाहिए।

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के लिए 4 महीनों के भीतर मामला वापस लाया गया। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति के गठन की प्रक्रिया न्यायालय ने आरंभ की। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश बिना लाइसेंस वाले आरा मिलों तथा प्लाई वुड उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। तमिलनाडु के जनमन क्षेत्र में गिरे हुए सभी पेड़ों के स्थान पर राज्य सरकार का नए पेड़ लगाने के आदेश दिए गए थे।

भारत के वन कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्राधिकरणों की पूरी तरह से विफलता को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए आदेशों में स्पष्ट किया गया, यहां तक कि न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वायन के पर्यवेक्षण के लिए न्यायालय द्वारा एक समिति गठित करनी पड़ी, अन्यथा इस कार्य को प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए था।

कई विकासशील देशों ने भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जहां मानव अधिकारों के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय है और निश्चित रूप से पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किए जिससे इस कार्य के प्रति भारतीय न्यायालयों की प्रतिबद्धता दिखती है।

पाठगत प्रश्न 27.8

1. पर्यावरण संरक्षण से सम्बधित चार महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किजिए।

आपने क्या सीखा

कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई जबकि न्यायालय किसी विशेष क्षेत्र के अलावा सभी प्रकार के विवादों के निपटान के लिए होता है।

जहां पर सभी प्रकार के विवादों, चाहे वह किसी विशेष क्षेत्र के कानून क्यों न हो, के निपटारे के लिए न्यायालय स्थित है वहां पर एक ट्रिब्यूनल विशिष्ट क्षेत्र के विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। जहां पर विशिष्ट क्षेत्र के मुकदमे के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल स्थित है, ऐसे सभी विवाद न्यायालय से ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किए गए हैं।

विभिन्नि देशों द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय उपस्करों कानून व नियम मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाले कानून बनते हैं। अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उपस्कर मिलजुलकर बनाए गए हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के रूप में जाना जाता है।

वाहनों में डीजल तथा पेट्रोल के प्रयोग से उत्सर्जित होने वाले खतरनाक धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के खतरो से संबंधित जनहित याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने के परिणाम स्वरूप ही आज दिल्ली के लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। सार्वजनिक वाहन दिल्ली की सड़को पर दौड़ने के लिए सीएनजी या सीएनजी जैसे ईधन के उपयोग को सुनिश्चित करने में अनेक वर्ष लगे और यह सब जनहित याचिका द्वारा ही संभव हुआ है।

जनहित याचिका द्वारा उच्चमतम न्यायालय में गंगा नदी के प्रदूषण और "बिछड़ी गांव के मामले में" प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू किया और प्रदूषक उद्योगों से उनके द्वारा पर्यावरण की क्षति किए जाने के मुआवजे के तौर पर प्रदूषक द्वारा भुगतान के मामले को जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में पहुंचा।

टीएन गोदावरमन तिरूमुल्लाकपा उच्चतम न्यायालय ने पीआईएल द्वारा वन संरक्षण कार्य को सक्रिय रूप से संज्ञान में लिया।

पाठांत प्रश्न

1. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित करने के क्या कारण थे?
2. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की संरचना क्या है?
3. एनजीटी के नए अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें?
4. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के समुचित तरीके से निपटान न होने से क्या प्रभाव हो सकता है?
5. खतरनाक अपशिष्टों के रख रखाव एवं प्रबंधन के विभिन्न सोपान क्या है?
6. ग्रीन हाउस गैस क्या है?
7. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून को परिभाषित करें?
8. विशेष तौर से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लागू हुए "न्यायिक गतिविधि" को परिभाषित करें?
9. जनहित याचिका की भूमिका की संक्षिप्त में विवेचना करें?
10. उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में दिए गए चार महत्वपूर्ण निर्णयों के नाम बताएं?

11. किस प्रावधान के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की जा सकती है?
12. पीआईएल को परिभाषित करें, पीआईएल की मूल विशेषताओं का वर्णन करें ?
13. न्यायालय में विवादों की निपटान के लिए प्रतिकूलात्मक प्रणाली के बारे में क्या जानते हैं?
14. दिल्ली वाहन प्रदूषण मामले का संक्षिप्त वर्णन करें?
15. बिछड़ी गांव के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को क्यों और कैसे लागू किया गया

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

1. ट्रिब्यूतन स्थापित करने का मुख्य कारण न्यायिक सदस्यों के साथ विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके विवादों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करना है।
2. पर्यावरण के बचाव एवं वन संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों जिसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार और व्यक्तियों को या स्रोतों को होने वाली क्षतिपूर्ति के शीघ्र एवं प्रभावी तरीके से निपटारा करने को सुनिश्चित करने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई।
3. 'त्रुटिविहीन सिद्धांत' यह निर्धारित करता है कि किसी मालिक या उसके नियोक्ता अपने बचाव में चूक नहीं की का बहाना नहीं ले सकते। यदि कोई दुर्घटना होती है और परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो केवल उसका मालिक या नियोक्ता जिम्मेदार होगा क्यों कि यह दुर्घटना उसके उद्यम के अंतर्गत हुई है।
4. यदि कोई व्यक्ति एनजीटी में मामला हार जाता है तो वह मामले की चुनौती माननीय उच्चतम न्यायालय में कर सकता है।
5. मामले की सुनवाई और निर्णय दो सदस्य कर सकते हैं। जिसमें से एक न्यौयिक सदस्य और एक अन्य विशेषज्ञ सदस्य होता है।

27.2

1. पदार्थ या तैयार पदार्थ जो रासायनिक या भौतिक–रासायनिक पदार्थों की हैण्डलिंग के कारण मानव जाति, अन्य् जीव जन्तु, सूक्ष्म जीव, संपदा को अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक अपशिष्ट कहलाते हैं।
2. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ यदि लावारिस या साधारण रूप से फेंक दिया जाता है तो इससे बहुत से खतरनाक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय मामले बन जाते हैं।
3. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 1989 का मुख्य उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों का नियंत्रण और प्रबंधन है।
4. ईआईए का अर्थ है कि परियोजना के ट्रीटमेंट, भण्डारण और खतरनाक अपशिष्टों के निपटान से होने वाले प्रभावों की पहचान करना और ऐसे उपयोग के लिए स्थल क्लीयरेंस

हेतु आम लोगों की स्वकृति ली जानी चाहिए। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन और हैण्डलिंग के संबंध में ईआईए जरूरी है।

27.3

1. कार्बन-डाई-आक्सोइड, मीथेन, नाइट्रस आक्सांइड, सल्फडर हेक्सा क्लोराइड और गैसों के दो समूह हाइड्रोक्लोरो कार्बन तथा परक्लोरो कार्बन।
2. जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं जिसमें भूमि के तापमान में औसत वृद्धि और ओजोन परत का क्षीण होता है।
3. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का निवारण संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यल के अंतर्गत अंतराष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपाय का क्योहटो प्रोटोकॉल एक उदाहरण है।
4. क्यों कि जलवायु परियोजन के लिए ग्रीनहाउस गैसों का उत्सिर्जन जिम्मेदार होता है इसलिए इसमें कटौती से स्वत: पर्यावरण क्षति बंद हो जाती है।

27.4

1. पर्यावरण और विकास पर 'रियो उद्घोषणा' या वर्ष 1992 में 'रियो-डी-जिनेरो' पर पर्यावरण और विकास अभिसमय तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसी)
2. जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौती का सामना करने के लिए अंतरशासकीय प्रयासों हेतु यूएनएफसीसी ने एक समग्र ढांचा बनाया है
3. तीन मुख्य उद्देश्य है:
   i. जैव विविधता संरक्षण,
   ii. इसके उपस्करों का सुव्ययवस्थित प्रयोग, और
   iii. परंपरागत संसाधनों के प्रयोग से लाभों की स्वच्छ और समान रूप से शेयरिंग।
4. संतुलित विकास, अंतर परंपरागत इक्विटी तथा प्रभुता संपन्न अधिकारों के सिद्धांतों पर बने 'स्टापकहोम उद्घोषणा' में सुस्थिर विकास और अन्योंथ के बीच पुन: पुष्टि करने, पूर्व सावधानी सिद्धांत की महत्ता और केन्द्रीयता, प्रदूषक भुगतान तथा पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है।

27.5

1. हां।
2. हां।
3. पूर्ण जिम्मेदारी
4. नहीं।

27.6

1. हां।
2. आज व्यक्ति वास्तविकता और पर्याप्त हित में आम लोगों की शिकायतों, लोगों के कर्त्तव्यों या सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक अधिकारों और हितो के समाधान के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। पर्यावरणीय मुददों को न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका द्वारा समाज के बहुआयामी लोगों ने प्रस्तुत किया। वकीलों, वकील संघों, पर्यावरणविदों, विभिन्न समूह और केन्द्र, जो कि पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति समर्पित है, कल्याणकारी मंचों, उपभेक्ता अनुसंधान केन्द्रों ने सफलतापूर्वक पर्यावरणीय मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया।
3. पीआईएल मामलों का दायरा बहु आयामी है। यह जानवरों की संवेदना, आदिवासी तथा मछुआरों का विशेषाधिकार, हिमालय और वनों की पारिस्थितकी, इको पर्यटन, भूमि के उपयोग के तरीके और पारिस्थिकीय क्षति के कारण गांवों द्वारा जूझ की जा रही समस्यों व तक फैला है।
4. न्याय देने की प्रतिकूलात्मक प्रणाली का अभिप्राय यह है कि दो पक्षकार एक दूसरे के बीच मामले को चुनौती देते हैं और न्यालयाधीश किसी पक्ष का बेहतर मामला है के निर्णय के लिए एक तटस्थ निर्णायक यह रेफरी के रूप में बैठता है।

27.7

1. पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण प्राधिकरण
2. संघनित प्राकृतिक गैस
3. वायु प्रदूषण
4. जल प्रदूषण

27.8

1. (i) दिल्ली वाहन प्रदूषण मामला
   (ii) एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ-गंगा प्रदूषण मामला
   (iii) विछड़ी गांव का मामला-पर्यावरण विधि कार्य के लिए भारतीय परिषद् भारत संघ
   (iv) टी. एन. गोदावरमन बनाम भारत संघ (ए. आई. आर 1997, SC 1228)

मॉड्यूल VIIB

उपभोक्ता सुरक्षा संबंधित कानून और सूचना का अधिकार

अध्याय 28 उपभोक्ता संरक्षण

अध्याय 29 अनुचित कारोबारी व्यवहार

अध्याय 30 उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां

अध्याय 31 उपभोक्ता सक्रियता

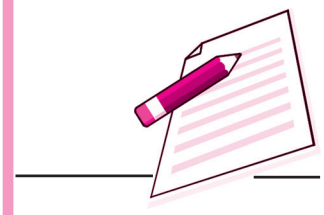

28

उपभोक्ता संरक्षण

नन्ही आलिया अपने भाई के जन्मदिन पर उसे कुछ तोहफा देना चाहती थी। वह अपनी मां के साथ पास के दुकान पर गई और अपने भाई के लिए एक सस्ते वाला फोन लेकर आई। उसका भाई वहीं पास के बड़े शहर में नौकरी के लिए जा रहा था। अपने जन्मदिन पर मिले फोन का उपहार पाकर गोपाल बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी खुशी गम में बदल गई। शहर पहुंचने के बाद देखा, उसका फोन काम नहीं कर रहा है और उसे अपने घरवालों से बातें करने के लिए एक दूसरा फोन लेना पड़ा। आलिया और गोपाल क्या करेंगे? उपभोक्ता होने के नाते उनके 'उपभोक्ता अधिकार' क्या है? इस अध्याय में हम उपभोक्ता अधिकारों एवं उपभोक्ता कानूनों की चर्चा करेंगे।

इस अध्याय में हम भारत में उपभोक्ता कानून के उद्भव और क्रमविकास के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के मुख्य प्रावधानों और 'उपभोक्ता संरक्षण', 'उपभोक्ता अधिकार' जैसे शब्दों के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

यह अध्याय पढ़ने के बाद आप–

- उपभोक्ता अधिनियम के इतिहास और क्रमविकास के बारे में जान पाएगे;
- 'उपभोक्ता' शब्द के अर्थ को समझ सकेगें;
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा करने में समर्थ हो सकेगें; एवं
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हाल में ही हुए संशोधनों को जान सकेंगे।

28.1 उपभोक्ता कानून का उद्भव और विकास

इस अध्याय के अगले भाग में हम 'उपभोक्ता' शब्द के अर्थ और परिभाषा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत में उपभोक्ता कानून के क्रम विकास के बारे में यहां संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है।

पहले 'केविट कैपटर' (Caveat capator) सिद्धांत का अर्थ था कि उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले ही सतर्क रहना चाहिए। अगर उपभोक्ता द्वारा खरीदने से पहले कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई है तो सामान की खरीदारी के बाद विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह भारत में पहले प्रचलित था।

इसलिए उपभोक्ता कुछ उत्पाद खरीदने से पहले बहुत ही सतर्क रहता था।

यद्यपि उपभोक्ता अधिकार की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बने थे, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे।

- खाद्य वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम के लिए अधिनियम
- आवश्यक वस्तुओं से संबंधित अधिनियम
- एमआरटीपी (MRTP) अधिनियम

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून व्यवस्था की एक स्वतंत्र और प्रगतिशील पद्धति है और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।

आप, आलिया और गोपाल जैसे लोग आज उपभोक्ता अधिकारों के बारे में ज्यादा जागरूक हो गये हैं और विक्रेता अब अपने दायित्वों से बच नहीं सकते।

यदि खरीदी हुइ वस्तुओं में कोई खराबी है या निवारण सही नहीं है तो उपभोक्ताओं को अब अधिकार प्राप्त हैं जो उनकी सहायता करते हैं।

पाठगत प्रश्न 28.1

1. आलिया कौन है?
2. आलिया की मां ने मिठाई का डिब्बा खरीदा? उसे क्या कहकर संबोधित किया जाएगा?
3. उपभोक्ता के रूप में क्या गोपाल को कोई अधिकार है?

? क्या आप जानते है

एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उत्पाद, जो उसके द्वारा खरीदी नहीं गई, वह भी एक उपभोक्ता है, अगर जिस व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई है, वह इस उत्पाद के प्रयोग की अनुमति दे।

28.2 उपभोक्ता कौन है?

सहज रूप से कहें तो उपभोक्ता एक व्यक्ति है, जो-

- सामान खरीदता है या
- जो सेवाएं लेता है।

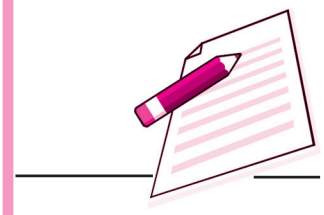

लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिभाषा के अनुसार 'उपभोक्ता' का अर्थ दो भागों में विभाजित है। पहला भाग कहता है कि उपभोक्ता वह है, जो उत्पादों की कीमत अदा करता है (इसीलिए क्रेता एक उपभोक्ता है)। दूसरा भाग कहता है कि उपभोक्ता वह है कि जो उपलब्ध सेवाओं का मूल्य प्रदान करता है (इसलिए 'सेवाएं' लेनेवाला एक उपभोक्ता है)। हालांकि व्यवसाय या कारोबारी उद्देश्य के लिए खरीदे गये उत्पादों को इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(क) खरीदार - एक टी.वी. सेट खरीदने वाला।
किराएदार - टेक्सी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाला।

(ख) रामानुजन ने बाल बनाने के लिए नाई को 100 रुपये दिया। क्या वह उपभोक्ता है?

(ग) करिश्मा अपनी जांच के लिए सरकारी अस्पताल जा रही है, क्या वह उपभोक्ता है?

(घ) प्रीति मॉल से एक सुंदर-सी ड्रेस लाती है। एक बार पहनने के बाद उसने जैसे ही ड्रेस साफ करती है, यह फट जाती है। क्या वह ड्रेस वापस कर सकती है?

पाठगत प्रश्न 28.2

1. उपभोक्ता कौन है?

2. क्या सेवाओं की कीमत अदा करने वाला भी क्या एक उपभोक्ता है?

28.3 उपभोक्ता अधिकार

'अधिकार' के बारे में हम सभी को थोड़ी-बहुत जानकारी है, लेकिन हमें उसकी सही जानकारी नहीं है, जिससे हम उसका आनंद उठा सके। आपने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में भी अवश्य सुना होगा। हां, आपने उपभोक्ता सतर्कता के बारे में टी.वी. पर कई विज्ञापन देखे होगें। आपने 'जागो ग्राहक, जागो' देखा है? आइए जानते हैं उपभोक्ता अधिकार क्या है?

उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार हैं जो एक उत्पादन को खरीदने वाले या सेवायें किराये पर लेने वाले उपभोक्ता को बेचने वाले के विरूद्ध प्राप्त हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित को उपभोक्ता अधिकार माना है:

1. सुरक्षा का अधिकार;
2. सूचना पाने अधिकार;
3. चयन का अधिकार;
4. सुने जाने का अधिकार;
5. मुआवजे का अधिकार;

6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार;
7. स्वस्थ परिवेश का अधिकार; एवं
8. मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार

? क्या आप जानते है

यह उपभोक्ता का सबसे बड़ा और सशक्त अधिकार यह है कि वह किसी वस्तु को खरीदने से मना कर सकता है, जिससे विक्रेता अपने ग्राहक के साथ-साथ कभी-कभी अपने कारोबार से भी हाथ धो सकता है।

हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यद्यपि हम कर चुकाते हैं फिर भी सरकारी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती क्योंकि वे निशुल्क प्रदान की जाती है।

पाठगत प्रश्न 28.3

1. उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा क्या है?

2. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के दो किन्हीं अधिकारों का उल्लेख करें।

28.4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उ.स.अ.)

हम उपभोक्ता अधिकार के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो अधिनियम उपभोक्ता के अधिकार की पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है, वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986।

सभी अधिनियमों की तरह यह अधिनियम भी अनेक भागों, उपभागों और खंडों में विभाजित है। उदाहरण के तौर पर भाग-2, उपभाग (1) और उपभाग की धारा (घ) को भाग 2(1) (घ) के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का भाग 2(1)(घ) 'उपभोक्ता' को परिभाषित करता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य तीन स्तरीय - जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तर पर अर्ध-न्यायिक व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता को सहज, तीव्र एवं सस्ता संरक्षण प्रदान करना है।

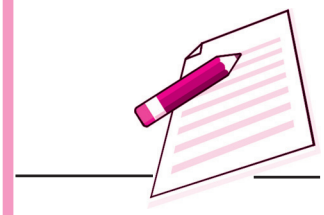

अत: जब कभी उपभोक्ता के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तब उपभोक्ता इन स्तरों पर शिकायत करता है। इस अधिनियम का प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना है जिसकी हम अध्याय के अगले भाग में चर्चा करेंगें।

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 का मुख्य लक्ष्य हैं-

(क) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा।

(ख) उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा।

इनके अंतर्गत निम्नलिखित समाहित हैं:

(क) खतरनाक वस्तुओं एवं ऐसी सेवाओं जिनसे जीवन और सम्पत्ति को खतरा है, से सुरक्षा प्रदान करना।

(ख) सामानों की गुणवत्ता, परिमाण, मानक, क्षमता, शुद्धता और मूल्यों के बारे में सूचना का अधिकार। जिससे उपभोक्ता अनुचित व्यापार, व्यवहार एवं झूठे वादों एवं बढ़ा-चढ़ाकर किये गये दावों से अपनी रक्षा कर सके;

(ग) सुने जाने का अधिकार,

(घ) विभिन्न प्रकार के वस्तुओं तक पहुँच का अधिकार,

(ङ) क्षतिपूर्ति का अधिकार,

(च) उपभोक्ता-शिक्षा का अधिकार।

? क्या आप जानते है

उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करना 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' (CCPC) का उत्तरदायित्व है।

पाठगत प्रश्न 28.4

1. उस अधिनियम का नाम बताइए, जो भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा करता है और उपभोक्ता-विवादों में क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है।
2. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधीन उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों का उल्लेख करें।
3. उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है?
4. किस दिन को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है?
5. उपभोक्ता के अधिकारों का अतिक्रमण होने पर हम कहाँ जाते है?
6. प्रीति एक दुकान पर नेल पालिश की बोतल खरीदने जाती है। क्या उसे चुनाव करने का अधिकार है?

28.5 उपभोक्ता और सेवा की औपचारिक परिभाषा

'उपभोक्ता'

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के भाग-2(1)(घ) के अनुसार 'उपभोक्ता' वह है, जो सामान खरीदता है, उस सामान का उचित मूल्य प्रदान करता है या करने का वादा करता है या कीमत का अंशत: प्रदान करके बची हुई कीमत चुकाने का वादा करता है।

आपको यह परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ संदर्भ विशेष के लिए है। 'उपभोक्ता' का अर्थ पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है।

सेवा

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के भाग-2(1) में 'सेवा' को इस प्रकार परिभाषित की गई है-

'सेवा' का अर्थ किसी भी तरह की सेवा से है, जो क्षमतासंपन्न प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध करायी जातर है, जैसे कि बैंकिंग, वित्तीय सुविधाएं, बीमा, परिवहन, संसाधन, विद्युत तथा अन्य ऊर्जा की पूर्ति, गृह निर्माण, मनोरंजन और समाचार तथा अन्य सूचनाएं प्रदान करना आदि।

मुफ्त सेवाएं को इसमें शामिल नहीं किया गया है इसीलिए वे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'सेवा' के अन्तर्गत नहीं आती।

? क्या आप जानते है

यदि कुरिअर निर्धारित समय के बाद पहुंचता है तो वह सेवा अपूर्ण मानी जाएगी।

पाठगत प्रश्न 28.5

1. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत 'सेवा' शब्द की परिभाषा क्या है?
2. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का कौन-सा भाग 'सेवा' को परिभाषित करता है?
3. रूपा बैंक में खाता खुलवाने गई और बैंक ने उसकी बजत खाते पर 9 प्रतिशत का ब्याज देने का वादा किया, लेकिन खाता खुलने के कुछ ही दिनों बाद ब्याज दर घटकर 8 प्रतिशत हो गई यद्यपि उसका पूर्व निर्धारित ब्याज 9 प्रतिशत था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या बैंक उत्तरदायी है?

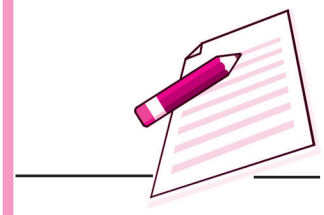

28.6 महत्वपूर्ण मुकदमें

लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता : एक व्यक्ति जो घर के आवंटन के लिए आवेदन करता है, एक 'उपभोक्ता' है और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत संरक्षित है।

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था बनाम वी.पी. शान्ता : डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध सेवाएं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के द्वारा प्रदान की जा रही मुफ्त सेवाएं इसके अन्तर्गत नहीं आती।

ट्रांजिसिया वायो मेडिकल बनाम डॉ. डी.जे. डिसोंगा (22 जनवरी, 2013)

एक खराब एवं उपयोग किये गये स्वचालित 'एनालाइजर' को वापस लौटाया गया और उपभोक्ता के पैसे वापिस किये गये।

28.7 हाल ही में पारित किए गए संशोधित कानूनी मसौदे

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन तैयार की गई फोरमों में अनेक मुकदमें लंबित पड़े हैं और उनका प्रभावी अनुपालन बहुत धीमा है। संशोधन प्रस्ताव में इन सबका विचार करते हुए नीति निर्धारित करते हुए इनका निवारण करने का प्रयास किया गया है।

उदाहरण के तौर पर प्रस्तावित बिल निम्न की आज्ञा देता है–

- ऑन-लाइन शिकायत करने की सुविधा।
- आदेश न पालन करने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना का या अर्थदण्ड का डेढ़ प्रतिशत प्रतिदिन जुर्माना
- उपभोक्ता फोरम द्वारा दिया गया फैसला एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के समान है
- संशोधित बिल में न्यूनता, खराबी, अनुचित व्यापार व्यवहार जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है।

? क्या आप जानते है

उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार एक 'फोरम' में एक न्यायाधीश और दो सदस्य होते हैं, जिन्हें 'Quasi-Judical' (अर्द्ध-न्यायिक) कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक कोर्ट के समान फैसले करता है।

पाठगत प्रश्न 28.6

1. क्या डाक्टरों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत 'सेवाएं' हैं?
2. क्या उपभोक्ता फोरम की मान्यता दीवानी कचहरी के 'डिगरी' (दिये गये फैसले) के बराबर है?

आपने क्या सीखा

- उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ही भारत में उपभोक्ता अधिकार की 'मैग्ना कार्टा' (Magna Carta) है। इस अधिनियम के 52(1)(घ) के अनुसार उपभोक्ता एक व्यक्ति है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के 52(1)(0) में 'सेवा' को परिभाषित किया गया है।
- बैंकिंग, बीमा, वित्त, परिवहन, प्रोसेसिंग, विद्युत या अन्य ऊर्जा की पूर्ति, बोर्डिंग तथा लॉजिंग, निर्माण कार्य, मनोरंजन, सूचनाओं का संप्रसारण आदि 'सेवा' की परिधि में आता है। मुफ्त सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नहीं आता।
- अच्छी तरह जांच-पड़ताल के बिना लिया गया सामान या सेवाएं आपको उपभोक्ता नहीं बनातीं। कारोबार करने के उद्देश्य से लिया गया सामान सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए इसके अंतर्गत आप 'उपभोक्ता' नहीं बनते। 'प्रतिफल' (consideration) का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं के बदले में दिया गया मूल्य और पैसा। भाग 2(1)(घ) दो भागों में परिभाषित किया गया है। पहला भाग, उपभोक्ता को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो सामान खरीदता है और दूसरा भाग उपभोक्ता को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो मूल्य अदा कर सेवा प्राप्त करता है।

  ग्राहक के कुछ निर्दिष्ट अधिकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 क्षतिपूर्ति के लिए 'फोरम' गठित करता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति की भरपाई सभी उपभोक्ताओं का अधिकार है। यह 'फोरम' जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के हैं। उपभोक्ता को इसके बारे में शिक्षित करना **उपभोक्ता सुरक्षा परिषद्** का दायित्व है।

  कई महत्वपूर्ण मामले निम्न हैं-

  'ट्राजिसिया बायो मेडिकल बनाम डी.जे. डिसोजर'

  'लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता'

  'भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था बनाम वी.पी. शांतर'

  उपभोक्ता और कारोबार दोनों के बीच स्वस्थ परिवेश के निर्माण के उद्देश्य से और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पाठांत प्रश्न

1. उपभोक्ताओं के किन्हीं दो अधिकार का उल्लेख करें।
2. कौन-सी संस्था उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है?
3. 'उपभोक्ता अधिकार दिवस' कब मनाया जाता है?

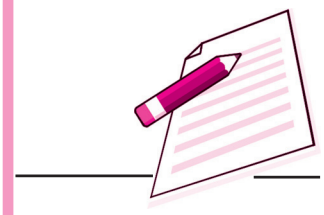

4. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के भाग 2(1)(0) में कौन-सी दो सेवाओं का उल्लेख है।

5. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 में किस प्रकार की वस्तुओं ओर सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है?

6. 'प्रतिफल' (consideration) क्या है?

7. अपने ही शब्दों में 'उपभोक्ता' को परिभाषित करें।

8. 'उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986' के अंतर्गत उपभोक्ता के दो अधिकारों का उल्लेख करें।

9. शीला ने एक महीने हुए नई कार खरीदी थी। उसकी एयरकंडीशनर खराब हो गई। शीला ने शोरूम के लोगों को सही करवाने की बहुत खुशामद की, लेकिन उन्होंने मुफ्त में करने को मना कर दिया। शीला क्या करेगी?

सही/ गलत

1. 'जवाबदेही' का अर्थ है क्षतिपूर्ति प्रदान करना या उत्पादों की भरपाई करना। (सत्य/असत्य)

2. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, न्यायपालिका का एक अनूठा और उच्च प्रगतिशील प्रक्रिया है और भारतीय ग्राहकों की 'मैग्ना कार्टा' (Magna Carta)) कही जाती है। (सत्य/असत्य)

3. सामान के क्रेता के अनुमति के बिना अगर कोई व्यक्ति उसका उपयोग करता है तो वह भी उपभोक्ता है। (सत्य/असत्य)

4. कारोबार या व्यवसाय के लक्ष्य से सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है। (सत्य/असत्य)

5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, के अंतर्गत सरकारी सेवाएं या 'मुफ्त की सेवाएं' सेवाओं के अंतर्गत है। (सत्य/असत्य)

6. ग्राहकों के विपक्ष में उपभोक्ता अधिकार उपलब्ध है। (सत्य/असत्य)

7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के भाग(1)(घ) के अंतर्गत 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा दी गई है। (सत्य/असत्य)

8. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अधीन 'क्षतिपूर्ति' का अर्थ एक उपभोक्ता के तकलीफों का निदान है। (सत्य/असत्य)

9. उपभोक्ताओं को शिक्षित करना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण संस्था का दायित्व नहीं है। (सत्य/असत्य)

10. सामानों का चयन करना उपभोक्ता अधिकार में शामिल नहीं है। (सत्य/असत्य)

11. उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार एक फोरम में एक न्यायाधीश होता है, जिन्हें 'Quasi-Judical' कहा जाता है, जो आम कोर्ट के समान फैसले करता है। (सत्य/असत्य)

12. संशोधित कानून ने उपभोक्ता फोरम को जो अधिकार प्रदान किए हैं, वह दीवानी अदालत में 'डिगरी' के समान है। (सत्य/असत्य)

13. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के 2(1)(घ) में 'सेवा' की व्याख्या की गई है।

14. अनुचित कारोबार द्वारा कारीगरी लागत कम होने पर छोटे कारोबारी पर प्रभाव पड़ता है। (सत्य/असत्य)

पाठगत प्रश्नों का उत्तर

28.1

1. आलिया एक 'उपभोक्ता' है।
2. उपभोक्ता
3. हां

28.2

1. 'उपभोक्ता' वह व्यक्ति है जो खरीदी हुई वस्तुओं का मूल्य देता है। इसीलिए 'क्रेता' एक 'उपभोक्ता' है।
2. हां

28.3

1. 'उपभोक्ता अधिकार' वे अधिकार हैं, जो वस्तुओं के क्रेता या सेवाओं के उपयोगकर्त्ता को विक्रेता या सेवा प्रदाता के विरूद्ध प्राप्त हैं।
2. (i) क्षतिपूर्ति का अधिकार।

   (ii) सूचना का अधिकार।

28.4

1. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986
2. (क) चयन का अधिकार

   (ख) सुने जाने का अधिकार

3. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (CCPC)
4. 15 मार्च को 'उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
5. उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति कोर्ट
6. हां

28.5

1. क्षमता संपन्न उपयोग कर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई किसी भी प्रकार की सेवाएं 'सेवा' की परिभाषा में आती है।
2. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 का भाग-2(1) 'सेवा' को परिभाषित करता है।
3. हां

28.6

1. हां
2. हां

टिप्पणी

29

अनुचित कारोबारी व्यवहार

अक्षय एक छोटा व्यापारी है जो 'महक' नाम से एक शैंपू का निर्माण करता है। कम कीमत की अच्छी शैंपू होने की वजह से गांववाले उसको पसंद करते थे। 'खुशबू' ब्रांड की शैंपू कंपनी 'महक' शैंपू की वजह से अपना ग्राहक खो रही थी। 'खुशबू' शैंपू ने 'महक' शैंपू की तुलना में कम कीमत पर अपना शैंपू बेचना शुरू कर दिया। 'खुशबू' शैंपू के निर्माताओं के लिए यह अस्थायी हानि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं थी। कीमत में कमी की वजह से गांववाले खुशबू शैंपू खरीदने लगे। 'महक' शैंपू ने भारी नुकसान होने की डर से अपनी कीमत कम नहीं की। कुछ ही दिनों में खुशबू शैंपू ने महक शैंपू के पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अक्षय को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। देखते-ही-देखते फिर थोड़े ही दिनों में 'खुशबू' शैंपू ने अपनी कीमत बढ़ा दी, लेकिन गांववालों के पास 'खुशबू' शैंपू खरीदने के अलावा दूसरा कोई राह या चारा नहीं था।

क्या आप सोचते हैं, यह सही था। नहीं, यह न तो अक्षय के लिए और न ही गांववालों के लिए हितकर था। अनुचित कारोबारी व्यवहार छोटे व्यवसाय कर्ताओं पर प्रभाव डालता है, जब निर्माण मूल्य से कम कीमत पर कीमत रखी जाती है।

प्रतियोगिता उचित, स्वस्थ और एक निर्दिष्ट दायरे तक ही सही है। अक्षय जैसे छोटे व्यवसायकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 उनमें से एक है।

मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न व्यवसायकर्ताओं के द्वारा अपनाए गए तरह-तरह के हथकंडे जैसे कि मुफ्त में दिये गये सामानों की कीमत मूल सामानों की कीमत में जोड़ लेना, छूट देकर धोखाधड़ी करना और मुनाफा कमाना आजकल आम बात हो गई है। लेकिन एक सजग उपभोक्ता ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट सही फोरम को देता है। आइए, देखें हममें से कितने लोग इस अनुचित कारोबारी व्यवहार के शिकार हैं।

अनुचित व्यापार व्यवहार से वे छोटे व्यापारी प्रभावित होते हैं जो लागत मूल्य से कम कीमत पर व्यापार करके बाजार में नहीं टिक सकते हैं।

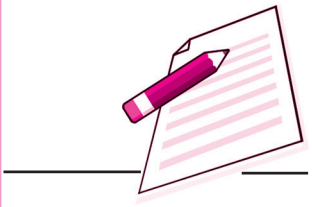

उद्देश्य

यह अध्याय को पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे कि :

- अनुचित कारोबार किसे कहा जाता है;
- 'एकाधिकार' और 'प्रतिस्पर्द्धा' जैसे शब्दों के सही अर्थ एवं इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएगे;
- 'अनुचित कारोबार व्यवहार' के विरूद्ध में क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया के बारे में समझ पाएगें; एवं
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेगें।

29.1 अनुचित कारोबारी व्यवहार

किसी भी वस्तु के बेचने, उसका उपयोग या वितरण करने या किसी भी सेवा को प्रदान करने के लिए अगर कोई अनुचित तरीका अपनाया जाता है, उसे अनुचित कारोबार व्यापार कहा जाता है।

अनुचित कारोबारी व्यवहार निम्न भागों में बांटा गया है-

गलत (प्रस्तुतीकरण)

किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित विवरण तथा अभिवेदन, जो कि

गलत सुझाव देता है कि वस्तुएं एक विशेष मानक, परिमाण, स्तर, सम्मिश्रण ढंग की है;

गलत सुझाव देता है कि सेवाएं विशेष मानक, परिमाण और स्तर की हैं;

किसी भी पुराने, उपयोग किये गये, पुनर्निर्मित या मरम्मत की हुई वस्तु को नई की तरह प्रस्तुत करता है;

दावा करता है कि वस्तुएं या सेवाएं प्रायोजित, मान्यता-प्राप्त और संबधन प्राप्त है जो कि सत्य नहीं है;

यह दावा करता है कि विक्रेता या आपूर्तिकर्त्ता को प्रायोजक या मान्यता प्राप्त है जो कि सत्य नहीं है;

किसी वस्तु या सेवा से संबंधित आवश्यकता या उपयोगिता के बारे में गलत या भ्रामक दावा करता है;

लोगों के समक्ष इस तरह का भ्रामक दावा जो कि वस्तुओं या सेवाओं की गारंटी या वारंटी लगती हो;

वस्तुओं या सेवाओं की दक्षता, निष्पादन और जीवन-अवधि पर गारंटी या वारंटी देता है जो कि किसी समुचित या सही परिक्षण पर आधारित नहीं है;

गारंटी या वारंटी का वादा करते हुए भी उससे मुकर जाना।

सामान या सेवा के मूल्य के बारे में गलत मंतव्य देना।

सौदाकृत कीमत का झूठा ऑफर

अखबारों में जहां विज्ञापन प्रकाशित होता है या जहां सामान या सेवाएं सौदाकृत कीमत पर देने का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में वैसी कोई सौदाकृत कीमत उपलब्ध नहीं होती, वहां उसे अनुचित कारोबारी व्यवहार कहा जाता है। इस लक्ष्य के लिए सौदाकृत कीमत का अर्थ है-

विज्ञापन में मूल्य का इस तरह से उल्लेख करना जिससे यह प्रतीत हो कि यह सामान्य कीमत से कम है, या

जो भी व्यक्ति विज्ञापन देखे/पढ़े उसे लगे कि जिस कीमत का उल्लेख किया गया है बेची जाने वाली वस्तु की सामान्य कीमत से बेहतर है।

मुफ्त 'उपहार ऑफर' और ईनाम योजना

इस वर्ग में अनुचित कारोबारी व्यवहार इस प्रकार का है-

सामान के साथ उपहार, इनाम और अन्य सामग्री देना, जबकि नीयत कुछ और ही है; या

यह प्रभाव पैदा करना कि सामान के साथ कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन असल में जो सामान बेचा गया है, उसके मूल्य के साथ ही मुफ्त में दिए गए सामानों की कीमत भी ली गई है; या

ग्राहकों को कोई प्रतियोगिता, लॉटरी या खेल का आयोजन करके कुछ इनाम देना, जबकि मूल लक्ष्य अपने उत्पादों या कारोबार को बढ़ावा देना है।

निर्धारित मानकों का पालन न करना:

अगर कोई वस्तु या उत्पाद उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के उद्देश्य से यह जानते हुए बनाए गए हैं कि ये निर्धारित मानदंड जैसे निष्पादन, मिश्रण, अंत:वस्तु, अभिकल्प, निर्माण, तैयारी पर खरे न उतरते हों तो उसे 'अनुचित कारोबारी व्यवहार' कहा जायेगा।

जमाखोरी, विध्वंस

बाजार में कीमत बढ़ाने के लिए अगर उपयोगी वस्तु को जमा, नष्ट और न बेचने के इरादे से छिपाकर रखते हैं तो वह 'अनुचित कारोबारी व्यवहार' कहा जाता है।

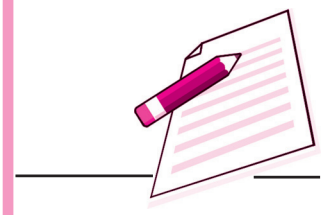

पाठगत प्रश्न 29.1

सही/गलत लिखें-

1. बाजार में कीमत बढ़ाने के लिए अगर उपयोगी वस्तु को जमा, नष्ट और न बेचने के इरादे से छिपाकर रखा जाए तो वह 'अनुचित कारोबार व्यवहार' कहा जाता है। (सही/गलत)

2. सामान के साथ उपहार, इनाम तथा अन्य सामग्री देना जबकि मूल नीयत कुछ और ही है, अनुचित कारोबार नहीं कहा जाता। (सही/गलत)

3. किसी भी प्रकार मौखिक तथा लिखित विवरण तथा अभिवेदन, जो गलत सुझाव देता है कि वस्तुएं निर्दिष्ट मानक, परिमाण, स्तर, सम्मिश्रण और ढंग की है, अनुचित कारोबारी व्यापार कहा जाता है। (सही/गलत)

4. किसी भी पुराने, पुनर्निमित या उपयोग की गई वस्तु को बेचना उपभोक्ता को स्वीकार्य है और यह अनुचित कारोबार व्यवहार नहीं कहा जाता। (सही/गलत)

एकाधिकार और प्रतिस्पर्द्धा

अगर एक ही व्यक्ति या संस्था एक वस्तु विशेष की पूर्ति करता है तो उसे 'एकाधिकार' कहा जाता है। एकाधिकार के कारण आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा नहीं रहती, जिस वजह से औद्योगिक उत्पाद और गुणवत्ता में कमियां पाई जाती है। एकाधिकार प्राप्त करना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी मूल्य में वृद्धि या अपने प्रतियोगी को प्रतिस्प्रर्द्धा से बाहर रखने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। अर्थशास्त्र की भाषा में एकाधिकार को एकमात्र विक्रेता कहा जाता है। कानून में एकाधिकार एक व्यापार इकाई है जिसके पास बाजार की महत्वपूर्ण शक्ति है अर्थात् उसके पास उच्च कीमत मांगने/लगाने की शक्ति है। यद्यपि एकाधिकार बड़े व्यापार हो सकते हैं, लेकिन कारोबार का आकार एकाधिकार का लक्षण नहीं है। एक छोटा व्यापार भी कीमतों को बढ़ाने की शक्ति रखता है।

बाजार में एक प्रभावी स्थान रखना या एकाधिकार अपने आप में अवैध नहीं है। हालांकि कुछ वर्गों में जहां प्रतिस्पर्द्धा नहीं है और प्रभावी कारोबार है, वहां यह अवैध होता है और सरकार इसके विरुद्ध ठोस कदम उठाती है। कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में सरकार एकाधिकार को वैध मानती है, जहां जोखिम कारोबार करने को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क को सरकारी प्रदत्त एकाधिकार माना जाता है। सरकार खुद इसको अपने कब्जे में भी संचालित कर सकती है।

? क्या आप जानते हैं

एकाधिकार अपने आप में अवैध नहीं है।

करिए और जानिए

अपने दादा-दादी से पूछकर ये जानिए कि बचपन में वे कौन-सी ब्रांड का बिस्कुट खाते थे। क्या आपको लगता है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प थे?

पाठगत प्रश्न 29.2

1. 'एकाधिकार' क्या है? उदाहरण सहित उल्लेख करें।
2. संजना ने केक बेचने का कारोबार शुरू किया। वरुण ने भी वही कारोबार शुरू किया, लेकिन उसने केक के उत्पाद मूल्य से बहुत कम मूल्य पर केक बेचना शुरू किया। अंत में संजना को अपना कारोबार बंद करना पड़ा और उसके सारे ग्राहक वरुण के पास चले गए। क्या आप इसे वरुण के द्वारा किया गया 'अनुचित कारोबारी व्यावहार' कहेंगे?
3. 'एकाधिकार व्यापार' पर कौन-सा अधिनियम रोक लगाता है?

29.3 अनुचित कारोबारी व्यवहार का निवारण

29.3.1 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, वह अधिनियम है, जो उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है और इस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता परिषद् तथा अन्य कई संस्थाओं का गठन किया है। इन संस्थाओं में उपभोक्ता विवाद तथा उससे संबंधित अन्य कई मामलों का निपटारा होता है।

हालांकि इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, छोटे व्यवसायी आगे उल्लेख किये गये 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम' के द्वारा संरक्षित होते हैं।

29.3.2 प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

भारत में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 लागू किया गाया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रतिस्पर्द्धा कानून का परम लक्ष्य है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा से यह सुनिश्चित होता है कि बाजार के प्रतियोगी उत्पादों की श्रेष्ठता को ढूंढते हैं (जिससे सेवाओं में गुणवत्ता और कम कीमत पर सामान उपलब्ध हों)। हालांकि पहले के भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून से भिन्न, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (जो साधारणत: एमआरटीपी अधिनियम के रूप में जाना जाता है) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, हर तरह के अनुचित कारोबारी व्यवहार पर लागू नहीं होता। इसीलिए जबकि ज्यादातर उपभोक्ता विवाद एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act) के अंतर्गत आते, नया प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम सारे मामलों में लागू नहीं होता।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम मूलत: दो कार्य करता है। यह निषेध करता है–

1. **गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध**–गैर प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को रोकता है या उसे कम करता है। वे अनुबंध जो सामानों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, अर्जन तथा नियंत्रण और सेवाओं की सुविधा तथा भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन्हें गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध कहा जाता है।
2. **प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग**–प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग वहां पैदा होता है जहां बाजार का कोई प्रभावी व्यवसाय प्रतिष्ठान ऐसा कार्य या व्यवहार करता है जिससे प्रतिस्पर्द्धा या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तथा नये प्रतिष्ठानों को उस प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने से वंचित कर देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि या तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है।

पाठगत प्रश्न 29.3

1. किन्हीं दो अधिनियमों का उल्लेख करें, जो 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के मामलों में निवारण करते है।
2. गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध क्या है?

29.4 भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

भारत का प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत सरकार की वह संस्था (निकाय) है, जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करती है और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। 14 अक्तूबर, 2003 में इसको गठित किया गया। मई, 2009 में यह पूरी तरह कार्य करने लगा।

भारत का प्रतिस्पर्द्धा आयोग निम्न कार्यों का संपादन करता है–

- उपभोक्ताओं के हितों एवं उनकी भलाई के लिए कार्य करना।
- देश की आर्थिक स्थिति की उन्नति के लिए आर्थिक कार्यकलापों में स्वस्थ और उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों के सबसे कारगर उपयोग के लिए प्रतिस्पर्द्धा नीतियों का कार्यान्वयन करना।
- क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रभावी संबंध विकसित और पोषित करना जिससे क्षेत्रीय विनामक कानूनों का प्रतिस्पर्द्धा कानून के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके।
- विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार में संपर्क स्थापन करके प्रतिस्पर्द्धा नियम को लागू कराने के साथ-साथ भारत की अर्थनीति में प्रतिस्पर्द्धा परिवेश का निर्माण करना और भारतीय अर्थनीति को बढ़ावा देना।

पाठगत प्रश्न 29.4

1. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 लागू करने का दायित्व किसका है?
2. भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें।

क्या आप जानते है

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act) को निरस्त करता है।

आपने क्या सीखा

- **अनुचित कारोबार व्यवहार** निम्न भागों में विभाजित है–गलत अभिवेदन, सौदाकृत कीमत का झूठा ऑफर, निर्धाति मानक का अपालन, मुफ्त उपहार ऑफर या इनाम योजना, जमाखोरी, विध्वंस आदि।
- **गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध** बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का निवारण करता है। यह सामानों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, अर्जन तथा नियंत्रण और सेवाओं की सुविधा तथा भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- **प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग** वहां होता है, जहां बाजार का कोई प्रभावी व्यवसाय या प्रतिष्ठान ऐसा व्यवहार करता है जिससे प्रतिस्पर्द्धा या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तथा यह नए प्रतिष्ठानों को उस प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने से वंचित कर देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि या तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है।
- **भारत का प्रतिस्पर्द्धा आयोग** भारत सरकार का वह संस्था है, जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 को लागू करता है और भारत में उन कार्यकलापों को रोकती है, जिनसे प्रतिस्पर्द्धाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 14 अक्तूबर, 2008 में इसको गठित किया गया। मई, 2009 में यह पूरी तरह कार्य करने लगा।

पाठांत प्रश्न

1. एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act) का पूरा नाम क्या है?
2. क्या यह सही है कि 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' सरकार का एक निकाय है?
3. 'अनुचित कारोबार व्यवहार' को परिभाषित करें।
4. 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम' ने कब से पूरी तरह कार्य करना आरम्भ किया?
5. 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' के मुख्य कार्यों का वर्णन करें।

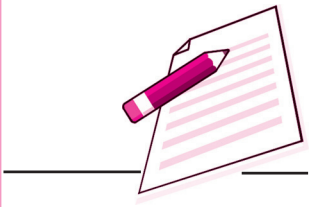

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

29.1

1. सही
2. गलत
3. सही
4. गलत

29.2

1. अगर एक निर्दिष्ट व्यक्ति या या कारोबारी संस्था ही एक वस्तु या उत्पादन विशेष की पूर्ति करता/करती है तो उसे 'एकाधिकार' कहा जाता है।
2. हां, यह एक अनुचित कारोबार व्यवहार है।
3. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

29.3

1. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 और प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002
2. वे अनुबंध जो सामानों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, अर्जन तथा नियंत्रण और सेवाओं की सुविधा तथा भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वे गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध हैं।

29.4

1. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग
2. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के दो मुख्य कार्य-

   (क) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं भलाई का कार्य करना।

   (ख) आर्थिक गतिविधियों में उचित एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना जिससे देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र एवं समावेशी विकास हो सके। विकास के लिए देश में उचित तथा लाभकर प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना।

कार्यकलाप

बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के कारण और उनकी प्रतिक्रिया जानें। कठिनाइयों का सामना करने वाले दुकानदारों से बातचीत करें।

टिप्पणी

30

उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां

जब हमें किसी खरीदी हुई वस्तु या सामान के संबंध में कोई शिकायत होती है तो हम निवारण के लिए उपभोक्ता अदालतों की शरण में जाते हैं। इन अदालतों में हम उन व्यापारियों या कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, जिन्होंने या तो गलत या दोषपूर्ण उत्पाद सप्लाई किया है, जैसे कि मोबाइल फोन या एअर कंडीशनर या फिर जिन्होंने दोषपूर्ण या अपर्याप्त सेवा दी है, जैसे कि कुरियर या उत्पाद को सही या निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराना।

1986 में संसद द्वारा अधिनियमित, **'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम'** भारत में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के विवादों और उनसे जुड़े हुए मामलों से संबंधित उपभोक्ता परिषदों एवं अन्य **संस्थाओं**/ प्राधिकारों की स्थापना का प्रावधान करता है।

उपभोक्ता विवाद निवारण संस्थाएं तीन स्तरों पर स्थापित की गई हैं। जिला स्तर पर, 'जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण (फोरम) (DCDRF)', जो कि 'जिला न्यायाधिकरण' के नाम से भी जाना जाता है।

राज्य स्तर पर 'राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)' है, जो कि 'राज्य आयोग' के नाम से भी जाना जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर, 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)' केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसे 'राष्ट्रीय आयोग' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय है, जो कि सारे देश के लिए है और उन मामलों/ शिकायतें की सुनवाई करता है, जिनमें वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और उनका मुआवजा, यदि कोई है, जिसका दावा किया गया हो, एक करोड़ से ज्यादा हो। यह राज्य आयोगों के फैसलों या मुआवजों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है और उन पर फैसले देता है।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप :

- 'निवारण' शब्द का अर्थ समझ पाएंगे;

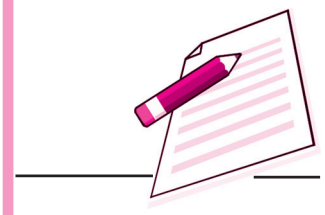

- 'उपभोक्ता अदालतों' को परिभाषित कर पाएंगे;
- विभिन्न उपभोक्ता विवाद निवारण संस्थाओं के प्रकारों को जान पाएंगे;
- 'जिला फोरम', 'राज्य आयोग' एवं 'राष्ट्रीय आयोग' के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कर पाएंगे; तथा
- उपभोक्ता विवाद निवारण के क्षेत्र में नए घटनाक्रमों की चर्चा कर पाएंगे।

30.1 उपभोक्ता निवारण क्या है?

'निवारण' का अर्थ है किसी उपभोक्ता को हुई नुकसान की भरपाई (क्षतिपूर्ति)।

'निवारण' शब्द का अर्थ है 'क्षतिपूर्ति'। ये फोरम (कोर्ट) उपभोक्ता को मुआवजा (हर्जाना) दिलाते हैं, यदि किसी उत्पादक, विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को उचित उत्पाद या सेवा प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए कोई भी, जिसे नुकसान हुआ है, हर्जाने (क्षतिपूर्ति) का दावा कर सकता है, जो कि उपभोक्ता द्वारा, सहे गए नुकसान के अनुसार, आर्थिक रूप में की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई उत्पादक नया मोबाइल (हैंडसेट) नहीं उपलब्ध कराता है, तब उत्पादक इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वह पैसा वापस लौटाए और कुछ मामलों में उसे इस बात के लिए भी बाध्य किया जा सकता है कि वह उपभोक्ता को हुई असुविधा के लिए हर्जाने के रूप में कुछ विशेष राशि अदा करे।

'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' में इन निवारण एजेंसियों या न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। किसी जिले में एक से ज्यादा जिला फोरम (न्यायाधिकरण) हो सकते हैं, यदि राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी करे।

इन न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश (जज) करता है तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या एवं जजों की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के लिए आंशिक रूप से भिन्न होती है।

इन अदालतों के संबंध में एक और रोचक (दिलचस्प) बात यह है कि ये उत्पाद के मूल्य के अनुसार स्वयं ही एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कानूनी भाषा में इसे सामान्यत: 'आर्थिक मूल्य' (Pecuniary Value) कहा जाता है।

पाठगत प्रश्न 30.1

1. 'उपभोक्ता निवारण' शब्द को परिभाषित करें।
2. 'निवारण' को एक दूसरे शब्द में बताएं?
3. 'उपभोक्ता निवारण' के लिए कौन-सा अधिनियम है?
4. क्या किसी जिले में एक से ज्यादा जिला फोरम हो सकते हैं?
5. जिला उपभोक्ता फोरम (न्यायाधिकरण) की अध्यक्षता कौन करता है?

30.2 उपभोक्ता अदालतों से क्या तात्पर्य है?

क्या आप जानते हैं उपभोक्ता अदालतें क्या हैं? ये वे अदालतें हैं, जिनमें उन व्यापारियों एवं कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया जा सकती है, जिन्होंने या तो दोषपूर्ण उत्पाद सप्लाई किया है, जैसे कि मोबाइल फोन, या सही सेवा प्रदान नहीं की है, जैसे कि कूरियर देर से पहुंचाना।

उपभोक्ता अदालतों के तीन प्रकार/स्तर

ये अदालतें (उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां) तीन प्रकार की हैं :

- 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)' : एक राष्ट्रीय स्तर की अदालत
- 'राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)' : एक राज्य स्तरीय अदालत
- 'जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण (DCDRF)' : एक जिला स्तरीय अदालत।

आगे हम इन्हें संक्षेप में 'राष्ट्रीय आयोग', 'राज्य आयोग' एवं 'जिला फोरम' के नाम से लिखेंगे।

एक व्यक्ति जब किसी भी दुकान या मॉल से कोई उत्पाद खरीदता है, ये विशेष प्रकार की अदालतें उस उत्पाद या सेवा में किसी भी प्रकार की खराबी/त्रुटि की अवस्था में उस व्यक्ति को संरक्षण उपलब्ध कराती हैं।

इन उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल एवं अत्यंत सस्ती है, यहां तक कि हम जैसे सामान्य नागरिक भी इसको बिना किसी वकील की सहायता के या बिना किसी अधिक फीस अदा किए, कर सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 30.2

1. 'उपभोक्ता अदालत' (न्यायालय) को परिभाषित करें।
2. जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत का नाम बताएं?
3. राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत का नाम बताएं?

क्या आप जानते हैं

ये फोरम (न्यायाधिकरण) अदालतें ही हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधीश (जज) होते हैं।

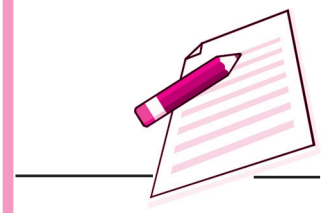

जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय एजेंसिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण (DCDRF) : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण 'जिला न्यायाधिकरण' के नाम से भी जानी जाती है और ये संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित की जाती हैं। राज्य सरकार किसी जिले में एक से अधिक जिला न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकती है। यह एक जिला स्तरीय न्यायालय (अदालत) होती है, जो कि 20 लाख रुपये के मूल्य तक के मामलों की सुनवाई करती है।

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) : इसे 'राज्य आयोग' के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना संबंधित राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यह एक राज्य स्तरीय अदालत है, जो कि उपभोक्ता के विवादों का निपटारा (निवारण) करती है। यह उन मामलों की सुनवाई करती है, जहां कि संबंधित राशि/ हर्जाना 20 लाख से एक करोड़ के बीच हो।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) : इसे 'राष्ट्रीय आयोग' के नाम से भी जाना जाता है एवं इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यह आयोग उन मामलों/ विवादों की सुनवाई करता है, जहां संबंधित राशि एक करोड़ से अधिक हो।

उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां

आप जानते हैं कि हमारा देश भौगोलिक स्थितियों के आधार पर क्षेत्रों में बांटा गया है। उसी प्रकार हमारे देश में उपभोक्ता अदालतों के भी तीन प्रकार या स्तर हैं। ये हैं-

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण (फोरम) (DCDRF),

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) एवं

राष्ट्रीय उपभोक्त विवाद निवारण आयोग (NCDRC)

प्रत्येक अदालत एक निश्चित राशि के मामलों/ शिकायतों की ही सुनवाई कर सकती है।

उदाहरण के लिए, जिला न्यायाधिकरण सिर्फ 20 लाख रुपये तक की शिकायतों की सुनवाई कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि जिला फोरम (न्यायाधिकरण) का आर्थिक अधिकार क्षेत्र (न्याय-सीमा) 20 लाख रुपये तक है।

दूसरा स्तर (राज्य आयोग) अधिक मूल्य तक के मामलों की सुनवाई करता है तथा उसके बाद का स्तर (राष्ट्रीय आयोग) उससे भी अधिक असीमित मूल्य के मामलों की सुनवाई करता है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित न्यायाधिकरण (फोरम) एवं आयोग और कुछ नहीं, बल्कि उपभोक्ता शिकायतों के लिए अदालतें हैं, जो इस तरह हैं-

जिला स्तर (फोरम)
↓
राज्य स्तर (आयोग)
↓
राष्ट्रीय स्तर (आयोग)

इस प्रकार स्थान एवं आर्थिक मूल्य के आधार पर उचित फोरम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, अगला उच्च स्तर का आयोग (न्यायाधिकरण) निचली अदालत (न्यायाधिकरण) से शिकायतें ले सकता है।

पाठगत प्रश्न 30.3

1. जिला न्यायाधिकरण का आर्थिक अधिकार-क्षेत्र क्या है?
2. किसी मोबाइल कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आप निम्नलिखित में से किसके पाए जाएंगे :
   (क) जिला न्यायाधिकरण
   (ख) राज्य आयोग
   (ग) राष्ट्रीय आयोग
3. उन तीन स्तरों का उल्लेख करें, जिनमें ये उपभोक्ता आयोग/ न्यायाधिकरण काम करते हैं।
4. राज्य आयोग से अपील किसके पास जाती है?
5. जिला न्यायाधिकरण से अपील किसके पास जाती है?

30.4 इस क्षेत्र में नए घटनाक्रम

'मर्सिडीज बेंज' पर जुर्माना

दुनिया की सबसे पुरानी एवं प्रमुख विलासिता (लक्जरी) कार बनाने वाली कंपनियों में से एक, 'मर्सिडीज बेंज' पर एक उपयोग की गई डेमो (प्रदर्शन) कार को नया कहकर चेन्नई में एक ग्राहक को बेचने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' के अनुसार, उपयोग की गई डेमो कार को ग्राहक की जानकारी के बिना उसे बेचना- उपभोक्ता संरक्षण (CP) अधिनियम के अंतर्गत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है।

'NCDRC' न्यायालय के न्यायाधीश आर.के. बत्रा ने कहा :

''किसी भी तरह की फिर से बनाई गई, पुरानी, पुननिर्मित या मरम्मत की हुई वस्तु को उसकी बिक्री के लिए नई की तरह पेश करना/ दिखाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और इसका शिकार व्यक्ति मुआवजा पाने का अधिकार रखता है।''

31.4.1 'एअरटेल' पर जुर्माना

'एअरटेल' को अपने एक ग्राहक को दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के कारण ग्राहक को 10,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

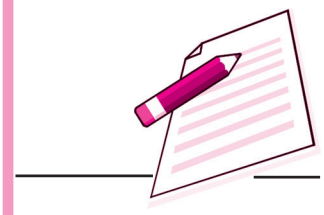

पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी ने अपने दिल्ली निवासी वकील को दोषयुक्त सेवा प्रदान की।

31.4.2 'कैडबरी' को एक व्यक्ति को 30,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया, जिसे चॉकलेट में पिन मिला।

त्रिपुरा की एक उपभोक्ता अदालत ने 'कैडबरी इंडिया लिमिटेड' को यह आदेश दिया कि कंपनी एक शिकायतकर्ता को हर्जाने के रूप में 30,000 रुपये अदा करे। इस व्यक्ति को कंपनी द्वारा बनाई गई एक चॉकलेट बार के अंदर लोहे का पिन मिला था।

खाद्य-विभाग के एक कर्मचारी ने रिपोर्टरों को बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी तीन साल की बेटी के लिए 16 दिसंबर, 2011 को एक कैडबरी चॉकलेट खरीदा। लड़की ने जब बार को खाना चाहा तो पाया कि उसके अंदर लोहे का एक पिन है। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

मुकदमें की सुनवाई के बाद, पश्चिमी त्रिपुरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पिछले सप्ताह 'कैडबरी इंडिया' को यह आदेश दिया कि कंपनी शिकायतकर्ता को एक महीने के अंदर हर्जाने के रूप में 30,000 रुपये अदा करे।

फोरम ने अपने फैसले में कहा कि चॉकलेट हानिकारक था। फोरम ने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मुकदमें के खर्च के रूप में 1000 रुपये अदा करे।

पाठगत प्रश्न 30.4

1. क्या आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में सोच सकते हैं, जिसे आपने पिछले कुछ महीनों के अंदर खरीदा है और जिसमें कुछ खराबी थी? यदि हां, तो उसका नाम बताएं।
2. ऐसी दो घटनाओं/ मामलों का उल्लेख करें, जिनमें उपभोक्ता अदालतों ने दोषपूर्ण उत्पाद या वस्तुएं सप्लाई करने के कारण हर्जाना अदा करने का आदेश दिया हो।

आपने क्या सीखा

- 'निवारण' शब्द का अर्थ है उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई (क्षतिपूर्ति)।
- उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं। ये क्रमशः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF), राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के नाम से जानी जाती हैं।

- **जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF)**, जो सामान्यत: 'जिला फोरम' के नाम से भी जाना जाता है, का क्षेत्राधिकार उन उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करना है, जिनमें वस्तुओं या सेवाओं का आर्थिक मूल्य एवं उनका मुआवजा, यदि मांगा गया हो, एक लाख रुपये से ज्यादा न हो।

- **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)**, जिसे **'राज्य आयोग'** के नाम से भी जाना जाता है, का क्षेत्राधिकार (अधिकार क्षेत्र) उन उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करना है, जिनमें वस्तुओं या सेवाओं का आर्थिक मूल्य एवं उनका मुआवजा, यदि मांगा गया हो, एक करोड़ से ज्यादा न हो। 'राज्य आयोग' जिला फोरम के द्वारा जिले के अंदर दिए गए फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है और फैसला सुना सकता है।

- **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)**, जिसे **'राष्ट्रीय आयोग'** के नाम से भी जाना जाता है, का अधिकार-क्षेत्र उन शिकायतों की सुनवाई करना है, जिनमें वस्तुओं या सेवाओं एवं मांगे गए मुआवजे की राशि एक करोड़ से ज्यादा हो।

  'राष्ट्रीय आयोग' को 'राज्य आयोग' द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ सुनवाई और फैसले करने का अधिकार है।

- इस क्षेत्र में कुछ नए घटनाक्रम हैं। दुनिया की सबसे पुरानी एवं प्रमुख लक्जरी कार निर्माता कंपनियों में से एक 'मर्सिडीज बेंज' पर एक उपयोग की गई डेमों (प्रदर्शन) कार को नया कहकर चेन्नई में एक ग्राहक को बेचने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 'राष्ट्रीय आयोग' ने पाया कि यह एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' था और शिकार व्यक्ति मुआवजा पाने का अधिकार रखता था।

पाठांत प्रश्न

1. 'उपभोक्ता निवारण' को परिभाषित करें।
2. किसी दोषपूर्ण उत्पाद के लिए, जो कि बदला ना गया हो, क्या 'क्षतिपूर्ति' है?
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता निवारण एजेंसियों के कौन-से तीन स्तर हैं?
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें?
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में दी गई विभिन्न निवारण एजेंसियों का संक्षेप में वर्णन करें।
6. किन्हीं दो ऐसे मामलों/ मुकदमों की चर्चा करें, जिनका फैसला उपभोक्ताओं के हित में हुआ हो।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

30.1

1. 'निवारण' का अर्थ है 'क्षतिपूर्ति', हमारे जैसे उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की 'भरपाई' (क्षतिपूर्ति)। और यह उपभोक्ता फोरमों/ आयोगों द्वारा दिलाई जाती है।
2. 'क्षतिपूर्ति'।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
4. हां।
5. जज (न्यायाधीश)।

30.2

1. ये वह अदालतें हैं, जिनमें उन व्यापारियों एवं कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिन्होंने या तो दोषपूर्ण उत्पाद सप्लाई किया है, जैसे कि मोबाइल फोन या सही सेवा प्रदान नहीं की है, जैसे कि कूरियर को सही समय पर नहीं पहुंचाना।
2. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF)
3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)

30.3

1. 20 लाख रुपये तक
2. जिला फोरम
3. (क) जिला फोरम, (ख) राज्य आयोग, (ग) राष्ट्रीय आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)
5. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)

30.4

1. एयर कंडीशनर 1.5 टन क्षमता
2. (क) दुनिया की सबसे पुरानी एवं प्रमुख लक्जरी कार निर्माता कंपनियों में से एक **'मर्सिडीज बेंज'** पर एक डेमो कार बेचने के कारण 2 लाख रुपये जुर्माना किया गया है।

   (ख) **'एअरटेल'** को एक ग्राहक को दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन सेवा देने के कारण मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया।

टिप्पणी

31

उपभोक्ता सक्रियता

राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर हमने अभी तक सीखा कि तीन प्रकार के फोरम हैं, जो शिकायत के क्षेत्र और आर्थिक मूल्य के आधार पर वर्गीकृत हैं।

आलिया पूर्वी दिल्ली में रहती है, इसलिए वह पूर्वी दिल्ली में स्थित उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि वह फैसले से संतुष्ट नहीं होती है, तो वह अगले उच्च स्तर, जो कि दिल्ली में स्थित 'राज्य आयोग' है, तक जा सकती है।

उसके बाद भी अगली अपील राष्ट्रीय फोरम (आयोग) में की जा सकती है। अधिकतर छोटे मामले (मुकदमें) जिला स्तर पर ही निपटा दिए जाते हैं। इसलिए ज्यादातर मामलों में अपील की जरूरत नहीं समझी जाती। उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में इस सारी जागरूकता से बेईमान/ अनैतिक व्यापारियों और उन दोषपूर्ण उत्पादों पर नियंत्रण रहता है, जिन्हें हम नहीं चाहते और जिन्हें हमने कभी खरीदा नहीं।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- 'उपभोक्ता सक्रियता' शब्द का अर्थ समझ पाएंगे;
- भारत में उपभोक्ता आंदोलन का महत्व समझने में सक्षम होंगे;
- भारत में उपभोक्ता आंदोलन के उद्देश्य, लक्ष्य एवं युक्तियों को परिभाषित कर पाएंगे;
- दोषपूर्ण उत्पादों/ वस्तुओं के संदर्भ में शिकायत कैसे दर्ज कराते हैं, सीख पाएंगे; एवं
- दोषयुक्त या अपूर्ण सेवाओं के संदर्भ में शिकायत कैसे दर्ज कराते हैं, जान पाएंगे।

31.1 'उपभोक्ता सक्रियता' क्या है?

भारत में 'उपभोक्ता आंदोलन' की उत्पत्ति इस आवश्यकता के साथ हुई कि अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं का संरक्षण कैसे किया जाए एवं उनके हितों को कैसे

बढ़ावा मिले। बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण एवं जमाखोरी जैसी घटनाओं ने एक संगठित रूप में वर्ष 1960 में 'उपभोक्ता आंदोलन' को जन्म दिया।

इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की। इस दिशा में एक बड़ा कदम वर्ष 1986 में लिया गया, जब 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' को पारित किया गया।

'उपभोक्ता सक्रियता', उपभोक्ता अधिकारों पर जोर देने के लिए, उपभोक्ताओं की तरफ से दिखाई गई सक्रियता है।

पाठगत प्रश्न 31.1

1. 'उपभोक्ता सक्रियता' को परिभाषित करें।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया?
3. 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' किसका संरक्षण करता है?

31.2 भारत में उपभोक्ता आंदोलन

उपभोक्ता आंदोलन की विचारधारा के लिए तीन (मूल) तत्व आवश्यक हैं- पहचान, प्रतिरोध एवं संपूर्णता।

पहचान का अर्थ है, उपभोक्ता आंदोलन के सदस्यों की खुद की एवं सामूहिक पहचान। प्रतिरोध का अर्थ है, विरोधी (विपक्षी) की पहचान (समझ) और विवरण। संपूर्णता, इस बात का संकेत है कि लक्ष्यों की प्राप्ति संघर्ष से होगी। उपभोक्ता कार्यकर्ता (सक्रियतावादी) वे होते हैं, जो उत्पादकों एवं विक्रेता एंजेसियों से उपभोक्ताओं के संघर्ष में उपभोक्ताओं का नेतृत्व करते हैं।

उपभोक्ता सक्रियतावादी न केवल उत्पादकों एवं विक्रेता एजेंसियों को लक्ष्य करते हैं, बल्कि उपभोक्ता संस्कृति को बदलने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के बीच सामूहिक जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं।

एक सामाजिक शक्ति के रूप में 'उपभोक्ता आंदोलन' की भारत में उत्पत्ति (जन्म) इस आवश्यकता के साथ हुई कि अनैतिक एवं अनुचित व्यापार पद्धतियों से उपभोक्ताओं का संरक्षण कैसे किया जाए एवं उनके हितों को किस प्रकार बढ़ावा मिले।

बड़े पैमाने पर खाद्य-भंडारण एवं जमाखोरी जैसी घटनाओं ने एक संगठित रूप में वर्ष 1960 में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की और इस दिशा में एक बड़ा कदम वर्ष 1986 में उठाया गया।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से भारत की संसद ने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' (CPA) 1986 पारित किया।

यह अधिनियम उपभोक्ता विवादों एवं उनसे जुड़े हुए मामलों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों (समितियों) एवं अन्य प्राधिकारों (अथॉरटीज) की स्थापना का प्रावधान करता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (समितियों) की स्थापना की गई है।

उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों, जैसे कि

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF),

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC), जो कि 'राज्य आयोग' के नाम से भी जानी जाती है, एवं

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) 1986 के तहत उपभोक्ताओं के विवादों/ शिकायतों एवं संबंधित मामलों के निपटारे के लिए, की गई है।

पाठगत प्रश्न 31.2

1. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति के मुख्य कारणों का उल्लेख करें।

31.3 उपभोक्ता सक्रियता : उद्देश्य, लक्ष्य एवं युक्तियां

'उपभोक्ता सक्रियता' का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य (शासन) अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे।

इसका लक्ष्य है उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।

आदर्श लक्ष्य है उपभोक्ताओं के उस अधिकार का संरक्षण करना, जिसके अन्तर्गत एक उपभोक्ता किसी भी क्रय की गई (खरीदी गई) वस्तु की गुणवत्ता एवं मानक (प्रामाणिकता) पर सवाल खड़े कर सकता है।

उपभोक्ता सक्रियतावादी निम्नलिखित युक्तियां अपनाते हैं- बहिष्कार, वस्तुओं के उत्पादक एवं विक्रेता के खिलाफ याचिका दायर करना, सरकार को याचिका, मीडिया सक्रियता एवं रुचि समूहों का आयोजन।

पाठगत प्रश्न 31.3

1. भारत में उपभोक्ता आंदोलन के लक्ष्य, उद्देश्य एवं युक्तियों की व्याख्या करें।

31.4 शिकायत/याचिकाएं

एक उपभोक्ता किसी दोषपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवा के खिलाफ अपनी शिकायतों का निवारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाई गई (स्थापित) उपभोक्ता अदालतों (अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण समितियां/ संस्थाएं) में कर सकता है। इन दोनों तरह के मामलों में याचिकाओं के उदाहरण यहां दिए गए हैं। ये सिर्फ संदर्भ के लिए हैं। याचिका की मूल विषय-वस्तु मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

यह मानते हुए कि आर्थिक हानि 20 लाख रुपये से कम है, इन याचिकाओं को जिला फोरम के उपयुक्त बनाया गया है। यदि हानि का मूल्य (राशि) अधिक है, तो याचिका में उसी के अनुसार बदलाव किए गए हैं, जिससे कि वह राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उपयुक्त बन सके।

31.4.1 दोषपूर्ण वस्तुओं के खिलाफ शिकायत याचिका का उदाहरण (नमूना)

मुकदमे का उदाहरण : श्रीमान् 'X' ने दिसंबर 2012 में 'मेसर्स Y एंड कंपनी' से, जो उसी शहर में व्यापार करती थी, एक 'मिक्सर ग्राइंडर' खरीदा। एक वर्ष की वारंटी अवधि के भीतर ही ग्राइंडर ने काम करना बंद कर दिया। 'मेसर्स Y एंड कंपनी' ग्राइंडर में आई खराबी को ठीक नहीं करा सकी। निर्माता कंपनी 'मेसर्स Z लिमिटेड' भी मिक्सर ग्राइंडर को ठीक कराने में असफल रही। निराश होकर श्रीमान् 'X' ने अंततः जिला फोरम का दरवाजा खटखटाया।

31.4.2 दोषपूर्ण वस्तुओं के खिलाफ शिकायत याचिका का उदाहरण :

शिकायत याचिका का प्रारूप

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के सम्मुख/ समक्ष,

जिले का नाम

उपभोक्ता विवाद मुकदमा सं. ...../ 200 याचिका दायर करने का वर्ष

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-11 के अंतर्गत

एवं

..... के संबंध में/ मामले में

श्रीमान 'X'

(श्रीमान् 'X' का पता) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

1. स्वामी

'मेसर्स Y एंड कंपनी'

('Y' एंड कंपनी का पता)

2. प्रबंध निदेशक,

मेसर्स 'Z' लिमिटेड

(Z लिमिटेड का पता) ..... विपक्षी दल (O.P.)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष एवं

जिला फोरम के सदस्य

(जिले का नाम)

यह शिकायत याचिका, श्रीमान् 'X', ('X' का पता) की तरफ से दायर की जाती है, जो यहां शिकायतकर्ता हैं, और यह इस प्रकार है -

1.1 कि यह शिकायत याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(इ)(प) के तहत दायर की जाती है।

2.1 कि विपक्षी पार्टी संख्या-1, अपनी दूसरी गतिविधियों के अतिरिक्त, लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे- रेफ्रिजेरटर, टी.वी., मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि बेचने में संलग्न है। (विपक्षी पार्टी का विवरण)

2.2 कि विपक्षी पार्टी संख्या-2, मिक्सर ग्राइंडर ब्रांड 'A' की एवं अन्य घरेलू विद्युत उपकरणों की निर्माता है, तथा विपक्षी पार्टी संख्या-1 के मिक्सर ग्राइंडर फुटकर में विपक्षी पार्टी संख्या-1 के द्वारा बेचे जाते हैं। (विपक्षी पार्टी का विवरण)

(घटना का विवरण)

3.1 कि 26 दिसंबर, 2012 (क्रय की तिथि) को, शिकायतकर्ता ने 'A' ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर, क्रमांक संख्या ..... (खरीदे गए उपकरण का विवरण), जो कि विपक्षी पार्टी संख्या-2 के द्वारा निर्मित है, नकद पर्ची संख्या ..... (नकद पर्ची/ नकद रसीद संख्या) द्वारा विपक्षी पार्टी संख्या-1 के शो-रूम से खरीदा, उक्त उल्लिखित दस्तावेज की एक छायाप्रति संलग्नक-1 में प्रस्तुत है।

3.2 कि मिक्सर ग्राइंडन ने 8 जनवरी, 2013 (कब) को अचानक ही काम करना बंद कर दिया (समस्या का प्रकार) और इस बाबत विपक्षी पार्टी संख्या-1 को उसी समय सूचित किया गया। उनके सलाह के अनुसार मिक्सर ग्राइंडर को उनके सेवा केंद्र को 9 जनवरी, 2013 को सौंप दिया गया। सेवा-केंद्र की प्राप्ति रसीद .....-2 में प्रस्तुत है।

3.3 कि मिक्सर ग्राइंडर मरम्मत के बाद 24 जनवरी, 2013 को वापस लौटाया गया।

3.4 कि मिक्सर ग्राइंडर का 25 जनवरी, 2013 को उपयोग किया गया। लगभग 5 मिनट तक काम करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर ने पुनः पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया।

3.5 कि शिकायतकर्ता ने इस बात की सूचना विपक्षी पार्टी संख्या-1 को तत्काल दी तथा विपक्षी पार्टी संख्या-2 से इसकी शिकायत की। पत्र की एक प्रति संलग्नक-3 में प्रस्तुत है (महत्वपूर्ण प्रासंगिक दस्तावेज लगाएं)

3.6 कि विपक्षी पार्टी संख्या-1 के परामर्श के अनुसार खराब मिक्सर ग्राइंडर को एक बार फिर 30 जनवरी, 2013 को उनके सर्विस सेंटर (सेवा केंद्र) को सौंपा गया। विपक्षी पार्टी संख्या-1 के द्वारा खराबी को ठीक करने में अत्यधिक देरी की गई। अप्रैल, 2013 में विपक्षी पार्टी संख्या-2 ने विपक्षी पार्टी संख्या-1 को मिक्सर ग्राइंडर को बदलकर दूसरा देने की सलाह दी। उस पत्र की एक प्रति संलग्नक-4 में प्रस्तुत है।

3.7 कि विपक्षी पार्टी संख्या-1 ने विपक्षी पार्टी संख्या-2 के निर्देश-पत्र की परवाह न की और शिकायतकर्ता आज की तिथि तक मिक्सर-ग्राइंडर की कमी के कारण परेशान हो रहे हैं।

4.0 कि विपक्षी पार्टियों ने दोषपूर्ण वस्तु की पूर्ति की (सप्लाई की) और उन्हें शिकायतकर्ता को हुई क्षति की भरपाई करनी चाहिए।

प्रार्थना

पीछे के अनुच्छेदों में निहित आत्मनिवेदन के आलोक में, शिकायतकर्ता अत्यधिक आदर के साथ माननीय फोरम से यह निवेदन करता है कि माननीय फोरम विपक्षी पार्टियों को निर्देश दे कि वे-

(क) मिक्सर ग्राइंडर की कीमत रुपया (मूल्य), 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करें

(ख) शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों को हुए शारीरिक तनाव एवं मानसिक यातना के लिए 10,000 रुपये अदा करे (मुआवजा) तथा

(ग) याचिका के खर्च के रूप में 1,000/- रुपये अदा करे (लागत)

इस दयाभाव के लिए शिकायतकर्ता फोरम का सदा आभारी रहेगा, जो कि उसका कर्तव्य है।

हस्ताक्षर

(नाम)

शिकायतकर्ता

पाठगत प्रश्न 31.4

1. दोषपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति के खिलाफ एक शिकायत याचिका तैयार करें।

31.5 अपूर्ण सेवाओं के खिलाफ शिकायत याचिका का नमूना

मुकदमे का उदाहरण : श्रीमान 'X' ने 'मेसर्स Y एंड कंपनी' एक NFBC (.....वित्तीय कंपनी) जो कि उसी नगर में कार्य करती है, में दिसंबर, 2011 में कुछ पैसा लगाया। लगाया गया पैसा दिसंबर, 2012 में तैयार (मेच्योर) होता है, लेकिन कंपनी अपना वादा नहीं पूरा करती है और यह बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है। श्रीमान 'X' निराश होकर जिला फोरम का दरवाजा खटखटाते हैं।

शिकायत याचिका का प्रारूप

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के समक्ष

(जिले का नाम)

उपभोक्ता विवाद मुकदमा सं. ...../ 20 (याचिका दायर करने का वर्ष)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–11 के अंतर्गत

एवं

..... के संबंध में/ मामले में

श्रीमान 'X'

(श्रीमान 'X' का पता) शिकायतकर्ता

बनाम (विरुद्ध)

1. अध्यक्ष (चेयरमैन) एवं प्रबंध निदेशक

'मेसर्स Y एंड कंपनी'

('Y' एंड कंपनी का पता) विपक्षी पार्टी

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष एवं

जिला फोरम के सदस्य

(जिले का नाम)

श्रीमान न्यायाधीश महोदय,

यह शिकायत याचिका श्रीमान 'X', ('X' का पता) की तरफ से दायर की जाती है, जो यहां शिकायतकर्ता हैं, और इस प्रकार हैं –

1.0 कि यह शिकायत याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(b)(i) के तहत दायर की जाती है।

2.0 कि विपक्षी पार्टी एक NFBC है और अपनी दूसरी गतिविधियों के अतिरिक्त जनता से जमाएं स्वीकार करने का व्यापार करती है। (विपक्षी पार्टी का विवरण)

(घटना का विवरण)

3.1 कि 26 दिसंबर, 2011 (जमा की तारीख) को, शिकायतकर्ता ने कुछ रुपये (विपक्षी पार्टी के पास जमा राशि) सावधि जमा रसीद संख्या ..... के द्वारा एक वर्ष के लिए जमा किया। उस दस्तावेज की एक छाया प्रति संलग्नक-1 में प्रस्तुत है।

3.2 कि वह सावधि जमा (F.D.) 25 दिसंबर, 2012 को परिपक्व हो गई और शिकायतकर्ता ने सावधि जमा को भुनाने के लिए 26 दिसंबर, 2012 को विपक्षी पार्टी के कार्यालय को संपर्क किया, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने किसी-न-किसी बहाने भुगतान करने में देरी की। (सामना की गई समस्या की प्रकृति)। इसलिए शिकायतकर्ता ने विपक्षी पार्टी के द्वारा तत्काल हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए पत्र लिखा। उक्त पत्र की एक छायाप्रति संलग्नक-2 में प्रस्तुत है। लेकिन शिकायतकर्ता को अब तक उसके बकाये का भुगतान नहीं किया गया है।

3.3 कि विपक्षी पार्टी द्वारा सावधि जमा की परिपक्वता राशि का नियत तिथि तक भुगतान न करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(g) के अनुसार त्रुटिपूर्ण/ अपूर्ण सेवा है।

4.0 कि विपक्षी पार्टी ने शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार को बहुत अधिक मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

प्रार्थना

पिछले अनुच्छेद (पैराग्राफ) में की गई विनती को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता पूरे सम्मान के साथ सम्माननीय फोरम से यह प्रार्थना करता है कि वह विपक्षी पार्टी को यह आदेश दे कि वह-

(क) सावधि जमा की परिपक्वता राशि, रुपये ....., 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे,

(ख) शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों को हुई शारीरिक तनाव एवं मानसिक यातना के 10,000 रुपये अदा करे (मुआवजा), तथा

(स) याचिका के खर्च के रूप में 1000 रुपये अदा करे (लागत)।

इस दयाभाव के लिए, शिकायतकर्ता फोरम का सदा आभारी रहेगा, जो कि उसका कर्तव्य है

हस्ताक्षर

(X) नाम

(शिकायतकर्ता)

हलफनामा (शपथ-पत्र)

मैं, ..., पिता का नाम, ... का निवासी, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि

'शिकायत याचिका' में वर्णित तथ्य जो कि माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (स्थान)/ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली', के समझ प्रस्तुत किए गए हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सही है और मेरे द्वारा रखे गए अभिलेखों (रेकॉर्ड्स) पर आधारित हैं, जिन्हें में सत्य मानता हूं।

गवाह

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि (स्थान का नाम), ... आज ..... दिनांक (माह) (वर्ष) को ऊपर दिए गए हलफनामें में दिए गए तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य एवं सही हैं।

गवाह

नोट (टिप्पणी) :

1. हलफनामें को नोटरी के समक्ष, 5 रुपये एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर, शपथ दिलाया जाना चाहिए।
2. स्थान, राज्य, माह, वर्ष, वास्तविक रूप में दर्ज होने चाहिए।
3. शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता गवाह है।

पाठगत प्रश्न 31.5

1. अपूर्ण सेवा प्रदान करने के खिलाफ एक नमूना शिकायत याचिका का प्रारूप तैयार करें।

आपने क्या सीखा

- उपभोक्ता सक्रियता, उपभोक्ता अधिकारों पर जोर देने के लिए, उपभोक्ताओं की तरफ से दिखाई गई सक्रियता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1986 में अधिनियमित (स्वीकार) किया गया।

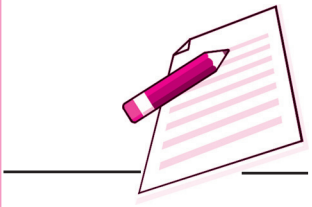

- भारत में उपभोक्ता आंदोलन के मुख्य कारण थे- बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण एवं जमाखोरी जैसी घटनाएं। अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों से उपभोक्ताओं की रक्षा, एवं उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता भारत में उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति के अन्य प्रमुख कारण थे।
- एक उपभोक्ता किसी दोषपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवा के खिलाफ अपनी शिकायतों का निवारण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता अदालतों (अर्द्ध-न्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण संस्थाएं) में कर सकता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 संसद द्वारा 1986 में पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह अधिनियम उपभोक्ता विवादों एवं उनसे जुड़े अन्य मामलों के निपटारे (निवारण) के लिए उपभोक्ता परिषदों एवं अन्य प्राधिकारों की स्थापना का प्रावधान करता है।

  इस अधिनियम के तहत, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (समितियों) की स्थापना की गई है।
- इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के विवादों एवं संबंधित मामलों के निपटारे के लिए, उपभोक्ता निवारण एजेंसियों, जैसे कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF), राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRF), जो कि 'राज्य आयोग' के नाम से भी जानी जाती है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की स्थापना की गई है।
- इस पाठ में शिक्षार्थियों के लाभ के लिए,

  निम्नलिखित विवादों के निवारण के लिए, नमूना शिकायत याचिकाएं (ड्राफ्ट) दी गई/ की गई हैं -

  (क) दोषपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के विरुद्ध एवं

  (ख) दोषपूर्ण/ अपूर्ण सेवाओं के विरुद्ध।

पाठांत प्रश्न

1. 'उपभोक्ता सक्रियता' को परिभाषित करें।
2. भारत में उपभोक्ता आंदोलन के उद्देश्य, लक्ष्य एवं युक्तियों की संक्षेप में चर्चा करें।
3. भारत में उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को समझाएं।
4. दोषपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति के विरुद्ध एक नमूना शिकायत याचिका का मसौदा (ड्रॉफ्ट) तैयार करें।
5. अपूर्ण सेवा प्रदान करने के विरुद्ध एक नमूना याचिका का मसौदा (ड्रॉफ्ट) तैयार करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

31.1

1. उपभोक्ता सक्रियता, उपभोक्ता अधिकारों पर जोर देने के लिए, उपभोक्ताओं की तरफ से दिखाई गई सक्रियता है।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) 1986, अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

31.2

1. भारत में उपभोक्ता आंदोलन के मुख्य कारण थे- बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण एवं जमाखोरी जैसी घटनाएं। अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों से उपभोक्ताओं की रक्षा एवं उनके हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। भारत में एक सामाजिक शक्ति के रूप में उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति के अन्य कारण थे।

31.3

1. भारत में उपभोक्ता आंदोलन का लक्ष्य है उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।

   अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं का संरक्षण सरकार का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

   उपभोक्ता सक्रियतावादियों की युक्तियों में- बहिष्कार, वस्तुओं के निर्माताओं एवं विक्रेताओं के खिलाफ याचिका दायर करना, सरकारों को याचिका, मीडिया सक्रियता एवं रुचि समूहों का आयोजन शामिल हैं।

31.4

1. नमूना याचिका 31.4.2 देखें।

31.5

1. नमूना याचिका 31.5.2 देखें।

INTRODUCTION TO LAW
SAMPLE QUESTION PAPER

Time: 3 Hours **Maximum Marks: 100**

1. 'कानून' की कोई एक परिभाषा लिखिए।

   Write any one definition of 'Law'. 2

2. उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए, जिनके कारण पारसी समुदाय को भारत की स्थानीय प्रथाओं को अपनाना पड़ा।

   Examine the circumstances that made "Parsis" to adopt the local Customs of Inda. 2

3. न्याय-पंचायतों में महिलाओं तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का आरक्षण कहां तक उचित है?

   How far is the reservation for women and socially backward classes in the Panchayats justified? 2

4. अधिष्ठायी कानून से क्या अभिप्राय है?

   What is meant by Substantive Law? 2

5. 'सार्वजनिक कानून' की परिभाषा लिखिए।

   Define Public Law. 2

6. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित किन्हीं दो प्राधिकरणों के नाम लिखिए।

   Name any two Authorities constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987. 2

7. यह कहना कहां तक उचित है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग नहीं है?

   How far is it correct to say that Preamble is not a part of the Indian Constitution? 2

8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 'जीवन तथा निजी स्वतंत्रता का अधिकार' अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है?

   How does Right to life and Personal Liberty under Article 20 provide protection in respect of conviction for offences? 2

9. साधारण विधेयक तथा वित्त (धन) विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए।

   Distinguish between an Ordinary Bill and a Money Bill. 2

10. लोकसभा की कौन-सी दो शक्तियां उसे राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बना देती हैं?

    Which two powers of Lok Sabha more powerful than Rajya Sabha? 2

11. पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनिवार्य है?

अथवा

उपभोक्ता अथवा संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन क्यों किया गया?

Why is the need for protection of environment very essential?

Or

Why was the Consumer Protection Act, 1986 amended? 2

12. विश्व की विभिन्न न्याय प्रणालियों को वर्गीकृत कीजिए तथा उनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए।

Classify the different Legal System of the World and explain any two of them. 4

13. संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आने वाले किन्हीं दो 'लेखों' या 'परमादेशों' की, एक-एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए।

Explain any two "Writs" under the Right to Constitutional Remedies with an example for each. 4

14. दंड के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

Explain the various theories of punishment. 4

15. ''विवाचन को पारंपरिक मुकदमेबाजी से पहले वरीयता दी जाती है।'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? किन्हीं दो उपयुक्त तर्कों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

"Arbitration is preferred over traditional litigation". Do you agree with this statement? Support your answer with suitable arguments. 4

16. किन्हीं चार उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का आकलन कीजिए।

Assess the implementation of Directive Principle of State Policy giving any four examples to support your answer. 4

17. ''जनहित याचिका (पी.आई.एल.), कानूनी सहायता आंदोलन का एक रणनीतिक हथियार है, जिसका उद्देश्य न्याय को गरीब जनता की पहुंच तक लाना है।'' जनहित याचिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्हीं दो मामलों में दिए गए निर्णयों के उदाहरण देकर, इस कथन को तर्कसंगत ठहराइए।

"The Public Interest Litigation (PIL) is a strategic arm of the legal aid movement which is intended to bring justice within the reach of the poor masses." Justify the statement giving examples of any two cases decided by the Suprmen Court of India under Public Interest Litigation. 4

18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किन्हीं चार प्रमुख कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए।

अथवा

'व्यवसाय अथवा व्यापार में अपनाई जाने वाली अनुचित गतिविधियों' से क्या अभिप्राय है? गतिविधियों की ऐसी अनुचित व्यापारिक किन्हीं तीन श्रेणियों का उल्लेख कीजिए।

List any four main functions of the Central Pollution Control Board.

Or

What is meant by Unfair Trade Practices? Mention any three categories of Unfair Trade Practices. 4

19. प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए खतरनाक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?

अथवा

व्यवसाय/ व्यापार में अपनाई जाने वाली किन्हीं दो गलत और अनुचित गतिविधियों के उदाहरण दीजिए, जिनका निदान किसी 'उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग/ फोरम' द्वारा किया गया हो। दिए गए निर्णयों का उल्लेख भी कीजिए।

How can the hazardous wastes be handled for a pollution free environment?

Or

Cite any two leading cases of 'Unfair Trade Practice' decided by different Consumer Disputes Redressal Commission/Forums alongwith the verdicts given. 4

20. पारितंत्र को ध्यान में रखते हुए, सतत-पोज़णीय विकास से संबद्ध किन्हीं चार क्षेत्रों को विष्ठोज़ ध्यान देने की आवष्ठयकता है और क्यों?

अथवा

भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाली परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए।

Keeping into mind the diversity of the eco system, which four areas involved under Sustainable Development need special attention and why?

Or

Examine the circumstances which led to the origin of Consumer Movement in India. 4

21. 'रिवाज' (प्रथा) की परिभाषा लिखिए। इसकी किन्हीं चार अनिवार्यताओं की पहचान कीजिए।
Define 'Custom' and identify any four 'essential' of a 'Custom'. 6

22. प्रत्येक का एक-एक उदाहरण देकर निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए-

(क) आर्थिक पूर्वाग्रह

(ख) विषय-वस्तु पूर्वाग्रह

(ग) विभागीय पूर्वाग्रह

Explain the following terms giving at least one example in each case

(a) Pecuniary Bias

(b) Subject Matter Bias

(c) Departmental Bias 6

23. सर्वोच्च विधि-निर्माण तथा अधीनस्थ विधि निर्माण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधीनस्थ विधि-निर्माण के किन्हीं चार रूपों की व्याख्या भी कीजिए।

Differentiate between Supreme Legislation and Subordinate Legislation. Also explain any four forms of Subordinate Legislation. 6

24. शिकायत दाखिल करवाने से लेकर निर्णय सुनाए जाने तक, दीवानी मामलों के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए।
Explain the various stages through which a 'Civil Suit' passes starting from its filing to the delivery of Judgement. 6

25. भारतीय राज्य के किन्हीं तीन प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए, जो स्वयं इसकी प्रकृति को उजागर करते हैं।
Describe any three main characteristic of the Indian State which highlight the nature of the State itself. 6

26. उन तीन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, जिनके चलते भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा प्रत्येक परिस्थिति को कैसे प्रभावित करती है?
Mention the three extra-ordinary situations under which the President of India can proclaim emergency. How does this proclamation affect each situation. 6

27. पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण तथा सुधार से संबंधित 'प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति सिद्धांत' की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

अथवा

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए 'उपभोक्ता सक्रियतावाद' की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

Evaluate the role of the 'Polluter Pays Principle' towards protecting and improving of the quality of environment.

Or

Evaluate the role of 'Consumer Activism' in protecting the rights of the consumers in India. 6

MARKING SCHEME
SAMPLE QUESTION PAPER

1. Austin – According to Austin Law is a body of Rules laid down by political superiors to political inferiors. In other words body of command by a sovereign to his inferiors and the sovereign is Supreme.

   Salmond – Principles recognized and applied by the State in the administration of Justice.

   (Any one)

   Or any other definition. $2 \times 1 = 2$

2. Paris adopted the local 'customs' of India because,

   (i) they were allowed to stay in India, at the time of their first arrival on the condition that they would follow Inida's local customs of the place where they were allowed to settle.

   (ii) they were not temporary settlers. So, they adopted local customs due to long settlement in India and gave respect to the local customs. $1 + 1 = 2$

3. The reservation for women and socially backward classes in the Naya Panchayats will have the path for equal opportunity in every person reardless of their caste and fair dispenstion of justice. $2 \times 1 = 2$

4. Substantive Law deals with the legal relationship between subjects (individuals) or the subject and the State. It is Statutory Law that defines and determines the rights and obligations of the citizens to be protected by law. $2 \times 1 = 2$

5. The public law deals with societal problems in the broad context. $2 \times 1 = 2$

   Public law governs relationship between the State with its citizens and also relationship between the individuals directly concerning the society. (Any one) $2 \times 1 = 2$

6. (i) State Legal Services Authority

   (ii) District Legal Services Authority $2 \times 1 = 2$

7. In the famous Beribari Case, Hon'ble Supreme Court held that the Preamble is not a part of the Constitution.

   However, in Keshwanand Bharti case the Supreme Court held that the Preamble was as much a part of the Constitution as any other provision, therein. $2 \times 1 = 2$

8. Article 20 deals with protection in respect of conviction of offences in the following manner:

   (i) No person can be convicted for any offence except for violation of a law inforce at the time of the commission of the act.

   (ii) No person can be prosecuted for the same offence more than once.

   (iii) No person accused of any offence can be compelled to witness against himself. (Any two)

   $2 \times 1 = 2$

9. The Bills that deal with money matters, financial obligations, revenue and expenditure etc. are called Money Bills. On the other hand, all non-money bills are called Ordinary Bills. $2 \times 1 = 2$

10. Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha:

    (i) Money Bill can only be introduced in Lok Sabha.

    (ii) The No Confidence Motion can be used by Lok Sabha members only and not by Raya Sabha.

    $2 \times 1 = 2$

11. The human beings as well as animals need clean food and water. Therefore, it is essential to protect the ecosystem that makes our survival possible. In case, we do not stop pollution, it is sure that the world will come to an end.

    Or

    The Forum established under the Consumer Protection Act, 1986 (CPA) had become elogged with pendency of cases, effective compliance was difficult to monitor and very. Hence, the amendment made in CPA addressed these issue. $2 \times 1 = 2$

12. (i) **Common Law System:** 'Common Law' is the name of family of different Legal System of the world which follow common features and Traits albeit with small deviations.

    Common Law system has influenced the development of many Legal System of the world such as India, England, U.S.A, Canada and Australia.

    (ii) **Continental Legal System:** The Legal System followed by the countries in the mainland of Western Europe which is commonly referred as 'Continent' is known as 'Continental Legal System.

    The origin of Continental Legal System can be traced to the old age Roman Empire of the 5^{th} Century A.D. Now you can find this system present in many countries of Southern America and ports of Africa.

    (iii) **Social Legal System:** An important Legal System which has influenced the development of many other legal systems of the world is called 'Socialist Legal system'. This legal system was adopted by those countries which have started following Socialist and Marxist philosophy especially after the First World War of 1914. Some other countries which have adopted this system are Cuba, North Korea, Mongolia, Ukraine, Kzakhistan and Uzbekistani.

    Socialist Legal System has been influenced by Common Law System and Continental Law System.

    (iv) **Legal System among International Institutions and Countries –** Inter-SE or International Legal System: The International Legal System which is a new phenomenon has taken birth in the twentieth century especially after the First World War. You can say that without an International Legal System in place there cannot be possibility of International Peace and Security.

    This Legal System which regulates the relations among Community of Nations, can be understood by four specific examples : (a) Role of Treaties (b) United Nations (c) European Union and (d) SAARC.

    (Any two systems to be explained)

    $2 + 2 = 4$

13. *Writ of 'Habeas Corpus':* Habeas Corpus means "to have the body". It is in the nature of an order calling upon a person who has unlawfully detained another person to produce the latter before the court.

    Example – "A" has been unlawfully detained by a person "B". A writ of 'Hebeas Corpus' can be filed under Article–226 in the concerned High Court.

    Writ of Mandamus: Mandamus literally means "Command". It is thus an order of Superior Court commanding a person holding a public office or a public authority (including the Government) to do or not to do something, in the nature of public duty.

    Example – A police officer not filing FIR of a victim can be directed by the Superior Court to file a FIR and take suitable action on the complaint so lodged. 2 + 2 = 4

14. Theories of punishment

    (i) *Deterrent Theory* is commensurate with the gravity or serious nature of the offence.

    (ii) *Preventive Theory:* As per this theory punishment is given to the offender with a view to prevent the repetition of the offence.

    (iii) *Retributive Theory:* Here the punishment is based on the principle of the retribution i.e. life for life or eye for eye or tooth for tooth. It is abort of barbaric punishment.

    (iv) *Reformatory Theory:* It aims at reforming the criminals so that they may be prevented from committing crimes again. 4 × 1 = 4

15. Yes, I agree with this statement because of

    (i) Arbitration is less expensive than traditional litigation.

    (ii) It provides faster resolution of disputes.

    (iii) It provides Justice in an expeditious manner. (Any Two Argument)

    2 × 2 = 4

16. Assesment of DPSP

    (i) Land reforms introduced by the government to abolished the zamindari system and helped in the equal distribution of land.

    (ii) Through 73rd Constitution Amendment 1992, the Constitutional obligation stated in Article 40, was fulfilled by introducing three tier Panchayati Raj System.

    (iii) Central Government sponsored schemes like PMGSY,MRHM etc are being implemented to fulfil the social sector responsibility.

    (iv) Various programme to provide health and nutritional support to the women and children i.e. maternity relief, mid-day meal etc.

    Though many DPSP have been implemented still a lot has to be done. 4 × 1 = 4

17. *The cases that justify the Statement:*

    (i) The first reported case of PIL in 1979

    Focussed on the inhuman conditions of prisons and under trial prisoners

It was filed by an advocate

After the proceedings 40,000 undutrials were released

(ii) Another case was

Bandhna Mukti Morcha v/s Union of India to the cause of release of bonded labourers. After the enquiry was conducted, the Supreme Court ordered the released and rehabilitation of all bonded labourers. 2 + 2 = 4

18. *Functions of Central Pollution Control Board:*

(i) To promote cleanliness of streams and wells in different areas of the States by prevention, control and abatement of water pollution.

(ii) To improve the quality of air and to prevent control or abate air pollution.

(iii) To advise the Central Government any matter concerning prevention and control of water and air pollution.

(iv) To provide technical assistance and guidance to the State Boards. (Or any other function)
4 × 1 = 4

Or

Unfair Trade Practice means a trade practice or a business practice which, for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or the provision of any service, adopts any unfair method or unfair or deceptive practice.

Categories:

(i) False Representation

(ii) False offer of 'bargain price'

(iii) Free gift offer and prize scheme. 1 + 3 = 4

19. Any hazardous substance which is present in our surrounding and may harm our environment has to be dealt with carefully:

(i) First of all it, should be identified along with the generating industry.

(ii) After data collection through surveys, the hazardous waster should be characterized in the laboratory.

(iii) Sites should be identified for treatment, storage and disposal of such substances.

(iv) Implementation of treatment storage and final disposal should be done. 4 × 1 = 4

Or

Mercedes Beaz Case

One of the World's oldest and leading luxury car manufacturers Mercedes Benz was slapped a fine of Rs. 2 lakhs for selling a used a demo car as new to a customer in Chennai.

Verdict

In its verdict, the National Consumer Disputes Redressal Commision said "selling of used demo cars without the knowledge of the customer amounts to an Unfair Trade Practice with the Consumer Protection Act.

Article

Article was directed to pay Rs 10,000 as compensation to one of its customers for providing faulty interest connection.

Verdict

The East Distt. Consumer Dispute Redressal Forum Delhi, in its Verdict said "The telecom company had provided deficient service to its customer a Delhi-based Lawyer and hence, directed to pay Rs. 10,000 as compensation. 2 + 2 = 4

20. *Most important areas*

(i) Preservation of biological diversity in terrestrial, freshwater and marine system.

(ii) Sustainable use of resources and minimizing the depletion of resources.

(iii) Conservation of natural capital both for renewable and on-renewable resources.

If special attention is not paid to the above mentioned four areas, the life on earth will be in danger and difficult to survive.

All the area are so interlinked that we cannot afford to neglect them. 2 + 2 = 4

Or

The 'Consumer Movement' in India, has a social cause, originated under the following circumstances:

(i) Necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices.

(ii) Rampant food shortages

(iii) Hoarding and artificial scarcity of goods/products

(iv) Settlement of consumer disputes and any other such matters.

(Or any other relevant point.)
4 × 1 = 4

21. Custom – 'Custom' denotes rules of habitual conduct within a community. Uniformity of conduct in like circumstances is the hallmark of a 'Custom'.

Essentials of a Customs:

(a) Antiquity

(b) Continuance

(c) Reasonableness

(d) Obligatory character

(e) Certainty

(f) Consistency

(g) Uniformity

(h) Conformity with Statute Law and Public Policy.

(Any four to be explained)
2 + 4 = 6

22. (i) Pecuniary Bias: The Judicial approach is unanimous and decisive on the point that any financial interest however, small it may be, would vitiate administrative action. The disqualification will not be avoided by non-participation of the biased member in the proceeding if he/she was present.

Example – The Supreme Court in a case of quashed the decision of the 'Text-Book Selection Committee' because some of the Members of the committee were also authors of books which where considered for selection when the decision was reached.

(ii) Subject Matter Bias : Such cases fall within this category where the deciding officer is directly, or otherwise involved in the Subject matter of the case here again mere involved would not vitiate the administrative action unless there is a real likelihood of bias.

Example – In a case of Supreme Court quashed the decision of the Andhra Pradesh Government nationalizing road transport on the ground that the Secretary of the Transport Department who gave hearing was interested in the Subject matter.

(iii) Departmental Bias: The problem of 'Departmental Bias' is something which is inherent in the administrative process, and if it is not effectively checked it may negate the very concept of fairness in the administrative proceedings.

Example – In a case, the Supreme Court quashed the notification of the Government which had conferred powers of a Deputy Commissioner of Police on the General Manager, Haryana Roadways in the matters of inspection of Vehicles on the ground of 'Departmental Bias.' $3 \times 2 = 6$

23. *Supreme Legislation* is said to be supreme when it is proceeded from the supreme or soverign power of the Parliament and State Legislatures.

Subordinate Legislation is that which proceeds from any authority other than the Supreme Authority. It is made under the powers delegated to it.

Forms of Subordinate Legislation

(i) Executive
(ii) Judicial
(iii) Municipal
(iv) Autonomous
(v) Colonial (Any four) $2 + 4 = 6$

24. A Civil suit passes through the following stages:

(i) Filing of Plaint or case;
(ii) Issuing Summons to the opposite party;
(iii) Appearance of 'defendant'
(iv) Framing of issues;
(v) Recording of evidence;
(vi) Arguments; and
(vii) Judgement or Delivery of Judgement. (Any six stages) $6 \times 1 = 6$

25. *Characteristics of Indian State:*

(i) Liberal Democratic State

(ii) Federal State

(iii) A welfare State

(iv) Caste-ridden Society

(v) Multi-religious Society (Any three to be described)

$3 \times 2 = 6$

26. *Extra-ordinary situations* for the proclamation of Emergency

(i) When the security is threatened by war or external aggression or armed rebellion.

(ii) When it becomes difficult or not possible for the Govt. of a State to work or function in accordance with the Constitution or breaking down of Constitutional machinery in a State or imposition of President's Rule.

(iii) When the financial stability of the country is threatened.

Effect

(i) The federal character of the country becomes Unitary and the power of the Union Government increases.

(ii) The President/Governor on his/her behalf assumes all the functions of the State Government.

(iii) The President can ask the Sate to reduce salaries. (Or any other effect)

$3 + 3 = 6$

27. The 'Polluter Pays Principle' has been enacted to make the party responsible for producing 'pollution' to pay for the damage done to the natural environment. For example if a factory produces a potentially poisonous substance as a by-product, it should be held responsible for its safe disposal.

But the ground reality is completely different. The case comes to light only after pollution has actually taken place or the damage has already been done. If the 'Polluter Pays Principle' is applied at this sgate, its role will prove to be limited in the sense that it can be applied only at the remedial state i.e. after the pollution has already taken place.

It means one may 'pay' and 'pollute' . (Or any other opinion)

$6 \times 1 = 6$

Or

The 'Consume Activism' has succeeded in bringing pressure and in applying a check on the unfair trade practices in India.

It has also been successful inprotecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices.

'Consumer Activism' has also helped in creating an awareness about the consumer goods and services.

It has also succeeded in bringing the unscraplous tradesman to books.

It has also helped the consumer movement in achieving its goals. $6 \times 1 = 6$

QUESTION PAPER DESIGN

Subject: Introduction to Law **Level: Senior Secondary**

Maximum Marks: 100

1. Weightage to Objectives

Objective	Marks	Percentage
Knowledge	24	24
Understanding	50	50
Application	26	26
Total	**100**	**100**

2. Weightage to Question

Types of Questions	No. of Questions	Marks of Each Question	Total
Long Answer	7	6	42
Short Answer	9	4	36
Very Short Answer	11	2	22
Total	**27**		**100**

3. Weightage to Major Content Areas:

Units		Marks
1.	Concept of Law	14
2.	Functions and Techniques of Law	12
3.	Classification of Law	14
4.	Indian Court System and Methods of Resolution of Disputes	12
5.	The Constitution of India-I	14
6.	The Constitution of India-II	14
7A	Environmental Law, Role of Citizens, Police and Administration	
7B	Law Relating to Consumer Protection and Right to Information	20
	Total	**100**